खण्ड-114, अंक-1
सोमवार, 17 अग्रहायण, शक संवत् 1874
(8 दिसम्बर, 1952 ई0)

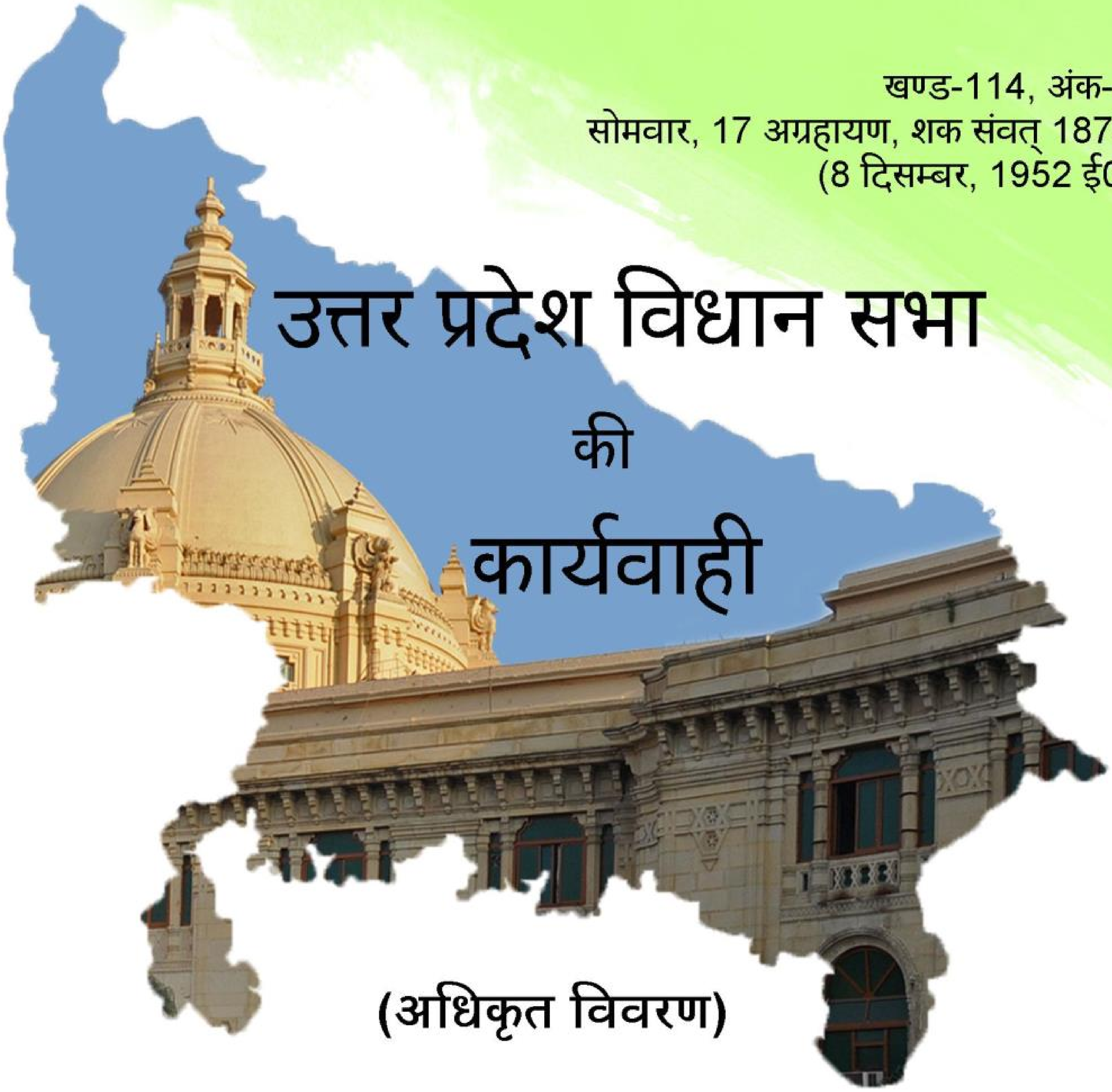

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 114 में 5 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५३

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

खंड ११४

सोमवार, ८ दिसम्बर, १९५२

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्यों की सूची	१—५
प्रश्नोत्तर	५—९
कानपुर में परेड बाजार के कुछ दूकानदारों पर पुलिस की नृशंस कार्यवाही के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी) ..	९
विधान सभा से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा प्राप्त करने के लिए श्री फतेह सिंह का प्रार्थना-पत्र (स्वीकृत)	९
उत्तर प्रदेश आगरा यूनीवर्सिटी अध्यादेश, १९५२ की वैधानिकता पर श्री नारायण दत्त तिवारी का संकल्प (अस्वीकृत) ..	९—३६
उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) विधेयक, १९५२ (स्वशासन मंत्री के प्रस्ताव पर कि विधेयक पर विचार किया जाय तथा श्री नारायण दत्त तिवारी के संशोधन पर कि विधेयक एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाय—विवाद जारी)	३६—६४

मंगलवार, ९ दिसम्बर, १९५२

उपस्थित सदस्यों की सूची	६५—६९
प्रश्नोत्तर	६९—७१
उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ्स (संशोधन) विधेयक, १९५२ (पुरःस्थापित किया गया)	७२
उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) विधेयक, १९५२ (स्वशासन मंत्री के प्रस्ताव पर कि विधेयक पर विचार किया जाय तथा श्री नारायण दत्त तिवारी के संशोधन पर कि विधेयक एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाय, विवाद जारी)	७२—८७
मंत्रियों को परामर्श देने वाली स्थायी समितियों के निर्वाचन-कार्यक्रम में परिवर्तन	८७
उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) विधेयक, १९५२ (प्रस्ताव कि विधेयक पर विचार किया जाय, स्वीकृत—विचार जारी) ..	८७—१२२
नत्थी	१२३—१२५

बुधवार, १० दिसम्बर, १९५२

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्यों की सूची	१२७—१३०
प्रश्नोत्तर	१३१—१३६
उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) विधेयक, १९५२ (विचार जारी) ..	१३६—१८७

बृहस्पतिवार, ११ दिसम्बर, १९५२

उपस्थित सदस्यों की सूची	१८९—१९३
प्रश्नोत्तर	१९३—१९९
उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) विधेयक, १९५२ (विचार जारी) ..	१९९—२४९
नत्थी	२५०

शुक्रवार, १२ दिसम्बर, १९५२

उपस्थित सदस्यों की सूची	२५१—२५५
प्रश्नोत्तर	२५५—२५८
श्री राजनारायण के ९ दिसम्बर, १९५२ के भाषण के कुछ अंशों पर स्वशासन मंत्री द्वारा उठाई गई आपत्ति (विचार करने के लिए समय का निर्धारित किया जाना)	२५८—२५९
खेत मजदूरों की मजदूरी निश्चित करने के सम्बन्ध में संकल्प (स्वीकृत) ..	२५९—२९२
उत्तर प्रदेश गोवंश संरक्षण विधेयक, १९५२ (पुरःस्थापित करने की अनुमति का प्रस्ताव वापस लिया गया) ..	२९२—२९६
गोवध पर प्रतिबन्ध लगाने के संबंध में संकल्प (विवाद जारी)	२९६—३०८
बैठक का कार्यकाल बढ़ाने के संबंध में प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	३०८
गोवध पर प्रतिबन्ध लगाने के संबंध में संकल्प (वापस लिया गया) ..	३०८—३१२
पूंजीवादी तत्वों की समाप्ति के सम्बन्ध में संकल्प (प्रस्तुत किया गया—विवाद स्थगित)	३१२
विधान भवन में दर्शकों द्वारा साहित्य के वितरण की मनाही ..	३१२
मंत्रियों को परामर्श देने वाली विभिन्न स्थायी समितियों के नाम निर्देशनों की सूचना	३१३—३२२
नत्थी	३२३

शासन

राज्यपाल

श्री कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी।

मंत्रि-परिषद्

श्री गोविन्दवल्लभ पन्त, बी० ए०, एल-एल० बी०, एम० एल० ए०, मुख्य मंत्री तथा सामान्य प्रशासन सहकारिता और नियोजन मंत्री।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम, बी० ए०, एल-एल० बी०, एम० एल० ए०, वित्त तथा विद्युत् मंत्री।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द, बी० एस-सी०, एम० एल० ए०, गृह तथा श्रम मंत्री।
श्री हुकुम सिंह, बी० ए०, एल-एल० बी०, उद्योग तथा पुनर्वासन मन्त्री।
श्री गिरधारीलाल, एम० ए०, एम० एल० ए०, निर्माण मन्त्री।
श्री चन्द्रभानु गुप्त, एम० ए०, एल-एल० बी०, एम० एल० ए०, स्वास्थ्य तथा अन्न मंत्री।
श्री सैयद अली जहीर, बार-ऐट-ला, एम० एल० ए०, न्याय तथा मादक-कर मंत्री।
श्री चरण सिंह, एम० ए०, बी० एस-सी०, एल-एल० बी०, एम० एल० ए०, माल तथा कृषि मंत्री।

श्री हरगोविन्द सिंह, एम० एल० ए०, शिक्षा तथा हरिजन सहायक मंत्री।
श्री मोहनलाल गौतम, बी० ए० (आनर्स), स्वशासन मन्त्री।
श्री कमलापति त्रिपाठी, सूचना तथा सिंचाई मन्त्री।
श्री विचित्रनारायण शर्मा, परिवहन मन्त्री।

उपमंत्री

श्री मंगलाप्रसाद, बी० ए०, एल-एल० बी०, एम० एल० ए०, सहकारिता उपमंत्री।
श्री जगमोहन सिंह नेगी, बी० ए०, एल-एल० बी०, एम० एल० ए०, वन उपमंत्री।
श्री फूलसिंह, बी० ए०, एल-एल० बी०, एम० एल० ए०, योजना उपमंत्री।
श्री जगनप्रसाद रावत, बी० एस-सी०, एल-एल० बी०, एम० एल० ए०, कृषि उपमंत्री।
श्री मुजफ्फर हसन, एम० एल० ए०, गृह उपमंत्री।
श्री राममूर्ति, एम० ए०, एल-एल० बी०, एम० एल० ए०, सिंचाई उपमंत्री।
श्री चतुर्भुज शर्मा, बी० ए०, एल-एल० बी०, एम० एल० ए०, निर्माण उपमंत्री।

सभा-सचिव

मुख्य मंत्री के सभा-सचिव

श्री कृपाशंकर, एम० एल० ए०।

अन्न मंत्री के सभा-सचिव

१--श्री बलदेव सिंह आर्य, एम० एल० ए०।
२--श्री बनारसीदास, एम० एल० ए०।

उद्योग मन्त्री के सभा-सचिव

श्री रऊफ जाफरी, एम० ए०, एम० एल० ए०।

माल मन्त्री के सभा-सचिव

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य, एम० एल० ए०।

शिक्षा मन्त्री के सभा-सचिव

डाक्टर सीताराम, एम० एस-सी० (वित्त), पी० एच० डी०, एम० एल० ए०।

विधान सभा
उत्तर प्रदेश

सदस्यों की वर्णात्मक सूची तथा उनके निर्वाचन-क्षेत्र

सदस्य का नाम		निर्वाचन क्षेत्र
१—अंसमान सिंह, श्री	...	बस्ती (पूर्व)
२—अक्षयवर सिंह, श्री	...	गोरखपुर (दक्षिण-पूर्व)
३—अजीज इमाम, श्री	...	मिर्जापुर (दक्षिण)
४—अतहर हुसेन ख्वाजा, श्री	...	रुड़की (दक्षिण)
५—अनन्तस्वरूप सिंह, श्री	...	फतेहपुर (दक्षिण)-खागा (दक्षिण)
६—अब्दुल मुईज खां, श्री	..	खलीलाबाद (मध्य)
७—अब्दुल रऊफ खां, श्री	...	फतेहपुर (पूर्व)-खागा (उत्तर)
८—अमरेशचन्द्र पाण्डेय, श्री	...	मिर्जापुर (उत्तर)
९—अमृतनाथ मिश्र, श्री	...	उतरौला (दक्षिण)
१०—अली जहीर, श्री सैयद	...	लखनऊ नगर (मध्य)
११—अवधशरण वर्मा, श्री	...	फतेहपुर (उत्तर)
१२—अवधेशचन्द्र सिंह, श्री	..	छिबरामऊ (पूर्व)-फर्रुखाबाद (पूर्व)
१३—अवधेश प्रताप सिंह, श्री	...	बीकापुर (पूर्व)
१४—अशरफ अली खां, श्री	...	सादाबाद (पूर्व)
१५—आत्माराम गोविंद खेर, श्री	...	झांसी (पूर्व)
१६—आर्थर ग्राईस, श्री	...	नाम-निर्देशित आंग्ल भारतीय
१७—आशालता व्यास, श्रीमती		फूलपुर (दक्षिण)
१८—इतिजा हुसैन, श्री	...	बुलन्दशहर (उत्तर-पश्चिम)
१९—इसरारुल हक, श्री	...	फिरोजाबाद-फतेहाबाद
२०—इस्तफा हुसैन, श्री	...	गोरखपुर (मध्य)
२१—उमाशंकर, श्री	...	सगरी (पश्चिम)
२२—उमाशंकर तिवारी, श्री	...	चंदौली (दक्षिण-पश्चिम) -रामनगर
२३—उमाशंकर मिश्र, श्री	...	नवाबगंज (दक्षिण)-हैदरगढ़-राम-सनेही घाट।
२४—उम्मेद सिंह, श्री	...	उतरौला (उत्तर-पूर्व)
२५—उल्फत सिंह चौहान निर्भय, श्री	...	ऐतमादपुर-आगरा (पूर्व)
२६—ऐजाज रसूल, श्री	...	शाहाबाद (पश्चिम)
२७—ओंकार सिंह, श्री	...	दातागंज (उत्तर)-बदायूं
२८—कन्हैयालाल बाल्मीकि, श्री	...	शाहाबाद (पूर्व)-हरदोई (उत्तर-पश्चिम)
२९—कमलापति त्रिपाठी, श्री	...	चकिया-चन्दौली (दक्षिण-पूर्व)
३०—कमला सिंह, श्री	...	सैदपुर
३१—कमाल अहमद रिजवी, श्री	...	मोहमदी (पूर्व)
३२—करण सिंह यादव, श्री	...	गुन्नौर (उत्तर)
३३—करन सिंह, श्री	...	निघासन-लखीमपुर (उत्तर)
३४—कल्याण राय, श्री	...	हजूर मिलक (उत्तर)
३५—कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री	...	चंदौली (उत्तर)
३६—कालिका सिंह, श्री	...	लालगंज (दक्षिण)
३७—कालीचरण टण्डन, श्री	...	कन्नौज (उत्तर)
३८—काशी प्रसाद पाण्डेय, श्री	...	कादीपुर
३९—किन्दरलाल, श्री	...	हरदोई (पूर्व)
४०—किशन स्वरूप भटनागर, श्री	...	खुर्जा
४१—कुंवर कृष्ण वर्मा, श्री	...	सुल्तानपुर (पश्चिम)
४२—कृपाशंकर, श्री	...	हरैया (पूर्व)-बस्ती (पश्चिम)

४३--कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री .. सीतापुर (दक्षिण-पूर्व)
४४--कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री ... ललितपुर (दक्षिण)
४५--कृष्ण शरण आर्य, श्री ... मिलक (दक्षिण)-शाहाबाद
४६--केदारनाथ, श्री .. मुरादाबाद (दक्षिण)
४७--केवल सिंह, श्री .. सिकन्दराबाद (पूर्व)
४८--केशभान राय, श्री .. बांसगांव (मध्य)
४९--केशव गुप्त, श्री .. कैराना (उत्तर)
५०--केशव पाण्डेय, श्री ... गोरखपुर (उत्तर-पूर्व)
५१--केशवराम, श्री ... सहसवान (पूर्व)
५२--कैलाशप्रकाश, श्री ... मेरठ नगरपालिका
५३--खयालीराम, श्री ... अमरोहा (पूर्व)
५४--खुशीराम, श्री ... पिथौरागढ़-चम्पावत
५५--खूब सिंह, श्री ... धामपुर (उत्तर-पूर्व)-नगीना (पूर्व)
५६--गंगाधर, श्री .. चमोली (पश्चिम)-पौड़ी (उत्तर)
५७--गंगाधर जाटव, श्री .. फीरोजाबाद-फतेहाबाद
५८--गंगाधर शर्मा, श्री ... मिश्रिख
५९--गंगाप्रसाद, श्री ... तरबगंज (दक्षिण-पूर्व)-गोंडा (दक्षिण)
६०--गंगाप्रसाद सिंह, श्री .. रसड़ा (पश्चिम)
६१--गजेन्द्र सिंह, श्री ... बिधूना (पूर्व)
६२--गज्जूराम, श्री ... मऊ-मोठ (दक्षिण)-झांसी (पश्चिम)-ललितपुर (उत्तर)।
६३--गणेशचन्द्र काछी, श्री .. मैनपुरी (उत्तर)-भोगांव (उत्तर)
६४--गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री ... इलाहाबाद नगर (पूर्व)
६५--गणेशप्रसाद पाण्डेय, श्री ... बांसगांव (दक्षिण-पश्चिम)
६६--गिरजा रमण शुक्ल, श्री ... पट्टी (दक्षिण)
६७--गिरधारी लाल, श्री ... धामपुर (उत्तर-पूर्व)-नगीना (पूर्व)
६८--गुप्तार सिंह, श्री ... डलमऊ (दक्षिण-पश्चिम)
६९--गुरु प्रसाद पाण्डेय, श्री ... खजुहा (पश्चिम)
७०--गुरुप्रसाद सिंह, श्री ... मुसाफिरखाना (दक्षिण)-अमेठी (पश्चिम)
७१--गुलजार, श्री .. मुसाफिरखाना (उत्तर)-सुल्तानपुर (उत्तर)
७२--गेंदा सिंह, श्री ... पडरौना (पूर्व)
७३--गोपीनाथ दीक्षित, श्री ... इटावा (दक्षिण)
७४--गोवर्धन तिवारी, श्री ... अल्मोड़ा (दक्षिण)
७५--गोविन्द वल्लभ पन्त, श्री ... बरेली नगरपालिका
७६--गौरीराम, श्री ... फरेंदा (मध्य)
७७--घन श्यामदास, श्री .. नवाबगंज (दक्षिण)-हैदरगढ़-रामसनेही-घाट
७८--घासीराम जाटव, श्री ... बिधूना (पश्चिम)-भरथना (उत्तर)-इटावा (उत्तर)
७९--चतुर्भुज शर्मा, श्री .. उरई-जालौन (दक्षिण)
८०--चन्द्रपाल वाजपेयी, श्री ... डलमऊ (पूर्व)
८१--चन्द्रभानु गुप्त, श्री ... लखनऊ नगर (पूर्व)
८२--चन्द्रभानु शरण सिंह, श्री ... तरबगंज (दक्षिण-पूर्व)-गोंडा (दक्षिण)
८३--चन्द्रवती, श्रीमती ... बिजनौर (मध्य)
८४--चन्द्रसिंह रावत, श्री .. पौड़ी (दक्षिण)-चमोली (पूर्व)
८५--चन्द्रहास, श्री ... हरदोई (पूर्व)

८६—चरण सिंह, श्री ... बागपत (पश्चिम)
८७—चित्तर सिंह निरंजन, श्री ... कोंच
८८—चिरंजीलाल जाटव, श्री ... जलेसर एटा (उत्तर)
८९—चिरंजीलाल पालीवाल, श्री ... छिबरामऊ (दक्षिण)-कन्नौज (दक्षिण)
९०—चुन्नीलाल सगर, श्री ... बिसौली-गुन्नौर (पूर्व)
९१—छेदालाल, श्री ... शाहाबाद (पूर्व)-हरदोई (उत्तर-पश्चिम)
९२—छेदालाल चौधरी, श्री ... लखीमपुर (दक्षिण)
९३—जगतनारायण, श्री ... नवाबगंज (उत्तर)
९४—जगदीश प्रसाद, श्री ... हसनपुर (दक्षिण)-सम्भल (पश्चिम)
९५—जगदीशसरन रस्तोगी, श्री .. सम्भल (पूर्व)
९६—जगनप्रसाद रावत, श्री ... खैरगढ़
९७—जगन्नाथ प्रसाद, श्री ... निघासन-लखीमपुर (उत्तर)
९८—जगन्नाथबख्श दास, श्री ... रामसनही घाट
९९—जगन्नाथ मल्ल, श्री ... पडरौना (उत्तर)
१००—जगन्नाथ सिंह, श्री ... बलिया (उत्तर-पूर्व)-बांसडीह (दक्षिण-पश्चिम)
१०१—जगपति सिंह, श्री ... मऊ-करवी-बबेरू (पूर्व)
१०२—जगमोहन सिंह नेगी, श्री ... लैन्सडाउन (पश्चिम)
१०३—जटाशंकर शुक्ल, श्री ... पुरवा (उत्तर)-हसनगंज
१०४—जयपाल सिंह, श्री ... रुड़की (पश्चिम)-सहारनपुर (उत्तर)
१०५—जयराम वर्मा, श्री ... अकबरपुर (पश्चिम)
१०६—जयेन्द्रसिंह विष्ट, श्री ... खेन-टेहरी (उत्तर)
१०७—जवाहरलाल, श्री .. करछना (उत्तर)-चायल (दक्षिण)
१०८—जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर ... कानपुर नगर (पूर्व)
१०९—जुगलकिशोर, श्री ... मथुरा (दक्षिण)
११०—जोरावर वर्मा, श्री ... महोबा कुलपहाड़-चरखारी
१११—ज्वालाप्रसाद सिन्हा, श्री ... गोंडा (पश्चिम)
११२—झारखण्डे राय, श्री ... घोसी (पश्चिम)
११३—टीकाराम, श्री .. संडीला-बिलग्राम (दक्षिण-पूर्व)
११४—डल्लाराम, श्री .. मिश्रिख
११५—डालचन्द, श्री ... माट-सादाबाद (पश्चिम)
११६—ताराचन्द माहेश्वरी, श्री ... सिधौली (पश्चिम)
११७—तिरमल सिंह, श्री ... कासगंज (उत्तर)
११८—तुलसीराम, श्री ... बदायूं (दक्षिण-पश्चिम)
११९—तुलाराम, श्री ... औरैया-भरथना (दक्षिण)
१२०—तुलाराम रावत, श्री ... मलिहाबाद-बाराबंकी (उत्तर-पश्चिम)
१२१—तेजप्रताप सिंह, श्री ... मौदहा (दक्षिण)
१२२—तेजबहादुर, श्री ... लालगंज (उत्तर)
१२३—तेजासिंह, श्री ... गाजियाबाद (उत्तर-पश्चिम)
१२४—त्रिलोकीनाथ कौल, श्री ... बहराइच (पश्चिम)
१२५—दयालदास भगत, श्री ... घाटमपुर-भोगनीपुर (पूर्व)
१२६—दर्शनराम, श्री ... मऊ-करवी-बबेरू (पूर्व)
१२७—दलबहादुर सिंह, श्री ... सलोन (दक्षिण)
१२८—दाऊदयाल खन्ना, श्री ... मुरादाबाद (उत्तर)
१२९—दाताराम, श्री ... नकुड़ (दक्षिण)

१३०—दीनदयालु शर्मा, श्री ... अनूपशहर (उत्तर)
१३१—दीनदयालु शास्त्री, श्री ... रुड़की (पूर्व)
१३२—दीपनारायण वर्मा, श्री ... जौनपुर (पश्चिम)
१३३—देवकी नन्दन विभव, श्री .. आगरा
१३४—देवदत्त मिश्र, श्री ... पुरवा (दक्षिण)
१३५—देवदत्त शर्मा, श्री ... बुलन्दशहर (दक्षिण)--अनूपशहर (दक्षिण)
१३६—देवनन्दन शुक्ल, श्री ... सलीमपुर (पश्चिम)
१३७—देवमूर्ति राम, श्री ... बनारस (पश्चिम)
१३८—देवराम, श्री ... सैदपुर
१३९—देवेन्द्रप्रताप नारायण सिंह, श्री ... गोरखपुर (पश्चिम)
१४०—द्वारका प्रसाद मित्तल, श्री ... मुजफ्फरनगर (मध्य)
१४१—द्वारका प्रसाद मौर्य्य, श्री .. मड़ियाहूं (उत्तर)
१४२—द्वारिका प्रसाद पाण्डेय, श्री ... फरेंदा (दक्षिण)
१४३—धनुषधारी पाण्डेय, श्री .. खलीलाबाद (दक्षिण)
१४४—धर्म सिंह, श्री ... बुलन्दशहर (दक्षिण)--अनूपशहर (दक्षिण)
१४५—धर्मदत्त वैद्य, श्री ... बहेड़ी (दक्षिण—पश्चिम)—बरेली (पश्चिम)
१४६—नत्थू सिंह, श्री .. आंवों (पूर्व)—फरीदपुर
१४७—नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री ... हाथरस
१४८—नरदेव शास्त्री, श्री ... पश्चिमीय दून दक्षिण—पूर्वीय दून
१४९—नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री ... पिथौरागढ़—चम्पावत
१५०—नरोत्तम सिंह, ... दातागंज (दक्षिण)—बदायूं (दक्षिण—पूर्व)
१५१—नवल किशोर, श्री ... आंवला (पश्चिम)
१५२—नागेश्वर द्विवेदी, श्री ... मछलीशहर (उत्तर)
१५३—नाजिम अली, श्री ... मुसाफिरखाना (उत्तर)—सुल्तानपुर (उत्तर)।
१५४—नारायणदत्त तिवारी, श्री .. नैनीताल (उत्तर)
१५५—नारायण दास, श्री ... फैजाबाद (पूर्व)
१५६—नारायणदीन, श्री ... पवायां—शाहजहांपुर (पूर्व)
१५७—निरंजन सिंह, श्री ... पीलीभीत (पूर्व)—बीजलपुर (पश्चिम)
१५८—निहालुद्दीन, श्री ... बदायूं (उत्तर)
१५९—नेकराम शर्मा, श्री ... सिकन्दराराव (दक्षिण)
१६०—नेत्रपाल सिंह, श्री ... सिकन्दराराव (उत्तर)—कोइल (दक्षिण—पूर्व)।
१६१—नौरंगलाल, श्री ... नवाबगंज
१६२—पद्मनाथ सिंह, श्री ... मुहम्मदाबाद—गोहना (दक्षिण)
१६३—परमानन्द सिन्हा, श्री ... सोरांव (दक्षिण)
१६४—परमेश्वरी राम, श्री ... केराकत—जौनपुर (दक्षिण)
१६५—परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री ... महाराजगंज (उत्तर)
१६६—पहलवान सिंह चौधरी, श्री ... बांदा
१६७—पातीराम, श्री ... छिबरामऊ (पूर्व)—फर्रुखाबाद (पूर्व)
१६८—पुत्तूलाल, श्री .. एतमादपुर—आगरा (पूर्व)
१६९—पुद्दनराम, श्री ... बांसी (उत्तर)
१७०—पुलिनविहारी बनर्जी, श्री ... लखनऊ नगर (पश्चिम)
१७१—प्रकाशवती सूद, श्रीमती ... हापुड़ (उत्तर)
१७२—प्रतिपाल सिंह, श्री ... शाहजहांपुर (पश्चिम)—जलालाबाद (पूर्व)
१७३—प्रभाकर शुक्ल, श्री ... हरैया (उत्तर—पश्चिम)

१७४--प्रभुदयाल, श्री ... बस्ती (पश्चिम)
१७५--प्रेमकिशन खन्ना, श्री ... पवायां-शाहजहांपुर (पूर्व)
१७६--फजलुल हक़, श्री ... रामपुर नगर
१७७--फतेह सिंह, श्री ... जलेसर-एटा (उत्तर)
१७८--फतेह सिंह राणा, श्री ... सरधना (पश्चिम)
१७९--फूल सिंह, श्री ... देवबन्द
१८०--बद्रीनारायण मिश्र, श्री ... सलीमपुर (दक्षिण)
१८१--बनारसी दास, श्री .. बुलन्दशहर (मध्य)
१८२--बलदव सिंह, श्री ... बनारस (मध्य)
१८३--बलदेव सिंह आर्य, श्री ... पौड़ी (दक्षिण)-चमोली (पूर्व)
१८४--बलवीर सिंह, श्री ... गाजियाबाद (दक्षिण)
१८५--बलभद्र प्रसाद शुक्ल, श्री ... उतरौला (उत्तर)
१८६--बलवन्त सिंह, श्री ... मुजफ्फरनगर (पूर्व)--जानसठ (उत्तर)
१८७--बशीर अहमद हकीम, श्री ... सीतापुर (पूर्व)
१८८--बसन्तलाल, श्री ... कालपी-जालौन (उत्तर)
१८९--बसन्तलाल शर्मा, श्री ... नानपारा (उत्तर)
१९०--बाबूनन्दन, श्री ... शाहगंज (पूर्व)
१९१--बाबूराम गुप्त, श्री ... कासगंज (पश्चिम)
१९२--बाबूलाल कुसुमेश, श्री रामसनेहीघाट
१९३--बाबूलाल मित्तल, श्री ... आगरा नगर (उत्तर)
१९४--बालेन्दुशाह, महाराजकुमार ... टेहरी (दक्षिण)-प्रतापनगर
१९५--बिशम्भर सिंह, श्री ... सरधना (पूर्व)
१९६--बचनराम, श्री ... ज्ञानपुर (उत्तर-पश्चिम)
१९७--बेचनराम गुप्त, श्री ... ज्ञानपुर (पूर्व)
१९८--बेनीसिंह, श्री ... कानपुर तहसील
१९९--बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री ... बांसडीह (मध्य)
२००--बैजूराम, श्री ... सिधौली (पश्चिम)
२०१--ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री ... कानपुर नगर (दक्षिण)
२०२--भगवतीदीन तिवारी, श्री ... जौनपुर (उत्तर)-शाहगंज (पश्चिम)
२०३--भगवतीप्रसाद दुबे, श्री ... बांसगांव (पूर्व)-गोरखपुर (दक्षिण)
२०४--भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री ... प्रतापगढ़ (पूर्व)
२०५--भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री ... फतेहपुर (दक्षिण)
२०६--भगवानदीन मिश्र, श्री ... कैसरगंज (उत्तर)
२०७--भगवानदीन वाल्मीकि, श्री ... फतेहपुर (दक्षिण)-खागा (दक्षिण)
२०८--भगवान सहाय, श्री ... तिलहर (दक्षिण)
२०९--भीमसेन, श्री ... खुर्जा
२१०--भुवरजी, श्री ... फूलपुर (पूर्व)-हंडिया (उत्तर-पश्चिम)
२११--भूपाल सिंह खाती, श्री ... अल्मोड़ा (उत्तर)
२१२--भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री .. बांसगांव (दक्षिण-पूर्व)
२१३--भोला सिंह यादव, श्री .. गाजीपुर (दक्षिण-पश्चिम)
२१४--मकसूद आलम खां, श्री ... पीलीभीत (पश्चिम)
२१५--मंगलाप्रसाद, श्री ... मेजा-करछना (दक्षिण)
२१६--मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री ... फर्रुखाबाद (पश्चिम)-छिबरामऊ
२१७--मथुराप्रसाद पाण्डेय, श्री ... बांसी (उत्तर)
२१८--मदनगोपाल वैद्य, श्री ... फैजाबाद (पूर्व)
२१९--मदनमोहन उपाध्याय, श्री ... रानीखेत (उत्तर)

२२०—मन्नीलाल गुरुदेव, श्री ... महोबा-कुलपहाड़-चरखारी
२२१—मलखान सिंह, श्री .. कोइल (मध्य)
२२२—महमूद अली खां, श्री ... सुमर-टांडा-बिलासपुर
२२३—महमूद अली खां, श्री ... सहारनपुर (उत्तर-पश्चिम)-नकुड़ (उत्तर)
२२४—महाजन, श्री सी० बी० ... आगरा नगर (पश्चिम)
२२५—महादेव प्रसाद, श्री ... गोरखपुर (उत्तर-पूर्व)
२२६—महाराज सिंह, श्री ... शिकोहाबाद (पश्चिम)
२२७—महावीर प्रसाद शुक्ल, श्री ... हंडिया (दक्षिण)
२२८—महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री ... मोहनलाल गंज
२२९—महीलाल, श्री ... बिलारी
२३०—मान्धाता सिंह, श्री ... रसरा (पूर्व)-बलिया (दक्षिण-पश्चिम)
२३१—मिजाजी लाल, श्री ... करहल (पूर्व)-भोगांव (दक्षिण)
२३२—मिहरबान सिंह, श्री ... बिधूना (पश्चिम)-भरथना (उत्तर)-इटावा (उत्तर)
२३३—मुजफ्फर हसन, श्री ... चायल (उत्तर)
२३४—मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री ... पूरनपुर-बीसलपुर (पूर्व)
२३५—मुन्नूलाल, श्री ... बिसवां-सिधौली (पूर्व)
२३६—मुरलीधर कुरील, श्री ... बिल्हौर-अकबरपुर
२३७—मुश्ताक अली खां, श्री ... महसवान (पश्चिम)
२३८—मुहम्मद अदील अब्बासी, श्री ... डुमरियागंज (दक्षिण)
२३९—मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री ... बिजनौर (उत्तर)-नजीबाबाद (पश्चिम)
२४०—मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री .. बनारस नगर (उत्तर)
२४१—मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज ... नगीना (दक्षिण-पश्चिम)-धामपुर (उत्तर-पूर्व)
२४२—मुहम्मद तक़ी हादी, श्री ... अमरोहा (पश्चिम)
२४३—मुहम्मद नबी, श्री ... बुढ़ाना (पूर्व)-जानसठ (दक्षिण)
२४४—मुहम्मद नसीर, श्री ... टांडा
२४५—मुहम्मद फारूक चिश्ती, श्री ... देवरिया (उत्तर-पूर्व)
२४६—मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री ... सहारनपुर नगर
२४७—मुहम्मद रऊफ जाफ़री, श्री ... मछलीशहर (दक्षिण)
२४८—मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री ... उतरौला (मध्य)
२४९—मुहम्मद सआदत अली खां, राजा नानपारा (दक्षिण)
२५०—मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री ... डुमरियागंज (उत्तर-पूर्व)-बांसी (पश्चिम)
२५१—मोहनलाल, श्री ... सफीपुर-उन्नाव (उत्तर)
२५२—मोहनलाल गौतम, श्री ... खैर-कोइल (उत्तर-पश्चिम)
२५३—मोहन सिंह, श्री ... बुलन्दशहर (उत्तर-पूर्व)
२५४—मोहन सिंह शाक्य, श्री ... अलीगंज (दक्षिण)
२५५—यमुनाप्रसाद, श्री ... बहराइच (पश्चिम)
२५६—यमुना सिंह, श्री ... गाजीपुर (मध्य)-मुहम्मदाबाद (उत्तर-पश्चिम)
२५७—यशोदा देवी, श्रीमती ... बांसगांव (दक्षिण-पश्चिम)
२५८—रघुनाथप्रसाद, श्री ... मेजा-करछना (दक्षिण)
२५९—रघुराज सिंह, श्री ... तरबगंज (पश्चिम)
२६०—रघुवीर सिंह, श्री ... बागपत (दक्षिण)
२६१—रणञ्जय सिंह, श्री ... अमेठी (मध्य)
२६२—रतनलाल जैन, श्री ... नजीबाबाद (उत्तर)-नगीना (उत्तर)
२६३—रमानाथ खैरा, श्री ... महरौनी

२६४--रमेशचन्द्र शर्मा, श्री ... मड़ियाहू (दक्षिण)
२६५--रमेश वर्मा, श्री ... किराउली
२६६--राघवेन्द्र प्रताप सिंह, राजा .. उतरौला (दक्षिण-पश्चिम)
२६७--राजकिशोर राव, श्री ... बहराइच (पूर्व)
२६८--राजकुमार शर्मा, श्री ... चुनार (उत्तर)
२६९--राजदेव उपाध्याय, श्री ... हाटा (उत्तर)
२७०--राजनारायण, श्री .. बनारस (दक्षिण)
२७१--राजनारायण सिंह, श्री ... चुनार (दक्षिण)
२७२--राजवंशी, श्री ... पडरौना (दक्षिण-पश्चिम)-देवरिया (दक्षिण-पूर्व)

२७३--राजाराम, श्री ... अतरौली (दक्षिण)-कोइल (पूर्व)
२७४--राजाराम किसान, श्री ... प्रतापगढ़ (पश्चिम)-कुण्डा (उत्तर)
२७५--राजाराम मिश्र, श्री ... फैजाबाद (पश्चिम)
२७६--राजाराम शर्मा, श्री ... खलीलाबाद (उत्तर)
२७७--राजेन्द्रदत्त, श्री .. मुजफ्फरनगर (पश्चिम)
२७८--राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री ... बिलग्राम (पूर्व)
२७९--राधामोहन सिंह, श्री ... बलिया (पूर्व)
२८०--रामअधार तिवारी, श्री .. प्रतापगढ़ (उत्तर-पश्चिम)-पट्टी (उत्तर-पश्चिम)

२८१--रामअधीन सिंह यादव, श्री ... पुरवा (मध्य)
२८२--रामअनन्त पाण्डेय, श्री ... बलिया (मध्य)
२८३--रामअवध सिंह, श्री ... फरेंदा (उत्तर)
२८४--रामकिंकर, श्री ... प्रतापगढ़ (उत्तर-पश्चिम)-पट्टी (उत्तर-पश्चिम)

२८५--रामकुमार शास्त्री, श्री .. बांसी (दक्षिण)
२८६--रामकृष्ण जैसवार, श्री .. मिर्जापुर (दक्षिण)
२८७--रामगुलाम सिंह, श्री ... जलालाबाद (पश्चिम)
२८८--रामचन्द्र विकल, श्री ... सिकन्दराबाद (पश्चिम)
२८९--रामचरनलाल गंगवार, श्री ... बरेली (पश्चिम)
२९०--रामजीलाल सहायक, श्री ... मवाना
२९१--रामजीसहाय, श्री ... देवरिया (दक्षिण-पश्चिम)-हाटा (दक्षिण-पश्चिम)

२९२--रामदास आर्य, श्री .. बुढ़ाना (पूर्व)-जानसठ (दक्षिण)
२९३--रामदास रविदास, श्री ... अकबरपुर (पश्चिम)
२९४--रामदुलारे मिश्र, श्री ... अकबरपुर (दक्षिण)
२९५--रामनरेश शुक्ल, श्री .. कुण्डा (दक्षिण)
२९६--रामनाथ तिवारी, श्री ... देवरिया (दक्षिण)
२९७--रामनारायण त्रिपाठी, श्री ... अकबरपुर (पूर्व)
२९८--रामप्रसाद, श्री .. रायबरेली-डलमऊ (उत्तर)
२९९--रामप्रसाद देशमुख, श्री .. खैर-कोइल (उत्तर-पश्चिम)
३००--रामप्रसाद नौटियाल, श्री .. लैन्सडाउन (पूर्व)
३०१--रामप्रसाद सिंह, श्री ... महाराजगंज (दक्षिण)
३०२--रामबली मिश्र, श्री ... सुल्तानपुर (पूर्व)-अमेठी (पूर्व)
३०३--रामभजन, श्री ... मोहम्मदी (पश्चिम)
३०४--राममूर्ति, श्री ... बहेड़ी (उत्तर-पूर्व)
३०५--रामरतन प्रसाद, श्री ... रसरा (पूर्व)-बलिया (दक्षिण-पश्चिम)

३०६--रामराज शुक्ल, श्री ... पट्टी (पूर्व)
३०७--रामलखन, श्री .. चकिया-चन्दौली (दक्षिण-पूर्व)
३०८--रामलखन मिश्र, श्री ... डुमरियागंज (उत्तर-पश्चिम)
३०९--रामलाल, श्री .. बस्ती (पश्चिम)
३१०--रामवचन यादव, श्री .. फूलपुर (दक्षिण)
३११--रामशंकर द्विवेदी, श्री .. रायबरेली-डलमऊ (उत्तर)
३१२--रामशंकर रविवासी, श्री .. लखनऊ (मध्य)
३१३--रामसनेही भारतीय, श्री ... बबेरी (पश्चिम)
३१४--रामसहाय शर्मा, श्री ... गरोधा-मोठ (उत्तर)
३१५--रामसुन्दर पाण्डेय, श्री .. घोसी (पूर्व)
३१६--रामसुन्दरराम, श्री .. खलीलाबाद (दक्षिण)
३१७--रामसुभग वर्मा, श्री ... पडरौना (पश्चिम)
३१८--रामसुमेर, श्री ... टांडा
३१९--रामस्वरूप, श्री .. दूधी-राबर्ट्सगंज
३२०--रामस्वरूप गुप्त, श्री ... भोगनीपुर (पश्चिम)-डेरापुर (दक्षिण)
३२१--रामस्वरूप भारतीय, श्री .. कुण्डा (दक्षिण)
३२२--रामस्वरूप मिश्र "विशारद", श्री .. महाराजगंज (पश्चिम)
३२३--रामहरख यादव, श्री ... बीकापुर (पश्चिम)
३२४--रामहेत सिंह, श्री .. छत्ता
३२५--रामेश्वरप्रसाद, श्री ... महाराजगंज (पश्चिम)
३२६--लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री .. नैनीताल (दक्षिण)
३२७--लक्ष्मणराव कदम, श्री .. मऊ-मोठ (दक्षिण)-झांसी (पश्चिम)-ललितपुर (उत्तर)
३२८--लक्ष्मीदेवी, श्रीमती .. संडीला-बिलग्राम (दक्षिण-पूर्व)
३२९--लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री ... माट-सादाबाद (पश्चिम)
३३०--लक्ष्मीशंकर यादव, श्री ... शाहगंज (पूर्व)
३३१--लतीफत हुसैन, श्री ... हसनपुर (उत्तर)
३३२--लालबहादुर सिंह, श्री ... केराकत-जौनपुर (दक्षिण)
३३३--लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री ... बनारस (उत्तर)
३३४--लीलाधर अष्ठाना, श्री ... उन्नाव (दक्षिण)
३३५--लुत्फअली खां, श्री .. हापुड़ (दक्षिण)
३३६--लेखराज सिंह, श्री .. सम्भल (पूर्व)
३३७--वंशनारायण सिंह, श्री .. ज्ञानपुर (उत्तर-पश्चिम)
३३८--वंशीदास धनगर, श्री ... करहल (पश्चिम)-शिकोहाबाद (पूर्व)
३३९--वंशीधर मिश्र, श्री ... लखीमपुर (दक्षिण)
३४०--वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री .. गाजीपुर (दक्षिण-पूर्व)
३४१--वसी नकवी, श्री ... महाराजगंज (पूर्व)-सलोन (उत्तर)
३४२--वासुदेव प्रसाद मिश्र, श्री ... कानपुर नगर (मध्य-पश्चिम)
३४३--विचित्रनारायण शर्मा, श्री ... गाजियाबाद (उत्तर-पूर्व)
३४४--विजयशंकर प्रसाद, श्री ... मुहम्मदाबाद (दक्षिण)
३४५--विद्यावती राठौर, श्रीमती .. एटा (पूर्व)-अलीगढ़ (पश्चिम)-कासगंज (दक्षिण)
३४६--विश्वनाथ सिंह गौतम, श्री .. गाजीपुर (पश्चिम)
३४७--विश्वम्भरनाथ पाण्डेय, श्री .. इलाहाबाद नगर (मध्य)
३४८--विष्णु दयाल वर्मा, श्री ... जसराना

३४९—विष्णुशरण दुबिलश, श्री ... मवाना
३५०—वीरसेन, श्री ... हापुड़ (दक्षिण)
३५१—वीरेन्द्रनाथ मिश्र, श्री ... बिलग्राम (पश्चिम)
३५२—वीरेन्द्रपति यादव, श्री ... मैनपुरी (दक्षिण)
३५३—वीरेन्द्र वर्मा, श्री ... कैराना (दक्षिण)
३५४—वीरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री ... नानपारा (पूर्व)
३५५—वीरेन्द्रशाह, राजा ... कालपी–जालौन (उत्तर)
३५६—व्रजभूषण मिश्र, श्री ... दूधी–राबर्टसगंज
३५७—व्रजरानी मिश्र, श्रीमती ... बिल्हौर–अकबरपुर
३५८—व्रजवासीलाल, श्री ... बीकापुर (मध्य)
३५९—व्रजविहारी मिश्र, श्री ... फूलपुर (उत्तर)
३६०—व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री ... घाटमपुर–भोगनीपुर (पूर्व)
३६१—शंकरलाल, श्री ... कादीपुर (मध्य)
३६२—शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री ... बाह
३६३—शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री . चकराता–पश्चिमी दून (उत्तर)
३६४—शिवकुमार पाण्डेय, श्री ... सिराथू–मन्झनपुर
३६५—शिवकुमार मिश्र, श्री ... तिलहर (उत्तर)
३६६—शिवकुमार शर्मा, श्री ... बिजनौर (दक्षिण)–धामपुर (दक्षिण-पश्चिम)
३६७—शिवदान सिंह, श्री ... इगलास
३६८—शिवनाथ काटजू, श्री ... फूलपुर (मध्य)
३६९—शिवनारायण, श्री ... हरैया (पूर्व)–बस्ती (पश्चिम)
३७०—शिवपूजन राय, श्री ... मुहम्मदाबाद (उत्तर–पूर्व)
३७१—शिवप्रसाद, श्री ... हाटा (मध्य)
३७२—शिवमंगल सिंह, श्री ... बांसडीह (पश्चिम)
३७३—शिवमंगल सिंह कपूर, श्री ... डुमरियागंज (पश्चिम)
३७४—शिवराजबली सिंह, श्री .. खजुहा (पूर्व)–फतेहपुर (दक्षिण–पश्चिम)
३७५—शिवराज सिंह यादव, श्री ... बिसौली–गुन्नौर (पूर्व)
३७६—शिवराम पाण्डेय, श्री ... डोरापुर (उत्तर)
३७७—शिवराम राय, श्री ... सदर (आजमगढ़) उत्तर
३७८—शिववक्ष सिंह राठौर, श्री ... करहल (पूर्व)–भोगांव (दक्षिण)
३७९—शिववचन राव, श्री ... सलीमपुर (उत्तर)
३८०—शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री . बहराइच (पूर्व)
३८१—शिवस्वरूप सिंह, श्री ... ठाकुरद्वारा
३८२—शुकदेवप्रसाद, श्री ... महाराजगंज (दक्षिण)
३८३—शुगनचन्द, श्री ... रुड़की (पश्चिम)–सहारनपुर (उत्तर)
३८४—श्याममनोहर मिश्र, श्री ... मलिहाबाद–बाराबंकी (उत्तर–पश्चिम)
३८५—श्यामलाल, श्री ... उतरौला (उत्तर)
३८६—श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री ... नरैनी
३८७—श्रीचन्द, श्री ... बुढ़ाना (पश्चिम)
३८८—श्रीनाथ भार्गव, श्री ... मथुरा (उत्तर)
३८९—श्रीनाथराम, श्री ... मुहम्मदाबाद (उत्तर)–घोसी (दक्षिण)
३९०—श्रीनिवास, श्री ... उतरौली (उत्तर)
३९१—श्रीपति सहाय, श्री ... राठ
३९२—सईद जहां मखफी शेरवानी, श्रीमती .. कासगंज (पूर्व)–अलीगंज (उत्तर)
३९३—संग्राम सिंह, श्री ... सोरों (उत्तर)–फूलपुर (पश्चिम)

३९४—सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री ... सलीमपुर (पूर्व)
३९५—सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती ... गोंडा (पूर्व)
३९६—सत्यनारायण दत्त, श्री ... औरय्या-भरथना (दक्षिण)
३९७—सत्यसिंह राणा, श्री ... देवप्रयाग
३९८—सत्यानन्द, श्री ... सगरी (पूर्व)
३९९—सफिया अब्दुल वाजिद, श्रीमती ... बरेली (पूर्व)
४००—सम्पूर्णानन्द, डाक्टर ... बनारस नगर (दक्षिण)
४०१—सावित्री देवी, श्रीमती ... मुसाफिरखाना (मध्य)
४०२—सियाराम गंगवार, श्री ... फर्रुखाबाद (मध्य)-कायमगंज (पूर्व)
४०३—सियाराम चौधरी, श्री ... कैसरगंज (मध्य)
४०४—सीताराम, डाक्टर ... देवरिया (दक्षिण-पश्चिम)-हाटा (दक्षिण-पश्चिम)
४०५—सीताराम शुक्ल, श्री ... हरैया (दक्षिण-पश्चिम)
४०६—सुखीराम भारतीय, श्री ... सिराथू-मन्झनपुर
४०७—सुन्दरलाल, श्री ... आंवला (पूर्व)-फरीदपुर
४०८—सुरजूराम, श्री ... सदर (आजमगढ़) (उत्तर)
४०९—सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री ... हमीरपुर-मौदहा (उत्तर)
४१०—सुरेशप्रकाश सिंह, श्री ... बिसवां-सिधौली (पूर्व)
४११—सुल्तान आलम खां, श्री ... कायमगंज (पश्चिम)
४१२—सूर्य्य प्रसाद अवस्थी, श्री ... कानपुर नगर (उत्तर)
४१३—सूर्य्यबली पाण्डेय, श्री .. हाटा (मध्य)
४१४—सेवाराम, श्री ... पुरवा (उत्तर)-हसनगंज
४१५—हबीबुर्रहमान अन्सारी, श्री ... सफीपुर-उन्नाव (उत्तर)
४१६—हबीबुर्रहमान आजमी, श्री ... मुहम्मदाबाद (उत्तर)-घोसी (दक्षिण)
४१७—हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री ... शाहजहांपुर (मध्य)
४१८—हमीद खां, श्री ... कानपुर नगर (मध्य-पूर्व)
४१९—हरखपाल सिंह, श्री ... बागपत (पूर्व)
४२०—हरगोविन्द पन्त, श्री ... रानीखेत (दक्षिण)
४२१—हरगोविन्द सिंह, श्री ... जौनपुर (पूर्व)
४२२—हरदयाल सिंह पिपल, श्री ... हाथरस
४२३—हरदेव सिंह, श्री ... देवबन्द
४२४—हरसहाय गुप्त, श्री ... बिलारी
४२५—हरिप्रसाद, श्री ... बिसलपुर (मध्य)
४२६—हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री ... सीतापुर (उत्तर-पश्चिम)
४२७—हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री ... लखनऊ (मध्य)
४२८—हरिसिंह, श्री ... हापुड़ (उत्तर)
४२९—हेमवतीनन्दन बहुगुना, श्री ... करछना (उत्तर)-चायल (दक्षिण)
४३०—होतीलाल दास, श्री ... एटा (दक्षिण)
४३१—[रिक्त] ... कैसरगंज (दक्षिण)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

के

पदाधिकारी

श्री अध्यक्ष

श्री आत्माराम गोविन्द खर, बी० ए०, एल-एल० बी० ।

श्री उपाध्यक्ष

श्री हरगोविन्द पन्त, बी० ए०, एल०-एल० बी० ।

सचिव

श्री कैलासचन्द्र भटनागर, एम० ए० ।

सहायक सचिव

श्री कृष्णबहादुर सक्सेना, बी० ए० ।

विशेषाधिकारी

श्री राधेरमण सक्सेना, एम० ए०, एल-एल० बी०, डी० एल० एस-सी० ।

अधीक्षक

श्री रामप्रकाश, बी० काम०, एल-एल० बी० ।

श्री देवकी नन्दन मित्थल, एम० ए०, एल-एल० बी० ।

श्री भोलादत्त उपाध्याय ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मेरा पुरुषा दिव्यान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, ८ दिसम्बर, १९५२

विधान सभा की बैठक सभा मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३४५)

अक्षयवर सिंह, श्री
अतहर हुसैन ख्वाजा, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इसरारुल हक, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेद सिंह, श्री
उल्फत सिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
ओंकार सिंह, श्री
कन्हैया लाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमला सिंह, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करन सिंह, श्री
कल्याण राय, श्री
कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
किन्दर लाल, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवल सिंह, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पांडेय, श्री
कैलाश प्रकाश, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गिरधारी लाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसाद पांडेय, श्री
गुलजार, श्री
गेंदासिंह, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गोविन्दवल्लभ पन्त, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्याम दास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रपाल वाजपेयी, श्री

चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रभानु शरण सिंह, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरञ्जन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ बख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जुगलकिशोर, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
ज्वालाप्रसाद सिन्हा, श्री
झारखंडे राय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तुलसी राम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेंद्रप्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी राम, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनबिहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपालसिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेवसिंह श्री
बलदेवसिंह, आर्य, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्तसिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूलाल कुशुमेश, श्री
बिशम्भर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथप्रसाद सिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीदीन तिवारी, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन मिश्र, श्री
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवान सहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भूपालसिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
मकसूद आलम खां, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखानसिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महाराजसिंह, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनसिंह, श्री
मोहनसिंह शाक्य, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुराजसिंह, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रणञ्जयसिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रदत्त, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीन सिंह यादव, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनाथ तिवारी, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री

रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मी देवी, श्रीमती
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लताफत हुसैन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फअली खां, श्री
लेखराजसिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वशिष्टनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेवप्रसाद मिश्र, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्वनाथ सिंह गौतम, श्री
विश्वम्भरनाथ पांडेय, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकर लाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिवशरण लाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेवप्रसाद, श्री
शुगनचन्द्र, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईद जहां मखफी शेरवानी, श्रीमती
संग्रामसिंह, श्री
सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जन देवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरलाल, श्री
सुरजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हर खयाल सिंह, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री

हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरसहाय गुप्त, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र वाजपयी, श्री
हरिसिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुना, श्री
होती लाल दास, श्री

एडवोकेट जेनरल श्री कन्हैया लाल मिश्रा, भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

---

*१—२—श्री खुशीराम (जिला अल्मोड़ा)—[२२ दिसम्बर, १९५२ के लिये स्थगित किये गये।]

कुमायूं में बेदखली रोकने के उपाय

*३—श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि कुमायूं डिवीजन में बेदखली रोकने के लिये उसके द्वारा क्या क्या उपाय किये गए ?

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य)—सरकार ने पत्र संख्या २८७/१—अ, दिनांक १५ जुलाई, १९३८ द्वारा यह आदेश दिया कि कुमायूं डिवीजन में कोई भी काश्तकार जबरदस्ती बेदखल न किया जाय और जब तक कुमायूं नया काश्तकारी संबंधी कानून न बन जाय, तब तक बेदखली संबंधी समस्त वाद स्थगित कर दिये जायं, परन्तु ३१ अगस्त, १९४५ में यह आदेश दिये गये कि निम्नलिखित बेदखली संबंधी वाद प्रस्तुत किये जा सकेंगे—

(१) ऐसी दशा में जब कि बकाया लगान की डिक्री का रुपया १२ महीने से अधिक समय तक वसूल न हो पाया हो।

(२) जब किसी सिरतान ने पट्टे की शर्तों के प्रतिकूल भूमि का उपयोग किया हो और जब वह उसे अपनी असली हालत को न पहुंचा सका हो,

(३) जब कोई ऐसा व्यक्ति जो ३ सितम्बर, १९३९ से सशस्त्र सेनाओं (armed forces) में सेवा कर रहा हो या सेवा कर चुका हो अपनी ऐसी भूमि को जिसे वह स्वयं या उसका परिवार खेती करने के लिये चाहता हो, किसी सिरतान की बेदखली के लिये वाद प्रस्तुत करे। ऐसी दशाओं में यदि ऐसा व्यक्ति भूमि का संयुक्त स्वामी हो तो वाद सभी हिस्सेदारों द्वारा प्रस्तुत करना आवश्यक है।

सन् १९४८ में उपरोक्त आदेशों में निम्नलिखित संशोधन कर दिया गया—

सशस्त्र सेनाओं के ऐसे सैनिकों या भूतपूर्व सैनिकों को, बेदखली के वाद प्रस्तुत करने का अधिकार दिया गया, जिन्होंने ३१ अगस्त, १९४५ के बाद उस दशा को छोड़ कर जब किसी हिस्सेदार से भूमि भी ले ली गयी हो, किसी अन्य प्रकार से स्वामित्व के अधिकार प्राप्त किये हों।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री कृपा करके बतलायेंगे कि ३१ अगस्त, १९४५ के बाद अब तक कितने किसान इस समय तक बेदखल किये जा चुके हैं ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—इसमें नोटिस की आवश्यकता है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि घोड़ाखाल में रामपुर नवाब की स्टेट में कुछ बेदखलियां किसानों की हुई हैं, इसकी सूचना सरकार के पास आई है ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या सरकार को मालूम है कि पहाड़ में कुछ जमींदार किसानों के पास जो उनकी जमीन है उनसे उसको निकाल कर दूसरे किसानों के नाम कर रहे हैं और इस तरह किसानों को बेदखल किया जा रहा है ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--इसके लिये भी नोटिस की आवश्यकता है।

*४--श्री नारायणदत्त तिवारी--[२२ दिसम्बर, १९५२ के लिये स्थगित किया गया।]

*५--६--श्री गंगाधर मैठाणी (जिला गढ़वाल) (अनुपस्थित)--[देखिए आगे पृष्ठ ८ पर]

आगरा कलेक्टरी कचहरी में जनता के बैठने के स्थान का अभाव

*७--श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)--क्या सरकार को मालूम है कि आगरा कलक्टरी कचहरी में जनता के बैठने के लिये कोई स्थान नहीं है ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--आगरा कलक्टरी कचहरी में जनता के बैठने के लिये शासन की ओर से दो प्रशस्त शेड बने हुए हैं। इनमें से एक पहिले का ही है और दूसरा इसी उद्देश्य से अभी कुछ दिन हुए बनाया गया है।

श्री देवकीनन्दन विभव--क्या माननीय मंत्री जी को यह विदित है कि यह शेड वकीलों को किराये पर उठा दिये हैं ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--किराये पर नहीं उठा दिये गये हैं। वकील लोग इन शेडों में बैठते जरूर हैं।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)--क्या सरकार को मालूम है कि बहुत सी शिकायतें सरकार के पास आयी हैं कि ये शेड वकील लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और जनता के उपयोग में नहीं आ रहे हैं ?

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)--एक दफा एक शिकायत अलीगढ़ के सिलसिले में की गयी थी, सवालों के जरिये, बाकी आगरे के सिलसिले में अभी तक कोई शिकायत नहीं आई। वकील लोग अगर शेड में बैठते हैं तो उनके मुवक्किल और मुख्तार उनके बिस्तर पर बैठते हैं। अगर वकील लोग बाहर बैठेंगे तो मुवक्किलों को भी बाहर ही बैठना पड़ेगा।

मथुरा वेटेरिनरी कालेज से उत्तीर्ण असिस्टेंट सरजन का ग्रेड

*८--श्री इस्तफा हुसैन (जिला गोरखपुर)--मथुरा वेटेरिनरी कालेज से पास होने वाले वेटेरिनरी असिस्टेंट सरजन का क्या ग्रेड है ?

कृषि उपमंत्री (श्री जगनप्रसाद रावत)--२००-१५-३५० रु०। यह ग्रेड १ जुलाई, १९५१ से लागू है।

श्री इस्तफा हुसैन--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यह दो प्रकार के नानगजटेड और गजटेड आफिसर क्यों हैं और उनकी क्वालिफिकेशन में क्या अन्तर है ?

श्री जगनप्रसाद रावत--यह गजटेड अधिकारी जिस जिले में ज्यादा काम होता है, उस जिले में रखे जाते हैं और जिस जिले में कम काम होता है, उसमें यह नानगजटेड रखे जाते हैं। लेकिन अब जैसे-जैसे काम बढ़ता जाता है वैसे ही गजटेड आफिसर्स की तादाद भी बढ़ती जाती है।

श्री इस्तफा हुसैन--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यह अन्तर क्यों रखा गया है ?

श्री जगनप्रसाद रावत--यह तो मैं बतला चुका कि आवश्यकता को देखते हुये यह अन्तर रखा गया है ।

श्री इस्तफा हुसैन--क्या वेटेरिनरी असिस्टेंट सरजन जिला बेटेरिनरी अफसर के मातहत होते हैं ?

श्री जगनप्रसाद रावत--वेटेरिनरी असिस्टेंट सरजन तो अलग जिलों में होते हैं जो गजटड होत हैं, लेकिन जो वटेरिनरी असिस्टेंट नानगजटेड होते हैं, वह डिस्ट्रिक्ट वेटेरिनरी सरजन क मातहत होते हैं, जहां पर काम बड़ा होता है ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुना (जिला इलाहाबाद)--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इन गजटेड और नानगजटेड आफिसर्स की योग्यता के मुताबिक उनका ग्रेड भी अलग-अलग है ?

श्री जगनप्रसाद रावत--योग्यता और एक्सपीरियन्स के मुताबिक ही उनको नान-गजटेड से गजटेड बनाया जाता है ।

जिला लाइव स्टाक अधिकारी का ग्रेड

*९--श्री इस्तफा हुसैन--जिला लाइव स्टाक अधिकारी (D. L. O.) का ग्रेड इस समय क्या है ?

श्री जगनप्रसाद रावत--गजटेड जिला लाइव स्टाक अधिकारी २५०-२५-४००-३०-७००-५०-८५० रु० ग्रेड में है और जो गजटेड नहीं हैं, वह जिला लाइव स्टाक अधिकारी २००-१५-३५० रु० के ग्रेड में हैं।

परगना भौकरहेड़ी, जिला मुजफ्फरनगर की गांव समाज में निहित न होने वाली भूमि

*१०--श्री बलवन्त सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि १८ अक्तूबर, १९५२ ई० के सरकारी गजट में जो सूची परगना भौकरहेड़ी, जिला मुजफ्फरनगर की उस भूमि की दी गयी है जो गांव समाज में निहित नहीं होगी वह आखिरी कब तक की पड़ताल पर निर्भर है ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--यह सूची १३५८ फसली की पड़ताल के आधार पर बनायी गई है।

श्री बलवन्त सिंह--क्या सरकार को यह मालूम है कि इन पड़ताल के बाद और वैस्टिंग की तारीख तक बहुत से भूमि मालिकों ने अपनी भूमि को अपनी काश्त में ले लिया है ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--सरकार को यह मालूम नहीं है ।

श्री बलवन्त सिंह--क्या सरकार इस बात को जानने की कोशिश करेगी ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--इसके लिये कोई दरख्वास्त होगी तो जानने की कोशिश की जायगी ।

श्री नेकराम शर्मा--क्या माननीय मंत्री यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि क्या कारण है कि वह भूमि गांव सभा को ट्रान्सफर नहीं की गई ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--५० प्रतिशत से अधिक जो भूमि है वह बन विभाग को दे दी गई है, क्योंकि उसका इन्तजाम जो जंगलात वगैरा हैं वह वन विभाग के द्वारा ही हो सकता है और वह गांव सभा को नहीं दी गई है ।

*११--श्री बलवन्त सिंह--सरकार ऐसी भूमि का किस प्रकार उपयोग करने जा रही है ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--ऐसी भूमि का प्रबन्ध सरकार के वन विभाग द्वारा होगा।

*१२--१३--श्री देवदत्त शर्मा (जिला बुलन्दशहर)--[५ जनवरी, १९५३ के लिये स्थगित किये गये।]

*१४--श्री देवदत्त शर्मा--[२२ दिसम्बर, १९५२ के लिये स्थगित किया गया।]

* * * *

गढ़वाल में राजकीय फलोद्यानों की देख-रेख

*५--श्री गंगाधर मैठाणी (अनुपस्थित)--क्या सरकार बतायेगी कि जिला गढ़वाल में कुल कितनी राजकीय फलों की नरसरियां हैं ? उनमें कितने पौधे प्रतिवर्ष तैयार होते हैं ?

श्री जगनप्रसाद रावत--गढ़वाल जिले में फलों की कुल पांच राजकीय नरसरियां हैं। इन नरसरियों में सन् १९५०--५१ व १९५१--५२ में क्रमशः १६,६७४ और ३८,२०० पौधे तैयार किये गए थे।

*६--श्री गंगाधर मैठाणी (अनुपस्थित)--क्या यह सही है कि जिला गढ़वाल के राजकीय फलोद्यानों में कोई निरीक्षक नहीं रखे गये ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री जगनप्रसाद रावत--जी नहीं, राजकीय फलोद्यानों में निरीक्षक रखे गए हैं।

अतारांकित प्रश्न

रोडवेज के केन्द्रीय स्थानों पर कर्मचारियों तथा यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था

१--श्री रामसुभग वर्मा (जिला देवरिया)--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि रोडवेज के सेन्ट्रल स्थानों पर कर्मचारियों तथा मुसाफिरों के ठहरने तथा रहने के लिए कोई व्यवस्था की गई है ?

परिवहन मन्त्री (श्री विचित्र नारायण शर्मा)--रोडवेज के सेन्ट्रल स्थानों (रीजनल हेड क्वार्टर) पर मुसाफिरों के ठहरने की व्यवस्था की गई है, परन्तु रहने की कोई व्यवस्था नहीं है। कर्मचारियों के ठहरने की व्यवस्था रोडवेज सेन्ट्रल वर्कशाप, कानपुर में है और अन्य स्थानों पर व्यवस्था करने की योजना है।

२--श्री रामसुभग वर्मा--क्या सरकार यह बतायेगी कि वह इन स्थानों पर काम करने वाले कर्मचारियों को हाउस रेन्ट देती है ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा--जी नहीं, नियमानुसार आवश्यक नहीं है।

आगरा जिले में कृषि योग्य तथा बंजर भूमि

३--श्री पुत्तूलाल (जिला आगरा)--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि आगरा जिला में कितने एकड़ भूमि कृषि योग्य (cultivable) है तथा कितनी भूमि बंजर तथा कृषि के योग्य नहीं है ?

श्री चरण सिंह--प्रश्न में मांगी गई सूचना इस प्रकार है--

		एकड़
कृषि योग्य भूमि	...	९८०,९३८
बंजर भूमि	...	१३०,०६३
कृषि के अयोग्य भूमि	...	६६,७७३

नोट--तारांकित प्रश्न ५-६ श्री मदनमोहन उपाध्याय ने पूछे।

४--७--श्री पुत्तूलाल--[५ जनवरी, १९५३ के लिये स्थगित किये गये।]

कानपुर में परेड बाजार के कुछ दुकानदारों पर पुलिस की नृशंस कार्यवाही के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष--मेरे पास एक कामरोको प्रस्ताव आया है, जिसमें कानपुर शहर के परेड बाजार के कुछ दुकानदारों पर पुलिस की कुछ कार्यवाही का जिक्र है, परन्तु पुलिस की ज्यादती के संबंध में कि किस प्रकार की ज्यादती हुई, क्या हुआ इसके बारे में कोई स्पष्टता नहीं है, इसका सिर्फ परिणाम अन्दाजा गया है, कूता गया है कि इससे शहर की शांति भंग होगी। रोज व्यवस्था के संबंध में छोटी मोटी सख्तियां होती रहती हैं, जब तक कोई ज्यादती का कारण न बतलाया जाय, जिससे खतरा बढ़ा है तब तक उसको कोई महत्व नहीं दिया जा सकता और जब तक स्पष्टीकरण न किया जाय प्रस्ताव निश्चित नहीं कहा जा सकता। इसलिए मैं इस कामरोको प्रस्ताव को पेश करने की इजाजत नहीं देता।

विधान सभा से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा प्राप्त करने के लिए श्री फतेह सिंह का प्रार्थना-पत्र

श्री अध्यक्ष--मेरे पास एटा के श्री फ़तेह सिंह का एक प्रार्थना-पत्र आया है। उन्होंने लिखा है कि "मैं अब भी रुग्ण हूं तथा दिसम्बर, १९५२ में सभा के अधिवेशन में उपस्थित होने में असमर्थ हूं। कृपया अनुपस्थिति के लिए क्षमा करके अनुगृहीत कीजिए।"

वह गैर हाजिर रह चुके हैं और सम्भव है कि दिसम्बर में उनको ६० दिन से अधिक हो जाय। इसलिए उन्होंने प्रार्थना की है कि इस बात की इजाजत दी जाय कि वह दिसम्बर भर गैर हाजिर रहें।

प्रश्न यह है कि उनकी प्रार्थना स्वीकार की जाय और उन्हें इजाजत दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश आगरा यूनिवर्सिटी अध्यादेश, १९५२ की वैधानिकता पर श्री नारायणदत्त तिवारी का संकल्प

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--मैं आप की आज्ञा से प्रक्रिया नियमावली के नियम १४४ के अन्तर्गत निम्नलिखित संकल्प उपस्थित करता हूं--

"यह सदन आगरा यूनिवर्सिटी में नरेन्द्रदेव समिति द्वारा प्रस्तावित सुधारों की प्रयुक्ति व आवश्यकता को पूर्णरूपेण स्वीकृत करते हुए भी उत्तर प्रदेश आगरा यूनिवर्सिटी अध्यादेश, १९५२ को अवैधानिक मान कर उसे अस्वीकृत करता है।"

श्रीमन्, मैं पहले ही स्पष्ट कर दूं कि इस प्रस्ताव को लाकर मैं किसी प्रकार भी गवर्नर महोदय की प्रशासकीय उच्च परम्परा को और उनकी महान उपाधि को या अथारिटी को चैलेंज करने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूं और मैं यह भी नहीं चाहता कि किसी प्रकार से हम विधान की अवहेलना करें या उनको जो अधिकार मिले हुए हैं, उनका वह सदुपयोग न करें बल्कि मेरा यह विश्वास है कि वह विधान की धाराओं का सदुपयोग करते हुये इस को देखेंगे कि किन परिस्थितियों में यह आर्डिनेंस लाया गया है।

पिछले कई महीनों से विधान परिषद और विधान सभा दोनों का सेशन यहां पर चल रहा था। जून से लगातार १६ अक्तूबर तक हमारा सेशन चला, लेकिन उस समय तक शायद सरकार को पता नहीं चला है कि आगरा यूनीवर्सिटी में कुछ गड़बड़ है या वाइस चांसलर का इलेक्शन होने जा रहा है और टर्म बढ़ाने से कोई फायदा होगा, यह बात समझ में नहीं आती। फिर १४ ही दिन के अंदर गवर्नमेंट को इस बात का ख्याल आ गया कि आगरा यूनीवर्सिटी में सुधार की आवश्यकता है। सरकार को यह मालूम होते हुये और यह देखते हुये भी कि दोनों हाउसेज सेशन में हैं और आगे फिर मिलने वाले हैं

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

तो 'प्रोरोग' करने के बाद एक आर्डिनेन्स को लाना जबकि कौंसिल सेशन में है, मैं समझता हूं कि यह विधान की परम्पराओं और जनतांत्रिक परम्पराओं के अनुकूल भी नहीं है ।

इसके साथ साथ सवाल यह भी है कि आगरा यूनीवर्सिटी स्टेट यूनीवर्सिटी है या नहीं। जब यह प्रश्न उठता है, तो इस बारे में मेरा ख्याल यह है कि यह स्टेट यूनीवर्सिटी नहीं है । वह एक ऐसे एफीलियेटेड कालेजेज की यूनीवर्सिटी है, जो केवल इसी प्रांत में नहीं है बल्कि और भी प्रांतों में है । दूसरे यह कहना कि आगरा हमारे यू० पी० में है, इसलिये इसका विधान बनाने का हमारा अधिकार है, इसमें मैं विश्वास नहीं करता हूं, क्योंकि बनारस भी यू० पी० में है, अलीगढ़ भी यू० पी० में है । लेकिन इनका विधान पार्लियामेंट बनाता है । बनारस और अलीगढ़ के यू० पी० में होते हुये भी हमारा सदन इनका विधान नहीं बनाता है तो यह कहना कि आगरा यू० पी० में है और इसके रजिस्ट्रार का दफ्तर भी यू० पी० में है, इसलिये हम उसके बारे में विधान बना सकते हैं, ऐसा मैं समझता हूं कि मानना गलत है ।

नरेन्द्र देव कमेटी की रिपोर्ट में इस सम्बन्ध में आगरा यूनीवर्सिटी के बारे में जो कहा गया है मैं उसको आपकी आज्ञा से पढ़ देना चाहता हूं ।

"The present jurisdiction of the Agra University, by virtue of section 4 (5) of the Act, 1926, extends over the United Provinces, (including three Indian States within the Province but excluding cities of Aligarh, Allahabad, Benares and Lucknow) the twenty-three States of Rajputana, the twenty-eight States of Central India, the directly administered districts of Ajmer-Merwara, and the State of Gwalior. The territories mentioned cover an area of 209,734 square miles and are inhabited by over 71 million people."

आगरा यूनीवर्सिटी अपने माने में एक ही यूनिवर्सिटी है जो इस प्रकार का जूरिस्डिक्शन अपने प्रांत के बाहर भी रखती है । इसके बारे में नरेन्द्रदेव कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि यह एक स्टेट यूनीवर्सिटी नहीं मानी जा सकती है बल्कि यह यूनीवर्सिटी इंडियन यूनीवर्सिटी यानी सेंट्रल यूनीवर्सिटी और प्राविंशियल यूनीवर्सिटी के बीच की इण्टरमीडियेट यूनीवर्सिटी मानी जायगी । इस संबंध में जो नरेन्द्रदेव कमेटी की रिपोर्ट की सिफारिश है, उसको मैं आपकी आज्ञा से पढ़ना चाहता हूं । वह इस प्रकार है--

"The Agra University Act, 1926, was passed with the previous sanction of the Governor General; the University thus occupies an intermediate position between the all-India Universities of Aligarh and Benares and the provincial universities."

तो खुद नरेन्द्रदेव कमेटी की रिपोर्ट में यह स्वीकार किया गया है कि यह प्राविंशियल यूनीवर्सिटी नहीं है । आल इंडिया यूनीवर्सिटी व प्रान्तीय यूनीवर्सिटी के बीच की है, चूंकि यह गवर्नर जनरल की आज्ञा से बनाई गई है और इलाहाबाद यूनीवर्सिटी ऐक्ट और अलीगढ़ यूनीवर्सिटी ऐक्ट में कहीं यह चीज नहीं है । इसके साथ-साथ जहां यह सवाल आता है कि यह स्टेट यूनीवर्सिटी है या नहीं तो इसके बारे में यह भी है कि और भी प्रांतों को भी यूनीवर्सिटी में प्रतिनिधित्व करने का अधिकार है । मैं धारा २ (जी) और धारा ४(५) की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं--

Sec. 2 (*g*) "Inspecting officers in the Department of Education" means persons engaged permanently as inspecting officers by (a) The Department of Public Instruction, Uttar Pradesh, or (b) The Education Department of Madhya Pradesh or Rajasthan or Vindhya Pradesh or Bhopal."

Sec. 4 (5) "To admit to the privileges of affiliation under conditions prescribed in the status of Regulations, Colleges in the Uttar Pradesh, Rajasthan, Madhya Pradesh, Vindhya Pradesh and Bhooal.'

इंसपेक्शन का अधिकार यू० पी० को ही नहीं है, बल्कि मध्यभारत तथा भोपाल वगैरह को भी है।

यूनीवर्सिटी सीनेट में Section 14 (XV) के अनुसार "A member nominated by a 'part B' Government" भी है। तो सीनेट के अन्दर गवर्नमेंट का नामनेशन भी है। सेक्शन १७ में जो एक्जीक्यूटिव कौंसिल का कान्स्टीट्यूशन है, उसमें ५ यू० पी० के और ५ दूसरे प्रान्तों के लोग रखे गये हैं। २ राजस्थान और २ विन्ध्य प्रदेश और भोपाल से हैं। यहां पर पार्ट ए, बी और सी स्टेट्स का सवाल है, तो सवाल यह भी है कि क्या यह सदन कोई ऐसा कानून बना सकता है जो दूसरी स्टेटों तक एक्स्टेंड कर सकता है, विशेषरूप से जबकि मैं यह देखता हूं कि नरेन्द्रदेव कमेटी की रिपोर्ट ने इस विषय में कितने स्पष्टरूप से कहा है। चूंकि गवर्नर वही आर्डिनेन्स जारी कर सकता है, जिन चीजों के बारे में या जो कानून बनाने का इस सदन को अधिकार है इसलिये यह आर्डिनेन्स नहीं होना चाहिए। यह नहीं निकल सकता। नरेन्द्रदेव कमेटी की रिपोर्ट के सफा ३२७ में यह कहा है कि--

"The state administrations have allowed the University to function in their territory just as they have allowed the British Indian Railways to run through their territory. It is the Imperial law."

सन् १९०४ में इसके बारे में कर्जन आर्डर निकला था। मैं यह कभी नहीं कहता कि यूनीवर्सिटीज में सुधार न हों। लेकिन मेरा कहना तो यह है कि हम उसको स्वयं नहीं कर सकते। हमें विधान की धाराओं के अनुसार पार्लियामेंट से निवेदन करना चाहिए कि वह इस ओर अपना ध्यान दे। धारा २६३ में यह साफ है कि जहां एक स्टेट से ज्यादा का सवाल हो, वहां प्रेसीडेण्ट उसे देखे और एक काउन्सिल नियुक्त कर दे। तो मैं सरकार से यह निवेदन करूंगा कि वह आर्डिनेन्स को वापस ले ले और प्रेसीडेण्ट से दरख्वास्त करे कि चूंकि यह एक से अधिक स्टेट का मामला है, इसलिये इसके लिये काउन्सिल बनायी जाय और वह आगरा यूनीवर्सिटी का विधान बनाये और जो कुछ सुधार हो सकते हैं वे करें।

श्रीमान्, पार्ट सी स्टेट प्रेसीडेंट के द्वारा एडमिनस्टर की जाती है। दरबार कालेज, रींवा जो है उसके बारे में सीधे इन्डियन गवर्नमेंट चूंकि वह पार्ट सी स्टेट्स में है, काम करती है और आगरा यूनिवर्सिटी के अन्दर १२ ऐसे कालेजेज हैं जिनका खर्चा बहुत कुछ हद तक वहां की सरकारें बरदाश्त करती हैं। इसलिये मैं पूछना चाहता हूं कि क्या हमारी सरकार ने इस आर्डिनेन्स के जारी करने से पहिले राज्यपाल महोदय से कहा कि मध्य प्रदेश की, विंध्य प्रदेश और राजस्थान के एजूकेशन डिपार्टमेंटों से पूछ लिया जाय इसके बारे में। बाहर के प्रान्त आगरा यूनिवर्सिटी को ३४,३९९ रुपये २ आने ७ पाई देते हैं और यह प्रान्तीय सरकार केवल ६१ हजार रुपया देती है, ऐसी सूरत में क्या हमारे लिये यह श्रेयस्कर नहीं था कि हम इस प्रकार के आर्डिनेन्स बनाने के लिये पहले उनसे भी पूछते जबकि नरेन्द्र देव कमेटी रिपोर्ट में यह साफ है कि बाहर वालों को इस बात की शिकायत है कि इस प्रान्त का लेजिस्लेचर उनकी बातों की ओर कोई ध्यान नहीं देता है। उसकी रिपोर्ट में यह भी है कि प्रान्तीय सरकार को ऐसे कानून बनाने चाहिए जोकि आगरा यूनीवर्सिटी को अन्तर प्रान्तीय यूनीवर्सिटी बनाने के बजाय केवल यू० पी० यूनीवर्सिटी बनावे।

इसलिये इसको जो नाम नरेन्द्रदेव कमेटी ने दिया, वह दिया जाता तो भी हमें कोई एतराज नहीं होता और उसके अनुसार उत्तर प्रदेश के लिये ही एक अलग यूनीवर्सिटी का विधान रखना चाहिए था और उस रिपोर्ट के अनुसार उसमें सुधार होना था। लेकिन मैं देखता हूं कि इसमें वे सुधार नहीं किये गये हैं, जो नरेन्द्र देव कमेटी ने सुझाये हैं।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

अब मैं इसके बारे में कुछ कहना चाहता हूं कि यह अवैधानिक क्यों है । विधान के अनुच्छेद २१३ (३) में यह लिखा हुआ है--

"If and so far as an Ordinance under this article makes any provision which would not be valid if enacted in an Act of the Legislature of the State assented to by the Governor, it shall be void."

[यदि और जिस मात्रा तक इस अनुच्छेद के अधीन अध्यादेश कोई ऐसा उपबन्ध करता है जो विधान मंडल द्वारा अधिनियमित तथा राज्यपाल द्वारा अनुमत अधिनियम के रूप में अमान्य होता तो वह अध्यादेश उस मात्रा तक शून्य होगा ।]

जहां तक आज तक के कानून का सवाल है, वह ठीक था। क्योंकि कांस्टीट्यूशन की धारा के अनुसार पुराने जो अधिकार हैं, वे जैसे के तैसे ही रहेंगे, लेकिन अब हमारे इस सदन को कोई अधिकार नहीं है, जिसके अनुसार उसमें कोई अमेंडमेंट कर सकें । विधान के अनुच्छेद ३७२ (ए) में लिखा हुआ है--

"Notwithstanding the repeal by this Constitution of the enactments referred to in a article 395 but subject to the other provisions of this Constitutions, all the law in force in the terriorty of India immediately before the commencement of this Constitution shall continue in force therein until altered or repealed or amended by a competent Legislature or other competent authority.'

[अनुच्छेद ३९५ में निर्दिष्ट अधिनियमितियों का निरसन होने पर भी, किन्तु इस संविधान के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले भारत राज्य-क्षेत्र में सब प्रवृत विधि उसमें तब तक प्रवृत बनी रहेगी, जब तक कि सक्षम विधान मंडल या सक्षम प्राधिकारी द्वारा बदली, या निरसित या संशोधित न की जाय ।]

हमें जो अधिकार विधान बनाने का है वह अपनी ही स्टेट के अन्दर के लिए है वह इस प्रकार है । विधान के अनुच्छेद २४५ (ए) में यह लिखा हुआ है--

"Subject to the provisions of this Constitution, Parliament may make laws for the whole or any part of the territory of India, and the Legislature of a State may make laws for the whole or any part of the State."

[इस संविधान के उपबन्धों के अधीन रहते हुए संसद भारत के सम्पूर्ण राज्य क्षेत्र अथवा उसके किसी भाग के लिये विधि बना सकेगी, तथा किसी राज्य का विधान मंडल उस सम्पूर्ण राज्य के अथवा उसके किसी भाग के लिये विधि बना सकेगा ।]

और अनुच्छेद २४६ (३) इस प्रकार है--

"Subject to clauses (1) and (2), the Legislature of any State specified in Part A or Part B of the First Schedule has exclusive power to make laws for such State or any part thereof.. . "

[खंड (१) और (२) के अधीन रहते हुए प्रथम अनुसूची के भाग (क) में या भाग (ख) में उल्लिखित किसी राज्य के विधान मंडल को ऐसे राज्य अथवा उसके किसी भाग के लिये विधि बनाने की अनन्य शक्ति है . . . .]

अतः हम केवल उत्तर प्रदेश के लिये ही ला बना सकते हैं और धारा ३७२(ए) के अनुसार उसमें कोई अमेंडमेंट भी नहीं कर सकते और जो अमेंडमेंट भी कर सकते हैं तो वह केवल उतना ही कर सकते हैं, जो उत्तर प्रदेश में लागू होता हो। यह धारा २४६(३) में भी साफ लिखा हुआ है । यह लिस्ट सैकिंड में आता है और उसके अनुसार यह कहा जा सकता है कि यह स्टेट यूनीवर्सिटी की हद में आती है, लेकिन नरेन्द्रदेव की रिपोर्ट में यह साफ लिखा हुआ है कि यह स्टेट यूनीवर्सिटी नहीं है । जब हम अपनी स्टेट से बाहर के लिये कानून

ही नहीं बना सकते तो उसको बाहर क लिये लागू कैसे कर सकेंगे। नरेन्द्र देव कमेटी न लिखा है —

"The order of 1939 does not remove all difficulties. The Governor General as Visitor of the University should have ordered the 'visitation' of State college and (presumably) secured obedience to his orders. But how is the Provincial Government to direct the 'visitation' of a State college?

यानी उत्तर प्रदेश के कानून से हम राजस्थान के कालेजेज को कैसे बांध सकते हैं। आगे चलकर कहा है कि—

"The following communication of the Indore State to the Executive Council of the University is the significant and decisive:

.....the resolutions concerning these matters they believed, were of a recommendatory nature and would be treated by them as such."

यानी इंदौर स्टेट ने जो लिखा है हम उसको कैसे मजबूर कर सकते हैं। हम उनको केवल रिकमेंड ही कर सकते हैं। इसके बारे में साफ लिखा हुआ है।

"One half of the Agra University, as at present constituted, lies outside this Province. The Governor General could take responsibility for both halves in his capacity as Visitor. For the Provincial Government to do so would not be fair. The only remedy is for the Provincial Government to approach the Government of India with the request that it should, in fairness to itself and to the outside areas, be relieved of responsibilities inconsistent with the federal plan and permitted to organize a university for this Province exclusively."

कितने सुन्दर शब्दों में यह लिखा हुआ है, परन्तु सरकार तो एक ही कानून से सबको बांधना चाहती है। कमेटी ने यह साफ लिख दिया है कि हमारे प्रान्त की यूनिवर्सिटी अलग हो और दूसरे प्रान्तों की यूनिवर्सिटीज अलग हों। मेरा ख्याल है कि सरकार इसके बारे में विधान की ओर दूसरी धारायें पढ़ देगी और कहेगी कि इस प्रकार से हमारा अधिकार है। मैं इस सदन को अपनी ओर से कहना चाहता हूं कि वह इस पर आज बहस जरूर करे लेकिन आज प्रस्ताव पर वोट न हो। चूंकि मैं चाहता हूं कि अपना प्रस्ताव मानने के लिये कि यह वैधानिक है या अवैधानिक या जो कुछ मैंने सुझाव दिये ह वे कंस्टीट्यूशन के हिसाब से सही हैं या गलत, इस बारे में मैं एडवोकेट जनरल साहब की राय सुनना चाहता हूं। विधान के अनुच्छेद १७७ के अनुसार—

"Every Minister and the Advocate-General for a State shall have the right to speak in, and otherwise to take part in the proceedings of, the Legislative Assembly of the State or, in the case of a State having a Legislative Council, both Houses, and to speak in, and otherwise to take part in the proceedings of, any committee of the Legislature of which he may be named a member, but shall not, by virtue of this artcle, be entitled to vote."

[राज्य के प्रत्येक मंत्री और महाधिवक्ता को अधिकार होगा कि वह उस राज्य की विधान सभा में अथवा राज्य में विधान परिषद् होने की अवस्था में दोनों सदनों में बोलें तथा दूसरे प्रकार से उनकी कार्यवाहियों में भाग लें तथा विधान मंडल की किसी समिति में जिसमें उसका नाम सदस्य के रूप में दिया गया हो, बोले तथा दूसरे प्रकार से कार्यवाहियों में भाग ले, किन्तु इस अनुच्छेद के आधार पर उसे मत देने का हक न होगा।]

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

तो श्रीमान्, इस धारा १७७ के अनुसार इस सदन को इस बात का अधिकार है और एडवोकेट जनरल को भी इस बात का अधिकार है कि वे यहां पर आयें और हम लोगों को कानूनी मसलों पर राय दें लेकिन दुःख की बात है कि सरकार ने एक दिन के लिये भी इस बात की कोशिश नहीं की कि एडवोकेट जनरल साहब यहां रहें ....

श्री अध्यक्ष--आज मौजूद हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी--इसके लिये वे धन्यवाद के पात्र हैं और मैं चाहूंगा और इस बात की मांग भी करूंगा कि विधान की इस धारा के अनुसार जो हमारे प्रीविलेज हैं वे मिलें और वे हमें सम्बोधित करें और साथ ही साथ मैं आपकी आज्ञा से उनका ध्यान इन कालेजों की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं जो कि आगरा यूनिवर्सिटी से ऐफिलिएटेड हैं। पेज ११६ में गवर्नमेंट कालेज अजमेर, की रिपोर्ट मेरे पास है--

"The college is financed by Government. Its receipts and expenditure form part of the Budget of the Education Department Ajmer-Merwara (Inspection Report, 1939), The ultimate administrative authority is the Chief Commissoner. All members of the staff are in Government service subject to Government rules about pay and penstion etc. under supervision of Education Department, Government of India."

तो इस कालेज के लिये गवर्नमेंट आफ इंडिया आगरा यूनिवर्सिटी को सारा खर्चा देती है। इसके अलावा इंदौर कालेज, इंदौर को मध्य भारत गवर्नमेंट की तरफ से ग्राण्ट मिलती है। होल्कर कालेज को भी मध्य भारत गवर्नमेंट ग्रांट देती है। ये सब सरकारी कालेज हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट हामिदिया कालेज, भूपाल भी सरकारी कालेज है, कमाल रजा गर्ल्स कालेज लश्कर है। ये सब लिस्ट है जो आगरा यूनिवर्सिटी से सम्बन्धित है--

"After the formation of Madhya Bharat the reins of management of the college and the Hospital has now shifted to the M. B. Government from 30th March, 1951. Government Hamidia college Bhopal, Madhav College, Ujjain, Darbar College Rewa, Digamber Jain College, Baraut."

इतनी बड़ी लिस्ट है जिसमें बाहर के भी बहुत से इंस्टीट्यूशंस हैं जिनमें किन्हीं को मध्यभारत की गवर्नमेंट चलाती है, किन्हीं को विन्ध्य प्रदेश की गवर्नमेंट चलाती है, किन्हीं को राजस्थान की गवर्नमेंट चलाती है। गवर्नमेंट कालेज अजमेर को चलाने की सारी जिम्मेदारी गवर्नमेंट आफ इंडिया के एजुकेशन डिपार्टमेंट की रही है। तो श्रीमन् मैं आपके द्वारा यह जानना चाहता हूं कि विधान के अनुसार क्या सदन को और हमारे प्रान्त के गवर्नर साहब को इस बात का अधिकार है कि वे बिना गवर्नमेंट आफ इंडिया की राय लिये, बिना दूसरे स्टेट्स के राजप्रमुखों और लेफ्टिनेंट गवर्नर की राय लिये हुए तथा बिना प्रेसीडेंट की पूर्व स्वीकृति के ऐसे इंटरिम स्टेज पर वे कोई ऐसा आर्डिनेन्स निकाल सकते हैं या हम ऐसा कोई कानून बना सकते हैं। मैं तो समझता हूं कि इस प्रकार से कोई आर्डिनेंस जारी करना किसी भी प्रकार से वैधानिक नहीं है क्योंकि यह यू० पी० के बाहर और प्रान्तों के एजुकेशन डिपार्टमेंट से सम्बन्ध रखता है।

इसके अलावा जैसा कि मैंने कहा वाइस चांसलर का टर्म बढ़ा देने से कोई रिफार्म नहीं होता है। अगर कोई समझते हैं कि वाइस-चांसलर का टर्म एक साल के लिये बढ़ा दिया जाय तो इससे सुधार हो जायगा। मैं समझता हूं कि यह गलत है। इससे न तो वाइस-चांसलर के चुनाव के तरीके में कोई बदलाव होगा न सिनेट के चुनाव के तरीके में कोई बदलाव होगा न कि जो वहां पैक्ट की बात कही जाती है उसमें ही कोई फर्क पड़ेगा और न जातिवाद का ही बखेड़ा खत्म होगा बल्कि इससे तो और गड़बड़ी पैदा होती है और एक बेचैनी पैदा होती है और एलेक्शन के लिये लोगों के दिमाग में जो एक भावना पैदा हो जाती है उससे एक झगड़े का वातावरण पैदा होता है।

श्री अध्यक्ष--आप अपने प्रस्ताव से बाहर जा रहे हैं। आपने केवल अवैधानिक होने की बात कही है लेकिन अब आप उसके मैरिट्स पर जा रहे हैं। आप उस चीज को स्वीकृत नहीं करते और इसीलिये आप उसको अवैधानिक मानते हैं लेकिन आप अब मेरिट्स पर जाने लगे। अब आर्डिनेंस के अन्दर क्या है वह भी अगर आपको पसन्द नहीं है तो आपको उसको संकल्प में लिखना चाहिये था।

श्री नारायणदत्त तिवारी--श्रीमान् विधान के अनुसार सातवें शिड्यूल की फर्स्ट लिस्ट है उसके ६३, ६४, ६५ और ६६ वीं धारा में इन मामलों पर जो लिस्ट है उन मामलों में केवल पार्लियामेंट ही कानून बना सकती है और लिस्ट २ में जो इस विधान का शिड्यल है उसके आइटम नम्बर ११ पर दिया हुआ है--

"Education in cluding Universities, subject to the provisions of entries 63, 64, 65 and 66 of List I and entry 25 of List III."

[सूची १ की प्रविष्टियों ६३, ६४, ६५ और ६६ तथा सूची ३ की प्रविष्टि २५ के उपबन्धों के अधीन रहते हुये शिक्षा जिनके अन्तर्गत विश्वविद्यालय भी हैं।]

अब मैं आपकी आज्ञा से ६६ वें आइटम की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। इसमें दिया हुआ है--

"Co-ordination and determination of standards in institutions for higher education or research and scientific and technical institutions."

और तीसरे मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं लिस्ट फर्स्ट के आइटम नम्बर ६५ की ओर जिसमें यह दिया हुआ है--

.....(a) "65. Union agencies and institutions for

(b) the promotion of special studies or research."

तो इसके बारे में जितने भी सम्बन्धित कानून जो ६५ और ६६ की लिस्ट से सम्बन्ध रखते हैं उनके बारे में पार्लियामेंट ही कानून बना सकती है। तो इसलिये इस दृष्टिकोण से भी कि यह आर्डिनेंस, दूसरे सूबों के इंस्टीट्यूशंस के शासन प्रबन्ध से सम्बन्ध रखता है और उन पर भी असर डालता है अवैधानिक है। इसके साथ ही साथ इस प्रान्त की सरकार को या प्रान्त की सरकारों को इस सम्बन्ध में एक्जीक्यूटिव पावर्स भी नहीं हैं। प्रान्तों की एक्जीक्यूटिव पावर्स की जो परिभाषा है, वह अनुच्छेद १६२ में संविधान के इस प्रकार से दी हुई है--

"Subject to the provisions of this constitution, the executive power of a state sball extend to the matters with respect to which the Legislature of the State has power to make laws."

[इस संविधान के उपबन्धों के अधीन रहते हुये प्रत्येक राज्य को कार्य पालिका शक्ति का विस्तार उन विषयों तक होगा जिनके बारे में उस राज्य के विधान मंडल को विधि बनाने की शक्ति है।]

तो एक्जीक्यूटिव पावर्स जैसा कि आगरा यूनिवर्सिटी ऐक्ट की धारा ६ में यह दिया हुआ है ऐसे कालेजेज जो आगरा यूनिवर्सिटी से एफिलियेटेड हैं उनमें यूनिवर्सिटी ही "विजिटेशन" कर सकती है। फिर हमारी तो एक्जीक्यूटिव पावर्स हैं नहीं फिर विजिटेशन कैसे हो सकेगा। तो श्रीमन् मैं आपकी आज्ञा से इस सदन से यह निवेदन करूंगा कि वह मेरे प्रस्ताव को कोई भावनावश न देखें और न यह देखें कि मैं उसमें कोई सुधार नहीं चाहता। मैं तो जैसा नरेन्द्रदेव समिति ने कहा है वैसा सुधार चाहता हूं। लेकिन वैसे सुधार जिनका आपको अधिकार नहीं है उस पर खूब सोच-विचार कर आगे बढ़ें और गवर्नमेंट आफ इंडिया से कहें कि संविधान के अनुसार वह आगरा यूनिवर्सिटी में आवश्यक सुधार करें और यहां इस प्रान्त के द्वारा प्रान्तीय यूनिवर्सिटी बनाने का प्रयत्न किया जाय और वाइस-चान्सलर के चुनाव के

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

बारे में या सिनेट के बारे में फिर बाद को सुधार किये जायं। श्रीमन्, शिक्षा संस्थाओं में आर्डिनेंसेज के जरिये से हुकूमत करना हमारी प्रजातांत्रिक परम्परा के विपरीत है और अगर इस प्रकार की परम्परा यहां हमारे सदन में या हमारे प्रान्तीय शिक्षा के शासन प्रबन्ध में डाली गई तो मैं समझता हूं कि हमारी शिक्षा संस्थाओं का भविष्य अंधकारमय हो जायेगा और हम यहां पर नालन्दा, तक्षशिला और पाटलिपुत्र के विश्वविद्यालयों की वह पुरानी संस्कृति और वह पुरानी सांस्कृतिक परम्परायें जो भारत की एक देन विश्व के लिये हैं यह आर्डिनन्स और यह तरीका हमारी उस देन की भावनाओं के प्रतिकूल जाता है ।

तो इसीलिये मैं श्रीमन्, आपके द्वारा विनम्र निवेदन करूंगा सरकार से और माननीय राज्यपाल महोदय से कि विधान की परम्पराओं को सुरक्षित रखते हुये वह इसको वापस ले लें। चूंकि यह अवैधानिक है और इस अध्यादेश को भी वापस ले लें और प्रान्तीय सरकार से निवेदन करूंगा कि वह केन्द्र से प्रार्थना करे कि उसके द्वारा आगरा यूनिवर्सिटी का सुधार हो और इस बीच में आगरा यूनिवर्सिटी को प्रान्तीय यूनिवर्सिटी बनाने के लिये हम कार्य करें और मुझे आशा है कि हमारे प्रान्त के एडवोकेट जनरल, जो आज सौभाग्य से आज पहली बार यहां पर सदन में मौजूद हैं, आज इस बात पर अपनी राय देंगे और वैधानिक स्थिति को स्पष्ट करेंगे।

गृह मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)--अध्यक्ष महोदय, आगरा यूनिवर्सिटी का सवाल कई कारणों से इस वक्त बहुत नाजुक हो गया है, परन्तु मैं श्री नारायणदत्त तिवारी को बधाई देता हूं कि उन्होंने इस बात की कोशिश की है कि जहां तक हो सके इस बर्ड की मेरिट्स के अन्दर न जायं और न तो कानून के मेरिट्स के अन्दर जायं जो कि कहा जाता है कि इस संबंध में शायद किसी वक्त हमारे सामने पेश होने वाला है । मैं भी मेरिट्स की बाबत कुछ नहीं कहना चाहता । मैं इस संबंध में भी कुछ कहना नहीं चाहता कि यूनिवर्सिटी या इन संस्थाओं के संबंध में कभी आर्डिनेंस जारी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए । हमारे सामने तो मुख्य रूप से एक सवाल है उसको दो-तीन रूप से श्री नारायणदत्त ने रखा कि आर्डिनेंस जारी करने का अधिकार गवर्नर को है या नहीं। फिर उत्तर प्रदेश की इक्जिक्यूटिव का जुरिस्डिक्शन कहां तक है। लेकिन घूम फिर कर सारी बात यहां आती है कि स्टेट के लेजिस्लेचर को यूनिवर्सिटी के संबंध में और खासकर आगरा यूनिवर्सिटी के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है या नहीं । यदि यह साबित हो जाय कि स्टेट लेजिस्लेचर को आगरा यूनिवर्सिटी के संबंध में कानून बनाने का अख्तियार है तो जाहिर सी बात है कि गवर्नर को भी अधिकार हो जायगा आर्डिनेंस जारी करने का और इक्जिक्यूटिव को भी आगरा यूनिवर्सिटी के बारे में कोई न कोई अधिकार उपयोग करने का हक हो जायेगा।

एक बात मैं निवेदन कर दूं कि नारायणदत्त जी ने जिस संकल्प को रखा है मैं उसका विरोध कर रहा हूं।

जिस बात का जिक्र नारायणदत्त जी ने किया उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। शेड्यूल ७ में दिया हुआ है कि शिक्षा का विषय किसके अधिकार में है । उसके तीन हिस्से हैं । एक हिस्से में तो उन विषयों का जिक्र है जोकि सेंटर के अधिकार में हैं । उसके तीसरे भाग में उन चीजों का जिक्र है जो केन्द्र और राज्य दोनों के अधिकार में हैं । भाग २ में उन विषयों का जिक्र है जो केवल स्टेट्स के अधिकार में हैं । "शिक्षा" केवल भाग २ में है। भाग २ में लिखा है--

"Education including Universities, subject to the provision of entries 63, 64, 65 and 66 of List I and entry 25 of List III."

[सूची १ की प्रविष्टियों ६३, ६४, ६५ और ६६ तथा सूची ३ की प्रविष्टि २५ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए शिक्षा जिसके अन्तर्गत विश्वविद्यालय भी हैं ।]

इन एक्सेप्शंस में क्या है मैं दोहराता नहीं । अलीगढ़, बनारस और दिल्ली यूनिवर्सिटियों को एक्सेप्शंस में कर दिया है । इसके अतिरिक्त जो केन्द्र की तरफ से संस्थाएं कायम की जायं वह भी अपवाद में हैं जैसे लखनऊ की छतरमंजिल में एक संस्था कायम की गयी है जिसको एक रिसर्च के लिए केन्द्र ने कायम किया है । यह केन्द्र के अधिकार में है । स्टेट के अधिकार में नहीं है । इनको छोड़कर यूनिवर्सिटी एजूकेशन पूरे तौर से स्टेट्स के हाथ में । तो यूनिवर्सिटी के ऊपर कब्जा न हो और एजूकेशन के ऊपर कब्जा हो यह बात समझ में नहीं आती । हमारे यहां अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, बनारस यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी और आगरा यूनिवर्सिटी ये पांच यूनिवर्सिटियां हैं । इन में से दो का नाम खासतौर से निकाल दिया गया है---अलीगढ़ और बनारस यूनिवर्सिटी का । तो जाहिर सी बात है कि जो बाकी यूनिवर्सिटियां इलाहाबाद, आगरा और लखनऊ की हैं उन पर स्टेट का जुरिस्डिक्शन है । अगर यह मान लिया जाय कि हमारी स्टेट का जुरिस्डिक्शन नहीं है तो कितनी ही दिक्कतें पड़ेंगी जिसका मैं आगे जिक्र करूंगा । इसलिए मानना चाहिए कि जब केन्द्र ने एक्सक्लूड नहीं किया तो वह हमारे जुरिस्डिक्शन में है ।

इस संबंध में और कुछ जिक्र करने के पहले मैं एक बात का जिक्र करना चाहता हूं बार बार एक कमेटी का जिक्र किया गया है जिसको नरेन्द्रदेव कमेटी के नाम से कहा गया है । कोई नरेन्द्रदेव कमेटी नहीं थी जिसने इस संबंध में कोई सिफारिश की हो । कुछ जिम्मेदार आदमियों के बयानों में भी ऐसी बात देखता हूं और कभी कभी अखबारों में भी देखता हूं और जिसका नारायणदत्त जी ने यहां हवाला दिया उसको पढ़ तो लिया होता कि कोई नरेन्द्रदेव कमेटी इस किस्म की है जिसने आगरा यूनिवर्सिटी के बारे में कोई सिफारिश की है । मैं उस तथ्य को बतलाना चाहता हूं । उस वक्त की जो सरकार थी और कांग्रेस सरकार थी उसने यूनिवर्सिटीज की बाबत एक कमेटी मुकर्रर की थी । उस कमेटी के टर्म्स आफ रेफरेंस में कहीं भी किसी आगरा यूनिवर्सिटी या किसी यूनिवर्सिटी का जिक्र नहीं है बल्कि उसमें लिखा यह हुआ है कि:---

"in order to give effect to the resolution which was passed by the Legislative Assembly in September, 1937, Government after careful consideration have appointed the following committee to examine the working of the Provincial Universities including their constitution, rules and regulations....."

इसमें न आगरा यूनिवर्सिटी का, न लखनऊ यूनिवर्सिटी का, न इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जिक्र है और उस कमेटी का सौभाग्य या दुर्भाग्य से मैं चेयरमैन था, आचार्य नरेन्द्र देव नहीं थे । उसकी दो सब-कमेटियां थीं । एक सब-कमेटी का सम्बन्ध लखनऊ और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से और एक का सम्बन्ध आगरा यूनिवर्सिटी से था । मगर यह जो सब-कमेटी थी उसके चेयरमैन आचार्य युगुलकिशोर थे और उसके सदस्य थे--पं० रमाकान्त मालवीय, नवाब मुहम्मद इस्माइल खां, मि० टी० एफ० डोनाल्ड, प्रो० मुहम्मद हबीब, मि० ऐंड्रयूज ।

तो आगरा वाली सब-कमेटी के तो आचार्य नरेन्द्र देव मेम्बर तक नहीं थे, मगर उसकी जिम्मेदारी उन्हीं के माथे मढ़ी जाती है । उस कमेटी की जिम्मेदारी आचार्य नरेन्द्र देव के ऊपर नहीं है । बार-बार उनका नाम लेना और उनके नाम पर जिम्मेदारी मढ़ना ठीक नहीं है ।

उस कमेटी की सब-कमेटियों का जो जिक्र किया जाता है तो उसका एक अजीब इतिहास है । दोनों सब-कमेटियों की मीटिंग हुई । उसके बाद प्लीनरी कमेटी की मीटिंग हुई । उस प्लीनरी कमेटी के सामने दोनों सब-कमेटियों की रिपोर्ट पेश हुई और उस कमेटी ने दोनों कमेटियों की बातों पर गौर करके एक प्रस्ताव किया कि किस किस्म की रिपोर्ट होनी चाहिये और परमानन्द जो सेक्रेटरी थे उनको आर्डर दिया गया कि वह रिपोर्ट तैयार करें । उसके

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

बाद वह सन् १९३९ वाली बात हो गयी और उस समय कांग्रेस मिनिस्ट्रीज का इस्तीफा हो गया। ऐडवाइजरी रिजीम आगयी। ऐडवाइजरी रिजीम के सामने एक लीगल सवाल पैदा हुआ कि जिस गवर्नमेंट ने कमेटी कायम की थी और जिसके सामने उस कमेटी की रिपोर्ट पेश होती वह तो खत्म हो गयी, अब क्या सूरत है? लीगल ऐडवाइजर्स ने कहा कि गवर्नमेंट भले ही खत्म हो गयी हो मगर कमेटी तो जीवित है। जिस गवर्नमेंट के सामने रिपोर्ट पेश होती वह खत्म हो गयी तो हो गयी। लेकिन कमेटी की मीटिंग्स कैसे हों? कमेटी के मेम्बर्स का डी० ए० और ट्रैवलिंग एलाउन्सेज कौन दे? यह बात यहीं की यहीं रह गयी और मीटिंग करने का इन्तजाम नहीं हो सका। मैं उसका सभापति था। मैंने अपने अधिकार से कहा सेक्रेटरी से कि आप इस रिपोर्ट को छपने को दे दीजिए, भले ही वह फारमली अप्रूव न हुई हो और इसीलिये आप देखेंगे कि उसके ऊपर लिखा है कि--

"This report has been drafted under the direction of the Chairman of the Committee and its Sub-Committees but has not been formally approved and signed at a meeting."

[यह रिपोर्ट समिति के अध्यक्ष तथा उसकी उप-समितियों के निदेशानुसार प्रारूपित हुई है, किन्तु एक बैठक में उसका अनुमोदन एवं उस पर हस्ताक्षर नहीं हुए हैं।]

तो यह तो इस रिपोर्ट का हाल है और इसकी पहिली कापी जब मैं फतेहगढ़ जेल में था, उस वक्त मुझे मिली। यह कमटी की सूरत है। यह मैं नहीं कहता कि इस कमेटी को अथारिटी नहीं है, चूंकि मैं ही उसका सभापति था। मैं तो यह कहता हूं कि उसकी अच्छी रिपोर्ट होगी। लेकिन उसकी बाबत जो यह सूरत है और उसकी जो हैसियत है उसको समझ लेना चाहिए।

मैं फिर कहता हूं कि उसमें बार बार नारायण दत्त जी ने कहा कि इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि "इन्टरमीडियेट यूनीवर्सिटी" और वह क्या होती है? उसकी लीगल सूरत होनी चाहिए। या तो वह सेन्ट्रल के मातहत हो या स्टेट के। "इन्टरमीडियेट यूनीवर्सिटी" क्या होती है? रिपोर्ट में आसानी पैदा करने के लिय, बार बार ऐसे टर्म्स आते हैं उनको मुख्तसर में उन्होंने लिख दिया कि "इन्टरमीडियट यूनीवर्सिटी" किसी से ऐडमिनिस्टर होती है, स्टेट से या सेन्टर से। और मैं कहता हूं कि स्टेट से इसलिये पूरे तौर से स्टेट "यूनीवर्सिटी" है।

अब यह कहा जाता है कि यह तो एक्स्ट्रा टेरीटोरियल बात होगी कि हमारी टेरीटरी के बाहर की जो जगहें हैं उनके लिये हम कानून बना देते हैं। मैं कहता हूं कि हम कोई गलत बात नहीं कर रहे हैं। जो कुछ हम कर रहे हैं वह जस्टिफाईड है। यह जो यूनीवर्सिटी है उससे अफिलियेटेड जो कालिजेज हैं वह ज्यादातर यू० पी० में मौजूद हैं और उनको ज्यादातर यू० पी० की गवर्नमेंट या लोग डायरेक्टली या इन्डायरेक्टली मेन्टेन करते हैं। कुछ थोड़ी सी संस्थायें ऐसी हैं जो बाहर की हैं। पहले राजस्थान भी था, अब वह निकल गया और शायद थोड़े दिनों के बाद और भी निकल जायेंगे। तो थोड़े से कालिज बाहर के हैं, लेकिन मेनली इससे फायदा उठाने वाले लड़के या कालिजेज यू० पी० के ही हैं। बाहर के कालेजेज के ऊपर हम कोई कानून नहीं लादते और हम जो लेजिस्लेशन करते हैं वह यू० पी० के लोगों के लिये करते हैं। अगर हमारी यूनीवर्सिटी से बाहर के लोग फायदा उठाना चाहें तो उठायें और न उठाना चाहें तो न उठायें लेकिन सब्स्टेन्शियली हम यू० पी० के लिये करते हैं। मैं आपके लिये यह रखता हूं हमारे कांस्टीट्यूशन पर यह कमेंट्री बाई दुर्गादास बसु। वह लिखते हैं--

"There is a general presumption that a Legislature knows its jurisdiction and does not intend to exceed it. Hence, as regards a Legislature, having a limited jurisdiction, the Court will not presume an enactment to have intended an extra-territorial operation and to be *ultra vires* on that account, unless the invalidity is clear beyond doubt.

The general rule of construction of an enactment of a Legislature with limited powers is that it was only legislating for those who were actually within its jurisdiction."

[यह एक साधारण धारणा है कि एक विधान मंडल अपने क्षेत्राधिकार को जानता है और उसका अतिक्रमण नहीं करना चाहता। अतः जहां तक विधान मंडल का सम्बन्ध है, जिसका क्षेत्राधिकार परिमित है न्यायालय ऐसे नियुक्त निर्माण को, जिसका ध्येय राज्य क्षेत्रातीत प्रवर्तन हो और इस कारण से अधिकार से बाहर कल्पना नहीं करेगा जब तक कि उसकी अवैधता स्पष्ट और सन्देह के बाहर न हो। किसी ऐसे विधान मंडल के जिसकी शक्तियां परिमित हों, नियम निर्माण का साधारण नियम है कि वह उनके लिये विधान बनाता है जो वास्तव में इसके क्षेत्राधिकार के भीतर हैं।]

फिर कहते हैं वह--

"But though a subordinate Legislature is not competent to legislate as to matters outside its territory, it does not follow that a legislation which is in substance in respect of matters within the competence of that subordinate Legislature would be *ultra vires* simply because it may have possible effects outside that territory."

[यद्यपि एक अधीन विधान मंडल अपने क्षेत्र के बाहर विषयों के लिये विधान बनाने के लिये क्षम नहीं है तथापि इसका यह अर्थ नहीं है कि कोई विधान निर्माण जो विषयों के सम्बन्ध में तत्वतः उस अधीन विधान मंडल की क्षमता में है, अधिकार क्षेत्र से बाहर होगा केवल इस कारण कि इसके क्षेत्र के बाहर संभव प्रभाव हो सकते हैं।]

अगर सब्सटेंशियली हमारी टेरिटरी के भीतर जो लोग रहते हैं उनके लिये क़ानून बनाते हैं, परन्तु उसका असर उन लोगों पर पड़ता है जो हमारी टेरिटरी के बाहर रहते हैं, तो इसलिये हमारा क़ानून अल्ट्रावाइरस नहीं होगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी--माननीय मंत्री जी कहां से पढ़ रहे हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--यह किताब है "कमेंटरी आन कांस्टिटयूशन आफ इंडिया" बाई दुर्गादास बसु, असिस्टेंट लीगल रेमेम्ब्रेंसर, गवर्नमेंट आफ बंगाल और पेज ६२३ से पढ़ रहा हूं।

इसकी बाबत रूलिंग्स बहुत सी हैं। इसलिये सब्सटेंशियली हम यू० पी० के लिये लेजिस्लेशन कर रहे हैं। इसका पासिबिल इफेक्ट यू० पी० के बाहर के लोगों पर पड़ जाय तो यह क़ानून अल्ट्रावाइरस नहीं हो जायगा।

मैं दो बातें और कहना चाहता हूं। एक तो हमारे सामने इसकी बाबत कुछ नजीरें हैं। आज उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से संस्कृत की परीक्षायें होती हैं, आचार्य और शास्त्री की। उन परीक्षाओं का सोलह आने प्रबन्ध उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट करती है। उसके संबंध में जितने भी क़ायदे क़ानून हैं सब उत्तर प्रदेश की सरकार बनाती है और सौराष्ट्र, राजस्थान, विन्ध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश इत्यादि सब जगहों की संस्थाएं हमसे अफिलिएटेड हैं। इन परीक्षाओं के सम्बन्ध में जो हम क़ानून बनाते हैं उनका असर उन लोगों पर जरूर पड़ता होगा, लेकिन कभी आज तक सवाल नहीं पैदा हुआ कि किसी तरह जुरिसडिक्शन के बाहर काम कर रहे हैं। सन् १९४७ में हमने आगरा यूनिवर्सिटी ऐक्ट का अमेंडमेंट किया और उसमें भी सूरत बिलकुल यही थी। उस वक्त भी आगरा यूनिवर्सिटी में बाहर स्टेट्स के कालेजेज अफिलिएटेड थे।

सन् १९४७ में फरवरी के महीने में इसी यू० पी० में यहीं के सदन ने आगरा यूनिवर्सिटी ऐक्ट का अमेंडमेंट पास किया लेकिन न गवर्नमेंट आफ इंडिया ने इस सवाल को उठाया कि तुमने गलत काम किया और न किसी स्टेट के लेजिस्लेचर ने सवाल उठाया और यहां पर तो कभी यह सवाल उठा ही नहीं। इसलिये यह नजीर इस बात की है कि हम बराबर इस काम को करते आये हैं और हम ऐसा करने के लिये बिलकुल काम्पीटेंट हैं। अगर यह कहा जाय कि हम काम्पीटेंट नहीं हैं तो एक ही तरीक़ा होगा जैसा कि माननीय नारायणदत्त जी ने जिक्र किया

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

कि हम इसकी दुरुस्ती करें लेकिन दुरुस्ती का क्या तरीक़ा होगा। दुरुस्ती का यह तरीक़ा होगा कि जिन जिन स्टेट्स में अफिलिएटेड कालेजेज हैं, विन्ध्य प्रदेश या मध्य प्रदेश जितनी भी हैं, उनकी गवर्नमेंट्स और यू० पी० की गवर्नमेंट सब मिल कर के सेंट्रल गवर्नमेंट से कहें कि आप कृपा करके अपने पार्लियामेंट में क़ानून पास कीजिये आगरा यूनिवर्सिटी के बारे में। इससे आप समझ सकते हैं कि कितनी दिक़्क़त की यह बात है। बहुत सी ऐसी स्टेट्स हैं जिनमें एक या दो ही कालेज हैं। विन्ध्य प्रदेश या रीवां में कहीं पर शायद एक ही कालेज है। तो किसी वजह से यदि एक स्टेट राजी न हो तो सारे आगरा यूनिवर्सिटी का सुधार रुक सकता है और यह एक ऐबसर्ड बात होगी। क़ानून आदमी के फायदे के लिये होता है, आदमी क़ानून के फायदे के लिये नहीं होता है। न सेंटर का, न हमारा और न किसी का यह मतलब हो सकता है कि ऐसा क़ायदा बनाया जाय जिससे काम रुक जाय। इन सब बातों से मालूम होता है इस लेजिस्लेचर को पूरा अधिकार है आगरा यूनिवर्सिटी का क़ानून बनाने का और जब हमको अधिकार है क़ानून बनाने का तो फिर आर्डिनेंस भी पास करने का गवर्नर महोदय को पूरा अख्तियार है। इन सब कारणों से मैं समझता हूं कि नारायण दत्त जी ने जो संकल्प उपस्थित किया है वह मानने योग्य नहीं है और सदन उसको स्वीकार न करेगा। उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि वह ऐडवोकेट जेनरल साहब की राय सुनना चाहते हैं और उनका यह ख्याल है कि आज वह पहले पहल आये हैं। मैं समझता हूं कि वह कई बार यहां आ चुके हैं। कुछ हमारे एडवोकेट जनरल साहब का दुर्भाग्य है कि नारायण दत्त जी से उनकी भेंट नहीं हुई। नारायण दत्त जी उनसे राय ले सकते हैं वह आज यहां मौजूद हैं।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव माननीय नारायण दत्त जी ने इस सदन के सामने उपस्थित किया है उसका समर्थन करने के लिये मैं यहां पर खड़ा हुआ हूं। जैसा कि माननीय गृह मन्त्री ने कहा कि माननीय नारायण दत्त जी हमारे धन्यवाद के पात्र हैं, इसलिये कि उन्होंने इस मामले को और इस महत्वपूर्ण मामले को इस सदन के सामने लाने की कोशिश की। हम यह चाहते ही नहीं हैं कि हमारे प्रान्त का जो अधिकार है जिस अधिकार को आजतक हम इस्तेमाल करते रहे उसमें कोई रुकावट की जाय। यह आगरा यूनीवर्सिटी जो हमारे प्रान्त में है जिसके काफ़ी कालेजेज हमारे इस प्रान्त में हैं। इससे उसका इन्तजाम हम न कर सकें, ऐसा अधिकार हम अपना छोड़ना नहीं चाहते थे। मैं समझता हूं कि जिस उद्देश्य से माननीय नारायणदत्त तिवारी ने इसको रखा, हमारी इच्छा है कि आगरा यूनीवर्सिटी की जो गड़बड़ियां हैं उन्हें हम दूर कर दें। हमारे प्रान्त के जितने डिग्री कालेजेज हैं ज्यादातर वे आगरा यूनिवर्सिटी से अफीलियेटेड हैं। आगरा यूनिवर्सिटी का स्टन्डर्ड गिर गया है। आज हमारी आगरा यूनीवर्सिटी की जो हालत है वह इतनी गिरी हुई है कि उसका हम तुरन्त इन्तजाम करें यह बिल्कुल ठीक है। पर पहले इसके कि हम इस पर अपना अधिकार करें हम यह सफाई चाहते थे कि आया हमारे इस प्रान्त का अधिकार है भी या नहीं है इस यूनीवर्सिटी पर क़ानून बनाने का जिसके कालेजज और प्रान्तों में भी हैं। वहां भी विधान सभाएं बन चुकी हैं और शायद वहां के लोग भी जाग्रत हो गये हैं। वहां के लोग भी चाहते हैं कि आगरा यूनिवर्सिटी के जहां पर उनके कालेजेज अफीलियेटेड हैं उन पर वह दखल दें और इसी उद्देश्य से माननीय नारायण दत्त तिवारी ने इस प्रस्ताव को इस सदन के सामने पेश किया। मैं समझता हूं कि हमारे प्रान्त के गवर्नर महोदय इस चीज को महसूस नहीं करेंगे कि हमने उनके आर्डिनेन्स को चेलेन्ज किया। हम इस बात की सफाई चाहते थे कि हम इस पर कुछ कर सकें। इसलिये यह प्रस्ताव इस सदन के सामने रखा है और उसका मैं समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

श्री नौरंग लाल (जिला बरेली)—माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो प्रस्ताव आप के सामने अभी प्रस्तुत किया गया है श्री नारायण दत्त जी के द्वारा मैं उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। चार बातें सदन के सामने प्रस्तुत की गयी हैं। पहली बात तो यह कही गई है कि समय काफ़ी था और सरकार चाहती तो उस समय के अन्दर इस क़ानून को रख सकती

थी और पास करा सकती थी। इसलिये यह जो आर्डिनेन्स है इसको हाउस को स्वीकार नहीं करना चाहिये। दूसरी बात जो कही वह यह थी कि नरेन्द्रदेव कमेटी की रिपोर्ट में इस तरह का सुझाव है कि आगरा युनिवर्सिटी को एक बीच की युनिवर्सिटी क़रार दिया जाय, न तो उसको सेंट्रल माना जाय और न प्रांविशल माना जाय बल्कि बीच की क़रार दिया जाय। तो इसके आधार पर आपने यह कहा था कि हमारे इस सदन को यह अधिकार नहीं है कि वह इस पर कोई ला बना सके। तीसरा प्वाइंट यह कहा गया कि चूंकि युनिवर्सिटी विस्तृत है और अपनी स्टेट से निकल कर दूसरी स्टेट्स में भी जा कर फैल रही है, राजपूताना, इन्दौर इत्यादि में, इसलिये यह सेंट्रल सब्जेक्ट हो गया और प्रान्तीय सरकार को इस पर कोई भी विधान या ला बनाने का अधिकार नहीं है यह तीसरा प्वाइंट सदन के सामने रखा गया। एक चौथा प्वाइंट भी रखा गया हालांकि उसको अधिक मूल्य नहीं दिया गया और वह यह था कि चूंकि रुपया बाहर से भी आता है तो जो रुपया देते हैं उनको भी थोड़ा बहुत अधिकार होना चाहिये। इस कारण भी कहा गया, फरमाया कि इस आगरा युनिवर्सिटी के बारे में हमको कोई ला नहीं बनाना चाहिये तो इस तरह से ये तीन चार प्वाइंट्स थे जिनके आधार पर यह कहा गया कि इस सदन को कोई भी अख्तियार इस प्रकार का क़ानून बनाने का नहीं है, इसलिये राज्यपाल महोदय को भी आर्डिनेंस पास करने का कोई अधिकार नहीं था, और इस तरह से आपने वैधानिक आपत्ति प्रस्तुत की।

पहली बात जो कही गई उसका उत्तर तो यह है और बिल्कुल साफ़ है और यह आपत्ति ज्यादा वैधानिक भी नहीं मालूम पड़ती है कि उस वक्त, हम भी जानते हैं और सदन भी अच्छी तरह से इस बात को जानता है कि कुछ ऐसे क़ानून जेरे बहस थे जिनकी अवधि समाप्त हो रही थी और अगर वह पास न होते तो एक वैकुअम इस सूबे के अन्दर रह जाता। बहुत से ऐसे क़ानूनों की वजह से सरकार के पास समय नहीं था क्योंकि उसे कम से कम पहले उन क़ानूनों को पास कराना था जिनकी अवधि समाप्त हो रही थी। वे क़ानून जो दो दो साल के लिये बने थे अगर उनकी अवधि न बढ़ायी जाती तो ज़ाहिर है कि इस सूबे की बड़ी हानि हो जाती। इसलिये सरकार मजबूर थी कि वह इस तरह का बिल इतनी शीघ्रता से नहीं ला सकती थी और १६ अक्तूबर के बाद अगर ले भी आती तो वह पहले इस सदन में पास होता फिर कौंसिल में जाता और यदि वहां कोई संशोधन हो जाता तो फिर यहां आता और पास होता तो इसमें काफ़ी समय लग जाता और उधर वाइस चांसलर का इलेक्शन इत्यादि भी हो जाता। यह सब मानते हैं कि आगरा युनिवर्सिटी में गड़बड़ी है और उसमें सुधार की आवश्यकता है, इसको विरोधी पक्ष भी मानता है। तो इसलिये यह लाजिमी हो जाता था और इसके अलावा हमारे पास कोई इलाज भी नहीं था कि महामान्य राज्यपाल कोई आर्डिनेन्स पास करते जिससे कि वाइस चान्सलर का इलैक्शन न होने पाता। दूसरी बात यह कही गई कि आचार्य जी की कमेटी की रिपोर्ट में इस आपत्ति का समर्थन है। तो मेरी समझ में नहीं आता कि अगर कमेटी है भी, अव्वल तो शिक्षा मंत्री ने बतलाया कि उनकी इसके लिये कोई कमेटी नहीं थी, तो बहस तो सिर्फ यह है कि मान लिया जाय कि उस कमेटी में कुछ सुझाव ऐसे आते हैं तो वे सुझाव किसी तरीक़े से इस सदन पर लागू नहीं होते। हम उनको मान भी सकते हैं और यह भी हो सकता है कि न मानें। हमारे लिये कोई लीगल सैंक्शन नहीं है कि हम उनको मानें ही। सदन सुपीरियर है। उसकी वैधानिकता तथा अवैधानिकता पर हमको विचार करने का अख्तियार है। इसलिये कि उस कमेटी ने कुछ सुझाव दे दिये तो यह कोई लाजमी नहीं है कि उन्हें मान ही लिया जाय। इसलिये यह प्वाइंट भी कोई महत्व नहीं रखता। तीसरा प्वाइंट जो कहा गया था वह जरूर थोड़ा सा विचारणीय है। वह यह है कि युनिवर्सिटी विस्तृत है और इस प्रान्त के बाहर भी कुछ ऐसे कालेजेज हैं जो इसमें सम्मिलित हैं इसलिये जरा सा कन्फ्यूजन हो जाता है और वह यह है उत्तर प्रदेश के उन कालिजों पर कानून बनाने का जुरिस्प्रूडेंस नहीं है। मैं नारायणदत्त जी को बहुत अच्छा समझता हूं, कम से कम पिछले दो तीन दिनों में बहुत अच्छी स्पीचेज उन्होंने इस सदन के सामने दी हैं।

[श्री नौरंग लाल]

परन्तु इस आपत्ति को मैं समझ नहीं सका, जूरिसप्रूडेंस का क़ायदा है कि हम एक लीगल फिकशन मान लेते हैं। इसके माने यह होते हैं कि उसका यद्यपि कोई व्यक्तित्व नहीं होता लेकिन फिर भी व्यक्तित्व मान लेते हैं, उदाहरणतः यूनिवर्सिटी ऐक्ट है उसके द्वारा यूनीवर्सिटी को एक फर्जी आदमी मान लिया जाता है। और इसके द्वारा उसकी जूरिसडिक्शन का विस्तृत विवरण दिया जाता है। जब आगरा यूनिवर्सिटी बनी थी तो उस समय कोई भी बाहर का कालेज इसमें शामिल नहीं था और यू० पी० के ही सारे कालेजेज ही इसमें महदूद थे। इसलिये जिस वक्त हमने यह चीज तैयार की थी तो अपने यू० पी० के लिये ही तैयार की थी। बाहर के कालेजेज का कोई खयाल ही नहीं था और उस वक्त जो गवर्नर जनरल का सेंक्शन लिया तो उस ज़माने में गवर्नर किसी भी चीज को वापस कर सकता था या उठा सकता था, रद्द कर सकता था। इसलिये इसको बचाने के लिये सेंक्शन ले ली गई थी। लेकिन यह कोई ऐसी चीज नहीं है और इससे कोई हमारे ऊपर आपत्ति नहीं हो सकती है और न हमारी शक्ति पर आक्षेप हो सकता है। इसलिये इसकी सेंक्शन उस समय ले ली गई थी, जिससे आगे चलकर गवर्नर कोई गड़बड़ी न करे। वैसे इस चीज का कोई असर हमारे ऊपर नहीं पड़ता है।

जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि जिस समय आगरा यूनीवर्सिटी एक्ट बना था, तो उस समय इस यूनीवर्सिटी में बाहर के कोई भी कालेजेज शामिल नहीं थे। इसलिये अब जो बाहर के कालेजेज इसमें एफीलियेटेड हो गये हैं। तो वह हमारे इस लीगल फिकशन यानी यूनिवर्सिटी के पिछले नियमों को मानते हुए ही एफीलियेटेड हुये हैं और हमने, जो आगरा यूनीवर्सिटी ऐक्ट बनाया इसी सूबे के लिये बनाया था और वह अपनी जगह पर ज्यों का त्यों क़ायम है और इसके अलावा जो भी कालेजेज बाहर के आते गये वह इस यूनीवर्सिटी से एफीलियेटेड होते चले गये। इस तरह से भी इसे समझिये कि कोई कारपोरेशन यू० पी० के अंदर बनता है और उसकी मेम्बर शिप सारे हिन्दुस्तान के लिये खुली हुई है और बाहर के लोग उसमें शामिल होते हैं और उस कारपोरेशन के रूल्स ऐन्ड रेग्यूलेशन्स को ओबे करते हैं, तो इसके माने यह नहीं होंगे कि प्रांत से बाहर के जो लोग इसमें शामिल हो गये हैं तो उनको कोई पावर्स हो गई है और हमारी स्टेट कोई ला उस कारपोरेशन के मुताल्लिक़ नहीं बना सकती है। वह तो कारपोरेशन के ला के अंदर ही मेम्बर्स बनते हैं। वह उसी ला के मातहत मेम्बर्स बनते जायंगे और उनको उस क़ानून को मानना पड़ेगा। इसलिये जो कालेजेज बाहर के इसके साथ एफीलियेटेड हैं उनको स्टेट को कोई भी पावर्स इस बात की नहीं हो सकती है कि ला बनाने का उनको भी अधिकार मिलना चाहिये। इसलिये मैंने इसको समझाने की कोशिश की है। जहां तक आगरा यूनीवर्सिटी का ताल्लुक़ है वह वैधानिक है और हम कोई भी क़ानून आगरा यूनीवर्सिटी के बारे में बना सकते हैं और उन बाहर के कालेजेज को जो आगरा यूनीवर्सिटी से एफीलियेटेड हैं उनको कोई दखल नहीं है, क्योंकि आगरा यूनिवर्सिटी ऐक्ट हमारा बनाया हुआ है और वह उसके मातहत एफीलियेटेड हैं इसलिये उनकी स्टेट को कोई हक़ जूरिसडिक्शन संबंधी नहीं है। इसलिये सदन के लिये यह कहना कि इस सदन को आगरा यूनीवर्सिटी के लिये कोई क़ानून बनाने का अधिकार ही नहीं है यह ग़लत है और ठीक नहीं है।

इसके अलावा उनका चौथा प्वाइंट यह था कि जहां तक फाइनेन्सेज की बात है वह यह है कि वह बाहर से भी आता है। इसलिये हमें चाहिये कि जो अपनी पाकिट से मनी देता है उसको भी कुछ बोलने का हक़ होना चाहिये, उसकी भी बात सुनी जानी चाहिये। इसके लिये तरीक़ा है। आगरा यूनीवर्सिटी संबंधित जो नियम है उसमें साफ है कि सीनेट में हर जगह का प्रतिनिधित्व होता है और सब लोग वोट करते हैं और जो इसकी एक्जीक्यूटिव होती है वह सीनेट को कंट्रोल करती है। इसलिये आपका यह खतरा कि जो अपनी पाकिट से रुपया खर्च करता है उसको भी कुछ न कुछ बोलने का अधिकार होना चाहिये तो वह तो हमारे ला में मौजूद ही था और अब भी स्टैंड करता है। बड़ी उदारता के साथ यह चीज रखी गई है और इस विधान के अनुसार हर कालेज को अख्तियार है कि वह अपना प्रतिनिधि भेज दे। इसलिये फाइनेन्स वाला सवाल भी इसमें पैदा नहीं होता है।

मैं सदन से यह कहना चाहता हूं कि यही चार प्वाइंट मुख्य थे जो श्री नारायण दत्त जी तिवारी ने सदन के सामने रखे थे। उनके संबंध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इन चारों प्वाइंटस् की कोई वैल्यू नहीं है। जैसा कि मैंने आपको अभी समझाया और इस सदन को क़ानून बनाने का पूरा अधिकार है। इसलिये अंत में मैं सदन से प्रार्थना करूंगा कि वह श्री नारायण दत्त जी तिवारी के प्रस्ताव को अस्वीकार करे और जो शिक्षा मंत्री जी ने विरोध किया है उसको मानिये और इसके साथ ही साथ जो राज्यपाल का आर्डिनेंस है उसको पास करें।

श्री चन्द्र सिंह रावत (जिला गढ़वाल)—माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन के सामने क़ानूनी पोजीशन जिस पर बहस छिड़ी हुई है वह माननीय सदस्यों के सामने उपस्थित कर दी गई है। इसके बाद मैं सदन को यह बताना चाहता हूं कि गुजिश्ता ज़माने का इतिहास जो हमारी प्रान्तीय शिक्षा का रहा है वह किस बात को बतलाता है और किस अधिकार का सूचक रहा है। जब अंग्रेज़ों के ज़माने में हमारे सी० वाई० चिन्तामणि शिक्षा के मंत्री थे उस ज़माने में भी शिक्षा प्राविन्शियल सब्जेक्ट था। कहने का मतलब यह है कि शिक्षा सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं थी बल्कि अंग्रेज़ों के ज़माने में भी शिक्षा विभाग प्रान्तीय सरकार के कंट्रोल में रहा है। उसके बाद १९३५ की जो प्राविन्शियल आटोनामी हुई और १९३५ का ऐक्ट बना तो उसके अध्ययन करने से भी यह पता चलेगा कि शिक्षा का सब्जेक्ट प्राविन्शियल सब्जेक्ट रहा है। आज भी जो कांस्टीटयूशन आफ इंडिया बना है उसके मुताबिक हर स्टेट की सरकार पूरी पूरी पावरफुल है शिक्षा के मामले में सिवा उनके जिनके संबंध में सेंट्रल गवर्नमेंट कोई ख़ास नीति निर्धारित करे। उसके अलावा हमारी जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनको शिक्षा विभाग पर पूरा पूरा अधिकार है। इसके अलावा जितनी भी डिनामिनेशनल यूनीवर्सिटीज़ हैं उनके ऊपर भी हमारी प्रदेश की सरकार का पूरा पूरा अधिकार है। इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए इन आपत्तियों को इस समय उठाना बिल्कुल गलत मालूम होता है और यह स्पष्ट हो गया होगा कि अंग्रेज़ों के ज़माने से आज तक यह शिक्षा प्राविन्शियल सब्जेक्ट रहा है।

अब इसके बाद जहां तक टेरिटोरियल जूरिसडिक्शन का सवाल उठाया गया है कि इस स्टेट के बाहर भी कुछ कालेजेज और इंस्टीटयूशंस हैं जिनके ऊपर आगरा यूनीवर्सिटी का क़ानून लागू होता है तो मैं उन्हें यह बताना चाहता हूं कि यूनिवर्सिटी वह किसी भी सरकार की यूनीवर्सिटीज हो, वह दुनिया के किसी भी मुल्क की यूनीवर्सिटी हो, हर यूनीवर्सिटी सही मानी में जहां तक कि शिक्षा का प्रश्न है उसका दरवाजा सबके लिये खुला हुआ है। आपको मालूम है कि टैगोर यूनीवर्सिटी शांतिनिकेतन है उसमें सारी दुनिया के विद्यार्थी आते हैं और हमारी राज्य की यूनीवर्सिटीज़ भी बाहर के लोगों के लिये बन्द नहीं हैं। इसी प्रकार हर मुल्क के अन्दर भारतवर्ष के विद्यार्थी जा कर वहां की यूनीवर्सिटीज़ में पढ़ लिख सकते हैं।

अब दूसरी बात यह है कि मान लीजिये कि यू० पी० की सरकार काम्पीटेंट नहीं थी इस बात के लिये कि वह आगरा यूनीवर्सिटी के मुताल्लिक़ कोई क़ानून या आर्डिनेंस पास कर सकती। मैं यह बताना चाहता हूं कि ऐसी हालत में अगर कोई लीगली प्रोसीड करना चाहता है तो क़ानून के ज़रिये से वह आगे बढ़ता है तो मैं आपको यह बतलाता हूं कि अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट अगर इनकांपीटेंट है किसी क़ानून को पास करने के लिये और कोई क़ानून बना दे तो मैं कहता हूं कि वह विधान अल्ट्रावायर्स और एक नलिटी है।

जो क़ानून अल्ट्रावायर्स होता है और उसको नलिटी होने के कारण उस क़ानून को रद्द करने के लिये किसी प्रस्ताव की ज़रूरत नहीं होती है। वह तो बिलकुल सही और सीधी सी बात है। ऐसे क़ानून के रद्द करने के लिये इस सदन के अन्दर इस प्रकार के प्रस्ताव को लाना किसी तरह से उचित नहीं है। इस तरह से क़ानून को रद्द कराने का तरीक़ा नहीं है। जो क़ानून को बनाने वाली अथारिटी है उसने क़ानून बना दिया और पास कर दिया है। अगर किसी प्रकार से उसको रद्द कराने की या और किसी प्रकार से किसी सज्जन को आपत्ति है तो वह उस क़ानून की अवहेलना कर सकता है, अदालत में कोई भी क़ानूनी कार्रवाई

[श्री चन्द्र सिंह रावत]

उसके ऊपर नहीं की जा सकती है। इसलिये मैं यह समझता हूं कि इस बात को मद्देनजर रखते हुये कि अगर यह मान लिया जाय कि यह सरकार इस क़ानून को पास करने के लिये इनकांपिटेंट थी तो उनको यह अधिकार था कि वे इस क़ानून की अवहेलना कर सकते हैं।

अब इसके बाद मैं आपको यह बतलाना चाहता हूं कि कांस्टीटयूशन आफ इंडिया में सेन्ट्रल के क्या अधिकार हैं और किनके ऊपर उनको पूरा अधिकार है उसकी एक लिस्ट दी हुई है। उसको माननीय सदस्य गण देख सकते हैं। दूसरी लिस्ट है जिनके ऊपर प्रान्तीय सरकार को अधिकार प्राप्त है और जिनके ऊपर पूरा कंट्रोल होगा जैसा कि अभी बतलाया गया है। इसलिये यह बात कांस्टीटयूशन आफ इंडिया में साफ कर दी गई है और उसमें सेन्ट्रल सब्जेक्ट्स और प्राविन्शियल सब्जेक्टस् के लिये लिस्ट दी गई है। मैं समझता हूं कि इस प्रकार से गलत बातें कहने से सरकार की इस क़ानून को पास करने की कांपिटेन्सी में शक करने की कोई गुंजायश नजर नहीं आती है। अगर कोई बात इस प्रस्ताव को इस सदन में पेश करने के लिये जिम्मेदार है तो वह मिसकांसेप्शन ही है अगर उन्होंने क़ानून को गलत समझा है तो उसको इस प्रकार से समझने की जिम्मेदारी उनके ऊपर ही है और उनके मस्तिष्क के ऊपर है और दूसरे लोग जो क़ानून को सही समझते हैं उनके ऊपर उसके जिम्मेदारी नहीं है। जहां तक क़ानून के बनाने वालों की जिम्मेदारी की बात है अगर यह क़ानून साफ नहीं होता और एम्बीगुअस होता तब तो कोई गुंजायश शक करने की हो सकती थी। इसलिये मैं यह समझता हूं कि क़ानून के बनाने वालों के ऊपर कोई इसकी जिम्मेदारी नहीं मढ़ी जा सकती है। लेकिन जब गुजिश्ता जमाने का शिक्षा विभाग का इतिहास इस बात की सूचना देता है कि पहले से ही यह प्राविन्शियल सब्जक्ट रहा है। तो मैं यह समझता हूं कि इस बात पर शक करने की गुन्जाइश नहीं है। इसलिये माननीय सदस्यों को इस बात की आपत्ति नहीं करनी चाहिए कि आया यह प्राविंशियल सब्जक्ट है या सेन्ट्रल सब्जेक्ट्स है।

श्री रामनारायण (जिला बनारस)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, नारायण दत्त जी द्वारा उपस्थित प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। माननीय गृह मन्त्री ने नारायण दत्त जी के प्रस्ताव का विरोध किया और उस विरोध के समर्थन में कुछ ऐसी बातें कहीं जो मैं समझता हूं कि गलत थीं। अब पहिली बात तो मैं आपके द्वारा इस सदन को यह बतलाना चाहता हूं कि जहां तक नारायण दत्त जी का सवाल है या हम लोगों का सवाल है, हम आचार्य नरेन्द्रदेव जी का नाम घसीटना नहीं चाहते हैं। यह इच्छा तो बराबर सरकार की रहा करती है कि सरकार अपने गलत काम का समर्थन कराने के लिये आचार्य नरेन्द्रदेव जी के नाम का प्रयोग किया करती है चाहे वह यूनीवर्सिटीज से सम्बन्धित हो या जमीन्दारी एबालिशन ऐक्ट से सम्बन्धित हो या कोई और प्रचार करना हो तो वह आचार्य नरेन्द्र देव जी का नाम ले लिया करती है। उस समय जबकि गृह मन्त्री जी इस बात को कह रहे थे तो उन्होंने ही आचार्य नरेन्द्रदेव जी का नाम लिया था। और उसी के सम्बन्ध में श्री नारायण दत्त जी ने यहां बातें कहीं मगर मैं आपके द्वारा माननीय गृह मन्त्री की सेवा में यह पढ़कर सुनाना चाहता हूं कि—

"This Report consists of three parts and a series of Appendices. Part I deals with matters of interest to all the three Universities covered by the Committee's terms of reference. Part II deals with questions affecting the Teaching Universities (Allahabad and Lucknow) only and Part III with questions pertaining to the affiliating University of Agra.

The draft of Part I and II was prepared by me according to directions received from Acharya Narendra Deva (Chariman, Sub-Committee, I and acting Chariman of the whole Committee) after the conclusion of meetings at the end of January, 1940. It incorporates all the findings and recommendations of the Committee as recorded in its proceed-

ings which have been printed and circulated to members. The draft was revised and approved with slight amendments by Sri Sampurnanand, Chariman of the Committee in September, 1940, and was read and approved by Acharya Narendra Deva in October, 1940. It was printed and circulated to all members of the Committee in November and was to be consider at a meeting summoned for the 2nd December, 1940, which was, however, postponed by order of the Chairman."

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--नैक्स्ट पैरा भी आप पढ़ दें।

श्री राजनारायण--

"The draft of Part III has been prepared by Professor Mohammad Habib of Aligarh University in collaboration with Acharya Jugal Kishore Chairman of Sub-Committee II. The draft embodies all the recorded findings and recommendations relating to the Agra University with a few slight variations which it was intended to get approved at the final meeting of the Committee."

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं केवल इतना ही संकेत करना चाहता हूं कि आचार्य नरेन्द्र देव जी तो सभी कमेटियों के चेयरमैन थे, इसलिये अगर उनके नाम को कोई ले लेता है तो चाहे सरकार की तरफ के लोग हों या इस तरफ के लोग हों उसमें माननीय गृह मन्त्री को कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए, और हमें भी उसमें आपत्ति नहीं है। अगर उस कमेटी की रिपोर्ट को इस सम्बन्ध में देखा जाय तो मैं आपके द्वारा निवेदन करूंगा कि उस कमेटी ने भी इस बात का पता लगा लिया था।

"The Agra University thus occupies an Intermediate position between the All India Universities of Aligarh and Banaras and the Provincial Universities."

मेरा निवेदन यह है कि जब सन् २६ में आगरा यूनीवर्सिटी ऐक्ट आया उस समय भी यह बात विचाराधीन थी कि आया प्रान्तीय सरकार इस सम्बन्ध में कानून बनाने का अधिकार रखती है या नहीं और उस समय इस त्रुटि को दूर करने के लिये गवर्नर जनरल की इजाजत भी पहिले से ले ली गयी थी और उनकी इजाजत लेकर ही यह ऐक्ट बना था। माननीय गृह मन्त्री ने यह बताया कि सन् ४७ में भी इस सरकार ने इस ऐक्ट में संशोधन किया है, हो सकता है किया हो और उस समय किसी का ध्यान इस ओर न गया हो और उस समय संशोधन हो गया हो। लेकिन वह गलत तरीके से हुआ होगा जोकि न होना चाहिए था क्योंकि प्रान्तीय सरकार को इसका अधिकार नहीं था। परन्तु इस तर्क से यह नतीजा नहीं निकलता कि आज भी उसी गलत तरीके से विधेयक पास करें और वह भी जायज हो जाय। इसलिये माननीय मन्त्री जी का उत्तर भी इस समय खड़ा नहीं होता है। यदि आगरा यूनीवर्सिटी ऐक्ट की धारा ६ तथा ८ को देखा जाय तो उसमें कहीं भी इसके अमेंडमेंट की गुंजाइश नहीं है। इसमें है कि:

"The Provincial Government shall have the right to cause an inspection to be made by such person or persons as it may direct, of the University and its buildings and of any affiliated college or hostel and also of the examinations and other work conducted or done by the University. Second, the Provincial Government shall communicate to the Senate of the Executive Council its views with reference to the results of such inspection or inquiry and shall after ascertaining the opinion of the Senate of the Executive Council thereon, advise the University upon the action to be taken. The Executive Council shall report to the Provincial Government the action, if any, which is proposed to be taken. Where the Executive Council does not, within a reasonable time, take action to the

[श्री राजनारायण]

satisfaction of the provincial Government, the Provincial Government may, after considering any explanation furnished or representation made by the Senate and the Executive Council, issue such directions as it may think fit and the Executive Council shall comply with such directions"

अगर दफा ८ को देखा जाय तो उसमें भी स्पष्ट है कि--

"The Governor of the U. P. shall be the Chancellor. He shall usually, by virtue of his office, be the head of the University and President of the Senate and shall, when present preside at meetings of the Senate and any convocation of the University. Where power is conferred upon him by this Act or Statutes to nominate to authorities and bodies, the Chancellor shall, to the extent necessary and without prejudice to such powers, nominate persons to represent minorities not otherwise adequately represented."

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जो ऐक्ट गवर्नर जनरल की आज्ञा लेकर प्रान्तीय सरकार ने पास किया है उसके जरिये प्रान्तीय सरकार को कहीं भी यह गुंजाइश नहीं है कि किसी तरह से इसका संशोधन करे। और मुझे तो आश्चर्य होता है कि माननीय सम्पूर्णानन्द जी के शिक्षा मन्त्री रह चुकने पर भी वे कमियां रह गयीं जिनको दूर करने के लिए यह विधेयक आर्डिनेंस को स्थायित्व प्रदान करने के लिए लाया गया। मैं केवल इतना ही संकेत करना चाहता हूं कि पिक्चर की दूसरी साइड भी देखी जाय। जो बातें माननीय शिक्षा मन्त्री जी ने अवगत कराई थीं, अतः वे तथ्यरहित हैं मैं उन पर नहीं जाना चाहता।

अब मैं जिस तरीके से यह आर्डिनेन्स आया उस पर कुछ चर्चा करना चाहता हूं। २८ व २९ अक्टूबर को यहां काउन्सिल की मीटिंग चल रही थी। २८ को श्री राजाराम जी शास्त्री ने एक सवाल किया कि उन्हें मालूम हुआ है कि सरकार कोई आर्डिनेन्स निकालने जा रही है आगरा यूनीवर्सिटी के बारे में तो इसमें क्या असलियत है। २९ को जवाब दिया जाता है कि यह मामला कांफिडेन्शियल है और इसका जवाब नहीं दिया जा सकता है। सरकार की ओर से कहा गया कि इसका उत्तर नहीं दिया जा सकता। अब ३० को छुट्टी हो जाती है और ३१ को गवर्नर महोदय यह आर्डिनेन्स जारी करते हैं। इस चीज को बताकर मैं इस सदन से कहना चाहता हूं कि इस आर्डिनेन्स को जारी करने में गवर्नर महोदय की क्या इच्छा थी और उसमें इस सरकार की क्या मनोवृत्ति थी। जिस तरीके से यह आर्डिनेन्स आया है उस पर इसी सदन में टीका टिप्पणी नहीं हो रही है बल्कि सारे शिक्षा विशेषज्ञ और विधान के पंडित इस पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं। इन सबसे सरकार की उस मनोवृत्ति का पता चलता है जो कि सरकार शिक्षा के क्षेत्र में लागू करना चाहती है, यानी सारी शिक्षा प्रदान करने की शक्ति को अपने में केन्द्रित करना चाहती है।

इस सदन में माननीय परिपूर्णानन्द जी भी विद्यमान हैं उनके विचार हमने अखबारों में पढ़े हैं, और हम समझते हैं कि उनके जो विचार हैं वे हमसे मेल खाते हैं, मैं आशा करता हूं कि वे कुछ अवश्य ही इस बारे में प्रकाश डालेंगे। मैं इस सदन का और ज्यादा समय नहीं लेना चाहता केवल यही बताना चाहता हूं कि जिन परिस्थितियों में यह अध्यादेश जारी हुआ है उनसे सरकार की मनोवृत्ति का पता चलता है और वह यह है कि सरकार की इच्छा शिक्षा संस्थाओं को अपने हाथ में लेकर अपने मनमाने ही तरीके से शिक्षा को संचालित करने की है जोकि एक जनतन्त्र के जमाने में अवांछनीय है। इसके साथ ही साथ मैं आप से यह भी निवेदन करना चाहता हूं और आपके जरिये से इस सदन को भी निवेदन करना चाहता हूं कि गृह मन्त्री जी की तमाम बातें और उनके द्वारा उपस्थित किये गये तर्कों के होते हुए भी हमारा यह निश्चित मत है कि यह जो आर्डिनेन्स जारी हुआ है वह बिल्कुल अनुचित है

और उसमें सरकार की यह इच्छा छिपी हुई है कि इस सदन के सामने साफ बातें न आयें वरना क्या कारण था कि १६ तारीख तक असेम्बली बैठी और फिर कौंसिल बैठी, उस समय में आगरा यूनीवर्सिटी की ऐसी कोई भी खराबी सदन के सामने नहीं लायी गयी जिसको दूर करने के लिये वाइस चान्सलर का कार्यकाल बढ़ाया गया। इसका एक ही मतलब यह है कि सरकार इस चीज को सदन के सामने लाना नहीं चाहती थी।

श्री राजाराम शास्त्री को जो उत्तर सरकार ने दिया उससे ही यह बात स्पष्ट है कि सरकार इसको छिपाना चाहती थी और उसको छिपाकर एक आर्डिनेन्स लाकर इस तरह की परिस्थिति पैदा करना चाहती थी। माननीय नारायण दत्त जी ने जो बातें कहीं उनके जवाब में माननीय सम्पूर्णानन्द जी ने केवल एक बात कही कि कानून बनाये जाते हैं इन्सानों के लिये, इंसान नहीं बनता कानूनों के लिये। हम लोग तो बराबर इसी सिद्धान्त पर चलने की बातें कहा करते हैं और आज माननीय मंत्री जी ने उसी बात को दोहराया। आशा है माननीय मन्त्री जी इस बात को और कानूनों के ससय भी लागू करने की कृपा करेंगे। माननीय मन्त्री जी ने कहा कि उसका ज्यादातर सम्बन्ध उत्तर प्रदेश की जनता से है मगर मैं आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह केवल उत्तर प्रदेश की जनता से सम्बन्धित नहीं दूसरे प्रदेशों के कालेजेज भी उससे काफी संख्या में एफलियेटेड हैं और उसके मुताल्लिक जो रूल्स और रेग्यूलेशन्स बनाये जा रहे हैं उन सब पर उनका असर पड़ता है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह माननीय मन्त्री जी का सार्वजनिक दृष्टि कोण है ?

श्री अध्यक्ष--माननीय एडवोकेट जनरल इस पर कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे ?

एडवोकेट जनरल (श्री कन्हैयालाल मिश्र)---अध्यक्ष महोदय, मेरा यह दुर्भाग्य रहा है कि श्री नारायण दत्त जी की आंखें मेरे ऊपर आज पहिले पहल पड़ी हैं। मैं यहां कई बार आ चुका हूं और संसद् की सेवा में उपस्थित रहा हूं। जो प्रश्न सदन के सामने उपस्थित है उस का निश्चय, पहिली बात तो मैं यह कहना चाहता हूं, कि आगरा यूनीवर्सिटी ऐक्ट की धाराओं के ऊपर निर्भर नहीं है। अभी श्री राजनारायण जी ने यह कहा है कि आगरा यूनीवर्सिटी ऐक्ट की धारा ६ अथवा धारा ८ में कोई इस प्रकार का अधिकार नहीं दिया गया जिससे आगरा यूनिवर्सिटी ऐक्ट का परिवर्तन हो सके। आगरा यूनिवर्सिटी ऐक्ट अथवा संसद् का किसी ऐक्ट के परिवर्तन करने का अधिकार उस ऐक्ट में नहीं देखा जा सकता है। यह तो केवल संविधान है जिसमें संसद् की शक्तियों का वर्णन है, किसी भी देश का संविधान हो, उसी से उसका पता चल सकता है कि संसद् का, या किसी भी लेजिस्लेचर का किसी ऐक्ट के परिवर्तन करने का क्या अधिकार है।

जहां तक राज्यपाल महोदय के आर्डिनेन्स (अध्यादेश) निकालने के अधिकार का सम्बन्ध है वह इस संविधान के अनुच्छेद २१३ में दिया हुआ है। अनुच्छेद २१३ में आप देखेंगे--

"If at any time, except when the Legislative Assembly of a State is in session or where there is a Legislative Council in a State, except when both Houses of the Legislature are in session, the Governor is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action, he may promulgate such Ordinances as the circumstances appear to him to require."

[उस समय को छोड़कर जबकि राज्य की विधान सभा तथा विधान परिषद् वाले राज्य के विधान मंडल के दोनों सदन सत्र में हैं यदि किसी समय राज्यपाल का समाधान हो जाये कि तुरन्त कार्यवाही करने के लिये उसे बाधित करने वाली परिस्थितियां वर्तमान हैं तो वह ऐसे अध्यादेशों का प्रख्यापन कर सकेगा जो उसे परिस्थितियों से अपेक्षित प्रतीत हों।]

[एडवोकेट जनरल]

वह अधिकार आपने देखा है कितने विस्तृत शब्दों में दिया हुआ है। उस अधिकार में जो कुछ रुकावटें हैं उसी धारा में आ गयी हैं।

"Provided that the Governor shall not, without instructions from the President, promulgate any such Ordinance if—

(a) a Bill containing the same provisions would under this Constitution have required the previous sanction of the President for the introduction thereof into the Legislature; or

(b) he would have deemed it necessary to ressrve a Bill containing the same provisions for the consideration of the President; or

(c) an Act of the Legislature nf the State containing the same provision would under this constitution have been inv unless, having been reserved for the consideration of the President, it had received the assent of the President."

[परन्तु राष्ट्रपति के अनुदेशों बिना राज्यपाल कोई ऐसा अध्यादेश प्रख्यापित न करेगा यदि—

(क) वैसे ही उपबन्ध अन्तर्विष्ट रखने वाले विधेयक को विधान मंडल में पुनःस्थापित किये जाने के लिये राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी की अपेक्षा होती, अथवा

(ख) वैसे ही उपबन्ध अन्तर्विष्ट रखने वाले विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ रक्षित करना वह आवश्यक समझता, अथवा

(ग) वैसे ही उपबन्ध अन्तर्विष्ट रखने वाले राज्य के विधान मंडल का अधिनियम इस संविधान का अधीन तब तक अमान्य होता जब तक कि राष्ट्रपति के विचारार्थ रखे जाने पर उसे राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त न हो चुकी होती।]

जो राज्यपाल महोदय के अध्यादेश निकालने की सीमायें हैं वे इस धारा में दी हुई हैं और जहां तक मैंने सुना है किसी ने आज यह नहीं कहा है कि जो सीमायें धारा २१३ में दी हुई हैं, जिसको मैंने पढ़ा है, उन सीमाओं का उल्लंघन किया गया है। राज्यपाल महोदय को अध्यादेश निकालने का वही अधिकार है जो आप को विधि के बनाने का है। और यह प्रस्ताव जो आप के सम्मुख है, एक प्रकार से आपके विधि बनाने के अधिकारों को कम करने का प्रयत्न कर रहा है। उसको आपको देखना है कि यदि आपके अधिकार के सीमा में है तब तो ठीक है। आप जानते हैं कि भारत के संविधान में प्रत्येक राज्य के राज्य क्षेत्र अलग अलग दिये गये हैं। आपको संविधान की प्रथम अनुसूची में वे राज्य क्षेत्र अलग अलग मिलेंगे और उसके पहिले धारा २४५ और २४६ संविधान की सप्तम अनुसूची में तथा संविधान के बनाने का अलग अधिकार स्थिर है। धारा २४५ को देखेंगे। उसके शब्द ये हैं—

"(1) Subject to the provisions of this Constitution, Parliament may make laws for the whole or any part of the territory of India, and the Legislatures of a State may make laws for the whole or any part of the state.

(2) No law made by the Parliament shall be deemed to be invalid on the ground that it would have extra territorial operations."

[(१) इस संविधान के उपबन्धों के अधीन रहते हुए संसद् भारत के सम्पूर्ण राज्य क्षेत्र अथवा उसके किसी भाग के लिये विधि बना सकेगी, तथा किसी राज्य का विधान मंडल उस सम्पूर्ण राज्य के अथवा उसके किसी भाग के लिये विधि बना सकेगा।

(२) संसद् द्वारा निर्मित कोई विधि इस कारण से कि उसका राज्य क्षेत्रातीत प्रवर्तन होगा, अमान्य नहीं समझी जायेगी ।]

राज्य के संसद् के लिये यह शब्द संविधान में तो नहीं है कि राज्य क्षेत्र के बाहर जाने से बनाये हुए विधि संविधान के विरुद्ध होंगे परन्तु उसमें कोई संशय नहीं है कि आपके उसके अधिकार इससे सीमित हैं और आप अपने राज्य क्षेत्र के लिये नियम बना सकते हैं परन्तु मुख्यतः जब आपके अधिकारों का प्रश्न आता है और संसद् के अधिकारों का प्रश्न होता है तो सप्तम अनुसूची से उसका निर्णय किया जाता है। सप्तम अनुसूची में तीन सूचियां हैं— एक संघ सूची, एक समवर्ती सूची और तीसरी राज्य सूची। यदि कोई विषय राज्य सूची के अन्तर्गत आता है तो आपके अधिकारों के लिये कोई भी नहीं कह सकता कि आपको उस नियम में विधि बनाने का अधिकार नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट और फेडरेल कोर्ट दोनों ने कई अवसरों पर कहा है कि जब यह प्रश्न आता है कि कोई भी बिल किसी एक सूची में है अथवा दूसरी सूची में है तो आपको देखना यह चाहिए कि उसका ध्येय क्या है ? उसकी केवल छोटी छोटी चीज आप नहीं दे सकते। प्रश्न जब यह होगा कि किस अनुसूची में आपका विधेयक आता है तो आपको उसके सब्सटेंस को देखना होगा यानी किसी विधेयक में अगर यूनीवर्सिटी के किसी नियम को परिवर्तन करने का और संशोधित करने का मुख्य ध्येय है तो उसकी अनुसूची निश्चित हो जायेगी और उसमें अगर छोटी बातें ऐसी भी आती हैं जो उस ध्येय के बाहर भी दिखायी देती हैं तो उसके कारण यह नहीं कहा जा सकता कि कोई नियम किसी अनुसूची, प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय जिसमें आता है के विरुद्ध दिखायी देता है। इसलिये पहला प्रश्न यह है कि वह किसी अनुसूची में है। इस समय भी जितने लोगों ने आज संसद् में अपने वक्तव्य दिये हैं मैं देखता हूं सब इसको मानने के लिये तैयार हैं कि आपको द्वितीय अनुसूची के ११वें आइटम में कि आगरा यूनीवर्सिटी के बारे में आपही को अधिकार है विधि बनाने का, इसमें कोई संशय नहीं है। आप यह कहते हैं कि चूंकि आगरा यूनीवर्सिटी ऐक्ट की कुछ धारायें ऐसी हैं जिनका प्रभाव आपके क्षेत्र के बाहर के लोगों पर पड़ता है, इसलिये आगरा यूनीवर्सिटी ऐक्ट भी ऐसा विषय है जो केवल हमारे राज्य का नहीं, बल्कि राज्य के बाहर का कहा जा सकता है। विधान के अनुसार यह बात ठीक नहीं है। कोई विषय ऐसा नहीं है कि जो किसी न किसी अनुसूची के अन्तर्गत न आता हो और आगरा यूनीवर्सिटी उसके अन्तर्गत है, अपने राज्य के सूची के अन्तर्गत है इसमें तनिक भी संशय नहीं है। यह भी कहा जाता है कि आगरा यूनीवर्सिटी रिपोर्ट में कहा गया है कि यह यूनिवर्सिटी किसी इन्टरमीडियेट अवस्था में है। इसलिये किसी भी न्यायालय में यह बात चल नहीं सकेगी कि १९४७ और १९४९ में लेजिस्लेचर ने अपनी सीमाओं को भुला कर विधि को बना दिया था।

अपने राज्य के क्षेत्र के बाहर विधि बनाने की जो मनाही है, वह केवल आपके ही संविधान में नहीं है। आस्ट्रेलिया में है। अमेरिका में भी है। जहां स्टेट्स हैं वे अपने क्षेत्र के ही अन्तर्गत विधि बना सकती हैं। संसार के किसी भी न्यायालय में यह बात कभी भी नहीं कही गयी है कि कोई भी ऐसा विधि आप नहीं बना सकते हैं, जिसका प्रभाव बाहर पड़े। आप प्रभाव को तो रोक नहीं सकते। बाहर के लोग आपके क्षेत्र में आते हैं, रहते हैं, कार्य करते हैं, आपकी प्रत्येक बनाये हुए विधि का उस प्रत्येक बाहरी आदमी पर प्रभाव पड़ता है। वह नहीं भी आता है, तब भी बाहरी आदमी के ऊपर प्रभाव पड़ता है। आप टैक्स लगा सकते हैं ऐसे आदमी के ऊपर जो बाहर रहता हो और आपके यहां आ कर कार्य करता हो। मदरास में रहने वाला आदमी अगर आपके यहां बैठ कर कोई कार्य कर रहा हो, उस पर आप टैक्स लगा सकते हैं। यदि वह न आपके यहां रहता हो और न आपके यहां के कार्य करता हो तब आप टैक्स नहीं लगा सकते हैं। यदि कोई ऐसा अपराधी होता है जो आपके क्षेत्र के बाहर अपराध करता है तो आप उसके दंड का विधान अपनी विधि से नहीं बना सकते। परन्तु बाहर का रहने वाला

[एडवोकेट जनरल]

आदमी हो यदि ऐसे क्षेत्र में अपराध करता हो जो आपके क्षेत्र की सीमा के अन्दर है तो आपको विधि बनाने का अधिकार है। इसलिये जहां तक संविधान का प्रश्न है, यह प्रश्न पहले पहल नहीं आया है। गृहमंत्री जी ने बसु की पुस्तक के कुछ भाग सुनाया है। उसमें दो बातें और हैं जिसके ऊपर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। उसी पुस्तक में पृष्ठ ६२३ और ६२४ में दिया हुआ है कि एक्स्ट्रा टैरिटोरियल के अर्थ क्या होते हैं जहां तक विधान का संबंध है कोई विषय इंटरमीडियरी तो है नहीं। या तो वह राज्य सूची में है या समवर्ती सूची में है अथवा वह संघ सूची में है। इसके अतिरिक्त कोई चौथी सूची नहीं है, जिसमें 'किसी इंटरमीडिएट विषय का समावेश हो सके और आप यह कह सकें कि यह कोई ऐसा विषय है कि किसी भी अनुसूची में नहीं आता। गृहमंत्री जी ने १९४७ और १९४९ के संशोधनों पर ध्यान दिलाया था। उसका कारण यह था कि गवर्नमेंट आफ इंडिया ऐक्ट में आप देखेंगे कि बिल्कुल वही शब्द थे जो कि आपके संविधान में हैं। उसकी धारा ९९ यह थी।

"99—Subject to the provisions of this Act, the Dominion Legislature may make laws (including laws having extra territorial operation) for the whole or any part of the Dominion, and a Provincial Legislature may make laws for the Province or for any part thereof."

"100—(1) Notwithstanding anything in the two next succeeding sub-sections, the Dominion Legislature has, and a Provincial Legislature has not, power to make laws with respect to any of the matters enumerated in List I in the Seventh Schedule to this Act (hereinafter called the Federal Legislative List)."

इसी प्रकार से लिस्ट २ और लिस्ट ३ के लिये भी अनुच्छेद १०० में शब्द आये हैं। और ठीक उसी प्रकार संविधान के अनुच्छेद २४५ और २४६ में यही शब्द दिये हुए हैं। उनके कहने का अर्थ केवल यह था कि १९३५ के बाद हमारे बंधन वही थे जो हमारे संविधान में हैं।

यह कहना कि लोग उस समय इन सीमाओं को भूल गये, लोगों का उस पर ध्यान नहीं रहा यह तो किसी भी लेजिस्लेचर के लिये सम्भव नहीं है। आप जानते हैं, कि अदालतें इसको सैकड़ों दफा कह चुकी हैं कि जो लेजिस्लेचर अपनी शक्ति का प्रयोग करके विधि बनाता तो आपको इसको मान लेना होगा कि अपनी सीमाओं को समझता था, अपनी शक्ति को समझता था और अपनी शक्ति और सीमाओं को समझ कर ही किसी विधि को बनाया है।

"As a result of the territorial limitations the State Legislature shall not be competent to make laws on the following subjects :

1. Laws imposing a penalty or creating a civil liability in respect of an act committed outside its territorial limits.

2. Laws imposing taxes on persons not residents within the State and in respect of the property which has no proximate territorial connection with that State."

एक्स्ट्रा टैरिटोरियल विधि का केवल यह मतलब होता है कि आप इन बातों को नहीं कर सकते। आप स्वयं देखेंगे कि जहां तक यूनिवर्सिटीज की शिक्षा संस्थाओं का प्रश्न है, इंगलैन्ड में जो बैरिस्टरी पास किये हुए हैं, उसको हमारे यहां के न्यायालय में एडवोकेट होने का अधिकार होगा। आपके यहां संस्थायें हैं, जो कैम्ब्रिज अथवा आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटियों के लिये शिक्षा देती हैं अथवा पढ़ाती हैं। न तो यह इंगलैंड की विधि का यह असर है कि आप कैम्ब्रिज या आक्सफोर्ड के पास किये हुए लोगों को अपने न्यायालयों में जगह दें और न यह वहां की विधियों का असर

है कि यहां पर बाहर की परीक्षायें मान्य हैं न तो इसका यह अर्थ है कि कैम्ब्रिज और आक्सफोर्ड के लिये जो नियम बन रहा है, वह भारत के लिये लागू होगा अथवा भारत के लिये बनाया गया है।

जहां तक आगरा यूनिवर्सिटी का प्रश्न है, कालिजों को यह अधिकार दिया गया है कि यदि वे चाहें तो आगरा यूनिवर्सिटी से अफिलिएट हो सकते हैं और वह चाहें अलग होना तो अलग हो सकते हैं। आगरा यूनिवर्सिटी के लिये नियम बनाने में, केवल इसलिये कि कुछ राज्य के बाहर के कालेजेज के ऊपर आपकी विधि का असर पड़ रहा है, यदि आप अधिकारहीन हो जाते हैं और अगर यह सही है तो आगरा यूनिवर्सिटी ऐक्ट, अगर एक बार बन गया तो उसको आप छू ही नहीं सकते। अगर आप एक भी संशोधन करेंगे तो बाहर के कालेजों पर प्रभाव पड़ेगा। इसका यह मतलब नहीं है कि बाहर के कालेजों पर प्रभाव पड़ने से आपका आगरा यूनिवर्सिटी ऐक्ट में संशोधन करने का अधिकार छिन गया। दूसरी चीज जो मैं राजनारायण जी को विश्वास दिलाना चहाता हूं वह यह है कि यह बातें मैं केवल प्रस्ताव के उत्तर में नहीं कह रहा हूं। जितनी बातें उन्होंने कही हैं वह पहले समझ कर तब की गयी हैं। इसमें कोई संशय नहीं कि जो आपका आर्डिनेंस जारी हुआ है वह अधिकार के अन्दर है। कोई भी आर्डिनेंस, धारा २१३ के अनुसार, आपके अधिकार में है। आर्डिनेंस तो अल्प स्थायी होता है और संसद की राय पर ही उसके भविष्य का जीवन निर्भर रहता है। आपको सर्वदा अधिकार है। संविधान के अनुसार आर्डिनेंस राज्यपाल जारी अवश्य करते हैं, मगर जीवन उसका आप पर निर्भर है। तो आप इस प्रस्ताव से अपने अधिकार को जो आगरा यूनिवर्सिटी के ऊपर है, कम कर रहे हैं। दूसरे यह प्रस्ताव लाकर जो आपको अधिकार है उसको प्रयोग करने के बदले आप यह कह रहे हैं कि राज्यपाल इसको वापस ले लें। तो इस प्रस्ताव का विषय और इसको लाने का जो तरीका है, दोनों ही इस संसद् के अधिकार को कम करते हैं और मुझे आशा है कि नारायण दत्त जी इसको समझकर उसे संभवतः वापस ले लेंगे।

श्री नारायण दत्त तिवारी—श्रीमन्, मैंने माननीय ऐडवोकेट जनरल की स्पष्टोक्ति को बड़े ध्यान पूर्वक सुना और उसके पहले माननीय गृहमंत्री जी ने जो मेरे प्रस्ताव के विरोधस्वरूप उक्तियां कहीं उनको भी समझने की पूरी कोशिश की। मैं ऐडवोकेट जनरल साहब की विद्वत्ता और उनके कानूनी और न्यायसंगत दृष्टिकोण का आभारी हूं। मैं इस बात के लिये आभारी हूं कि उन्होंने मेरे निवेदन पर हमें अपनी राय और परामर्श से अनुगृहीत किया, लेकिन मुझे अत्यन्त खेद के साथ कहना पड़ता है कि जहां तक मेरा अपना सवाल है अभी तक उनकी न्यायसंगत दलीलों से मुझे संतोष नहीं हुआ। इसीलिये क्यों कि जो मेरा पुराना प्रश्न था, उसका अभी तक जवाब नहीं मिला। ऐसा मुझे विश्वास है कि सबसे पहले मैंने यह कहा था कि क्या आगरा यूनिवर्सिटी एक स्टेट यूनिवर्सिटी है और मैंने उसके हवाले में जो कमेटी बैठी थी, उसकी रिपोर्ट उद्धृत की थी और मैंने उसमें कहा था कि:—

"The Universities thus occupies an intermediate position between the all-India universities if Aligarh and Banaras and the provincial universities."

यह रिपोर्ट उसी कमेटी की है जिसके लिये उन्होंने कहा कि मैं चेयरमैन था। इसके माने यह हैं कि हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री जिस कमेटी के चेयरमैन थे, उनकी यह रिपोर्ट है। उन्होंने मुझसे पूछा कि इंटरमिडिएरी यूनिवर्सिटी कैसे है। आचार्य नरेन्द्रदेव, आचार्य जुगुल किशोर और माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द जैसे तीन महान् विद्वानों की यह राय थी कि आगरा यूनिवर्सिटी एक इंटरमीडिएरी यूनिवर्सिटी है। इस प्रकार यह मेरी राय नहीं है, बल्कि आप ही की राय है कि वह एक इंटरमीडिएरी यूनिवर्सिटी है। इसके साथ-साथ ऐसी बात नहीं है कि सन् १९२६ से लेकर आज तक जितने संशोधन हुए हैं, उन सबको केवल इसी प्रान्त के सदन ने किये हैं।

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

यह जो आगरा यूनिवर्सिटी ऐक्ट बना है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अफिलिएटेड कालेजेज को इलाहाबाद ऐक्ट सन् १९२१ के मातहत अलग करके एक नई यूनिवर्सिटी बनाने के लिये बनाया गया और उस समय सदन के सामने यह साफ-साफ कहा गया कि लार्ड कर्जन का जो आर्डर था उसके मातहत उन कालेजेज को अलग किया जा रहा है। तो श्रीमन्, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो थी वह लार्ड कर्जन के आर्डर से बनी थी और उस समय यूनिवर्सिटी इंपीरियल आर्डर्स से बनती थी, जैसा कि मैंने कहा कि हमारे पास जो पुस्तकें हैं उनके अनुसार यह बात बिलकुल स्पष्ट है कि इस आगरा यूनिवर्सिटी ऐक्ट सन् १९२६ में संशोधन केवल इस प्रान्तीय सदन ने नहीं किया बल्कि गवर्नमेंट आफ इंडिया ने भी किया। मेरे पास दोनों उस समय के आगरा यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट ऐक्ट मौजूद हैं जो कि इस सदन ने ही नहीं, बल्कि गवर्नमेंट आफ इंडिया ने भी किये। इसलिये श्रीमन्, मैं कहता हूं कि जो ऐक्ट हमारे सामने है वह केवल इस सदन का बनाया हुआ नहीं है, बल्कि गवर्नमेंट आफ इंडिया का भी बनाया हुआ है। श्रीमन्, दी गवर्नमेंट आफ इंडिया एडेप्टेशन आफ इंडियन लाज आर्डर, १९३७ डेटेड १८ मार्च, १९३९ आपके सामने पेश करना चाहता हूं और माननीय मंत्री जी की राय जानना चाहता हूं कि क्या यह इसी सदन के द्वारा संशोधित किया गया है? यदि गवर्नमेंट आफ इंडिया के द्वारा अभी संशोधित हुआ है तो क्या वह इस प्राविन्स का ऐक्ट माना जा सकता है। फिर दूसरा आर्डर निकला दी गवर्नमेंट आफ इंडिया एडेप्टेशन आफ इंडियन लाज अमेंडमेंट आर्डर डेटेड ७ मार्च, १९४०। यह गवर्नर जनरल के यहां से संशोधित किया गया है। इस सदन ने संशोधन नहीं किया। उसमें लिखा है कि—

"(i) For the directions relating to Sections 6 and 8 *substitute*—
For Section 6 *substitute*—

6. (1) The Provincial Government shall have the right to cause an inspection to be made by such person or persons as it may direct to the university and its buildings and of any affiliated college or hostel, and also of the examination, teaching and other work conducted or done by the University, and to cause an inquiry to be made in like manner in respect of any matter connected with the University."

यह जो सेक्शन इस वक्त है इसको प्रांत के लेजिस्लेचर ने सब्स्टीट्यूट नहीं किया बल्कि गवर्नमेंट आफ इंडिया ने सब्स्टीट्यूट किया

"The Provincial Government shall in every case give notice to the University of its intention to cause an inspection or inquiry to be made and the University shall be entitled to be represented thereat."

तो प्रांतीय सरकार को जो राइट है वह प्रान्तीय सरकार ने किया। जो ऐक्ट हमारे सामने है वह इस प्रान्त में नहीं है और उसको भारत सरकार ने अपनी आज्ञा के द्वारा संशोधित करवाया है। तो श्रीमन्, फिर भी वैधानिक प्रश्न उठता है कि ऐसे ऐक्ट को जिसको प्रान्तीय सरकार ने भी और भारतीय सरकार ने भी संशोधित किया है, उसके संबंध में क्या हमको अधिकार है कि हम उसको संशोधित कर सकें।

श्रीमन्, मैं यह नहीं चाहता कि इस सदन के अधिकार सीमित हो जायं। कोई भी माननीय सदस्य यह नहीं चाहेगा कि इस विधान सभा के अधिकार सीमित हो जायं। अगर मेरा बस चले तो मैं जब संशोधन आये यह कहूं कि हम और कालेजों को अफीलियेट करें। अगर वैधानिक हो तो मैं आपकी आज्ञा से श्रीमन् यह कहूंगा कि शिक्षा के संबंध में ऐसी व्यवस्था की जाय कि हम मध्य प्रदेश, मध्य भारत और बम्बई के कालेजेज को अफिलियेट करें और यदि संभव हो तो बिहार और पंजाब के कालेजेज को भी अफिलियेट करें। जैसा आसुतोष लाहिड़ी ने कहा है कि हम अपनी यूनिवर्सिटी को माडल यूनिवर्सिटी बनायें।

एक बात मैं और बता देना चाहता हूं कि मैंने आचार्य नरेन्द्रदेव कमेटी कहा, क्योंकि हमारे नेता माननीय राजनारायण जी ने नरेन्द्रदेव कमेटी कहा। वैसे तो मैं जितनी इज्जत आचार्य नरेन्द्र देव जी की करता हूं उतना ही अपने भूतपूर्व शिक्षा मंत्री माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द जी की करता हूं। अब मैं सम्पूर्णानन्द कमेटी ही कहूंगा। तो सम्पूर्णानन्द कमेटी ने इस बारे में क्या कहा मैं उसको पढ़ना चाहता हूं। सम्पूर्णानन्द कमेटी ने इस बारे में यह कहा पेज ३२८ पर। आज उनके शब्द उन्हीं के खिलाफ जा रहे हैं--

"The non-United Provinces colleges complain that they are not fairly treated by the Constitution. The amendment to the Act of 1926, they say, gives a weightage to the Principals of the United Provinces colleges. This is true. On the other hand objection is raised that the United Provinces tax payer is asked to pay Rs. 27,500 a year for a multi-unit University, when the other areas have refused to contribute any thing; and that members from outside the United Provinces get more travelling allowances."

तो झगड़ा जो नान यू० पी० कालेजेज का और यू० पी० कालेजेज का चल रहा था, उसका हवाला दूंगा। उसके बाद सम्पूर्णानन्द कमेटी क्या कहती है --

"These complaints should be seen in their proper perspective. The complaint of the Rajputana colleges against the Constitution is reasonable."

माननीय मंत्री जी कहते हैं कि कभी कोई शिकायत नहीं आई। श्रीमन्, मैं क्या कहूं वह रिपोर्ट जिसको उन्होंने रिवाइज किया वह हमारे सामने है। उसमें वह खुद कहते हैं कि शिकायतें मौजूद हैं --

"The complaints of the Rajputana colleges against the constitution is reasonable. But what is the remedy?"

[राजपूताना के कालिजों की शिकायतें, इससे संविधान के विपक्ष में उचित है। पर उनका क्या इलाज है।]

इसके बाद सम्पूर्णानन्द कमेटी ने रमीडी बतलायी है--

"How can the United Provinces Legislature be really expected to be scrupulous and fair about the claims of outside areas who have no means of making themselves heard in its deliberations?"

[किस प्रकार उत्तर प्रदेश विधान मंडल से यह आशा की जाय कि वह बाहरी क्षेत्र के दावों के प्रति, अति सावधान और सच्चा होगी। जब कि उनके पास कोई व्यवस्था ही नहीं है कि वे अपनी आवाज से विधान मंडल के कार्यों को प्रभावित कर सकें।]

यह इतना सीधा प्रश्न हमारे सामने, असेम्बली के सामने राजपूताना के कालेजों की तरफ से माननीय मंत्री जी की रिपोर्ट में कहा गया कि यू० पी० लेजिस्लचर के जब प्रतिनिधि उसमें नहीं हैं तो उनकी क्या सुनवाई हो सकती है।

"The complaints made on behalf of the United Provinces are prepostorous. Our Minister at the time thought that he could run a University by a grant of Rs. 10,476 in the first year with no obligation in future years; this calculation has not turned out correct, Are the Rajputana colleges to blame? The University plan was thrashed out in the Lucknow Council Chamber. As a result of its provisions the staff of the Rajputana colleges gets an undue advantage in voting strength. This Province, if it so desires, may regret its own actions, but it is stopped from making a complaint against others."

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं कि हमारे माननीय मंत्री जी उस कमेटी के चेयरमैन थे वे आज स्वयं अपने प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने रिपोर्ट के अन्दर आगे जा कर यह कहा--

". . . We therefore earnestly recommend to the Government that the Government of India be approached with the request that in order to enable the Provincial Legislature to establish a University for this Province some arrangement be made for organizing the non-inter-provincial colleges of the Agra University."

सम्पूर्णानन्द कमेटी रिपोर्ट के पेज ३२० पर स्पष्ट कर दिया है--

"As remedy our Committee recommends the establishment of a Provincial University, to be called the University of the United Provinces, Agra, on the following principles, which will be discussed in the next chapter :

1. The University of the United Provinces should affiliate and recognize colleges of the United Provinces only. It should be subject to the exclusive control of the Provincial Executive and the Provincial Legislature, so that the higher education of the Province may be co-ordinated with its primary, secondary and technical education."

श्रीमन्, उस कमेटी का यह विश्वास है कि यह आगरा यूनीवर्सिटी प्राविंशियल लेजिस्लेचर के एक्सक्लूसिव कन्ट्रोल में नहीं है।

"It should be subject to the exclusive control of the Provincial Executive and Provincial Legislature, so that the higher education of the Province may be co-ordinated with its primary, secondary and technical education."

तो श्रीमन्, मैं यह अपने शब्दों में नहीं बल्कि माननीय सम्पूर्णानन्द जी और उनकी कमेटी के शब्दों में कह रहा था कि इस प्रान्त के सदन का एक्सक्लूसिव कन्ट्रोल आगरा यूनीवर्सिटी के कार्यों में नहीं है। और इसलिये मैं फिर कहता हूं कि मैं अपने प्रस्ताव के द्वारा अगर मैं राज्यपाल के अध्यादेश को अवैधानिक कहने का साहस कर रहा हूं तो इसलिये नहीं कि मैं अपने प्रान्त के या इस सदन के अधिकारों को कम करना चाहता हूं परन्तु मैं यह चाहता हूं कि ब्लिट्ज के केस में हुआ कि सदन ने यह फैसला किया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा दिया कि यह गैर कानूनी है और हमको उसके एडीटर को छोड़ देना पड़ा। मैं पूछना चाहता हूं कि मान लीजिए कि कल को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में इस तरह का कोई प्रश्न उठता है और उसने इसको आल्ट्रावायरस करार दे दिया तो फिर क्या बात रहेगी ?

मैं इसलिये आपकी आज्ञा से यह कहना चाहता हूं कि मैं यह नहीं चाहता कि हमारे अधिकार कम हो जायं, मैं तो माननीय शिक्षा मन्त्री की जो आज्ञा थी उसी का पालन कर रहा हूं, इसके अलावा, जैसा कि मैंने कहा, मैं चाहता हूं कि माननीय एडवोकेट जनरल साहब फिर हमको राय दें कि गवर्नमेंट आफ इन्डिया ने जिस कानून को संशोधित किया और प्रान्तीय सदन ने किया है क्या उसको अब प्रान्तीय सदन संशोधित कर सकता है। इसके अलावा जो माननीय मन्त्री जी ने किताब पढ़ी, उन्होंने बड़ी कृपा करके मुझको वह भिजवा दी, उसमें उन्होंने "सबस्टेन्स" पर बड़ा जोर दिया। उन्होंने कहा--

"But though a subordinate legislature is not competent to legislate as to matters outside its territory it does not mean that legislature is in substance, ..."

तो क्या एफेक्ट्स पासिबिल हैं ? एफैक्ट्स तो बिल्कुल साफ हैं। पासिबिल शब्द पर माननीय मन्त्री ने जोर नहीं दिया, सब्टैन्स पर जोर दिया। सब्स्टैन्स तो पासिबिल एफेक्ट नहीं है। पहले अजमेर के कालेज को गवर्नमेंट आफ इन्डिया चलाती थी, उसी प्रकार मध्य भारत के कालेज को वहां की सरकार चलाती है। अगर हमारे आर्डिनेन्स द्वारा वाइस चान्सलर का एक साल का टर्म बढ़ा तो यह जाहिर है कि वह उन कालेजेज के वाइस चान्सलर एक साल के लिये और हो जायेंगे।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--अध्यक्ष महोदय, जिन बातों को मैंने पहले निवेदन किया था या जिन बातों को हमारे एडवोकेट जनरल ने सदन के सामने रखा है उनको दोहराकर मैं सदन का समय लेना नहीं चाहता हूं। यह तो बड़ी खुशी की बात है कि इतने दिनों के बाद इस बात की नौबत तो आई कि इस कमेटी का नाम सम्पूर्णानन्द कमेटी सुनने में आया। खैर यह तो रही मजाक की बात। जैसा कि मैंने कहा था कि यह उचित बात है कि जो लोग किसी काम के जिम्मेदार हों उसकी जिम्मेदारी उनके कन्धों पर ही जानी चाहिए। किसी और के कन्धे पर नहीं जानी चाहिए। आचार्य जी के नाम की हम सब लोग इज्जत करते हैं। मेरा उनके साथ सम्बन्ध कैसा है। यह सब जानते हैं। यह बात नहीं है कि उनके नाम से कोई विरोध हो। उनकी रिपोर्ट की बहुत सी बातें ठीक हैं लेकिन अगर कोई चीज गलत है तो उसकी जिम्मेदारी उनके कंधे पर नहीं होनी चाहिए बल्कि उनके कन्धों पर होनी चाहिए जो लोग उसके लिये जिम्मेदार हैं।

इसके अलावा और मैं क्या कहूं। श्री नारायण दत्त जी तिवारी ने किन बातों का जिक्र किया। बार बार जिक्र आता है कि गवर्नमेंट आफ इन्डिया का किन कानूनों का दखल था। मैं नहीं समझता कि नारायण दत्त जी नहीं समझते हैं। हां, यह बात जरूर है कि ट्रॉजीशन आर्डर्स का पास किया जाना जरूरी था। जब पुरानी हुकुमत खत्म हुई और नई हुकूमत आई तो जैसे सभी चीजें खत्म हुयीं। अगर यह विचार था कि पुरानी हुकूमत खत्म हुई तो पुराने कानून भी उसके साथ ही साथ खत्म होने चाहिए थे। अगर इन पुराने कानूनों के खत्म होने की बात होती है तो हर चीज के लिये नये सिरे से नये कानून बनाये जाने चाहिए थे और हर चीज के लिये नये सिरे से नये कानून बनाये नहीं जा सकते थे। इसलिये यह कहना पड़ा कि फलां तरीके पर यह चीजें लागू रहेंगी और फलां-फलां आदमी उसका प्रबन्ध करेंगे तो जितने भी कानून थे उनके लिये एक ऐसा आर्डर बनाया गया तो फिर उनकी चर्चा वह बार बार नाहक करते हैं। जैसा कि हमने पहिले कहा कि सिवाय इसके हम और कोई चीज बदल नहीं सकते हैं।

जहां तक यह सवाल है कि इस आगरा यूनीवर्सिटी को इन्टर यूनीवर्सिटी कहा गया है इसका मतलब तो यह है कि एक तो हमारे यहां टीचिंग यूनिवर्सिटीज हैं और एक हमारी एक्जामिनिंग यूनिवर्सिटीज हैं। उनके अन्दर सूबे के भीतर ही लोग रहते हैं लेकिन इन यूनीवर्सिटीज का सवाल यह है कि इसमें बाहर के लोग भी हैं तो इसको इन्टर यूनिवर्सिटी कहा जाय या क्या कहा जाय। हमारे संविधान में तो तीन ही क्लास की यूनीवर्सिटीज हैं। फस्ट, सेकिन्ड और थर्ड क्लास की यूनीवर्सिटीज हैं। एक तो सेन्ट्रल यूनीवर्सिटीज हैं और दूसरी ए क्लास स्टेट्स की हैं और इसके अलावा वह कान्करेन्स में आती है। यह लिस्ट सेकिन्ड के सिवाय और कहीं नहीं जाती है। इसलिये यह ठीक है कि यह यूनीवर्सिटीज इसमें किसी में शामिल नहीं हो सकती हैं तो जितनी यह स्टेट्स हैं इन सबकी कान्करेन्स लेकर गवर्नमेंट आफ इन्डिया से कहा जाय तो यह बड़ा मुश्किल काम है और इस तरह से आगरा यूनीवर्सिटी में कभी भी सुधार नहीं हो सकता है। इसलिये मैं समझता हूं कि इन सब कारणों से हमें पूरा-पूरा अधिकार है और जब हमें कानून बनाने का अधिकार है तो गवर्नर महोदय को भी आर्डीनेन्स बनाने का अधिकार है। मैं समझता हूं कि श्री नारायण दत्त जी तिवारी अपने प्रस्ताव को वापस ले लेंगे। अगर वह अपने प्रस्ताव को वापस नहीं लेंगे तो मजबूर हूं और मैं आशा करता हूं कि सदन इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेगा।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि संकल्प स्वीकार किया जाय कि "यह सदन आगरा यूनीवर्सिटी में नरेन्द्रदेव समिति द्वारा प्रस्तावित सुधारों की प्रयुक्ति व आवश्यकता को पूर्णरूपेण स्वीकृत करते हुए भी उत्तर प्रदेश आगरा यूनीवर्सिटी अध्यादेश, १९५२ को अवैधानिक मानकर उसे अस्वीकृत करता है।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर १५ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविंद पन्त की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

* उत्तर प्रदेश म्यूनिसिपैलिटीज (संशोधन) विधेयक, १९५२

(क्रमागत)

श्री उपाध्यक्ष---अब उत्तर प्रदेश म्यूनिसिपैलिटीज (संशोधन) विधेयक, १९५२ ई० पर, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, तथा श्री नारायण दत्त तिवारी के संशोधन पर कि यह विधेयक एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाय, विचार जारी रहेगा।

श्री बलवन्त सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)---उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इसके पहिले अपने म्यूनिसिपल बोर्ड्स की दयनीय दशा पर कुछ प्रकाश डालने का प्रयत्न किया था। हमारे म्यूनिसिपल बोर्ड्स का चुनाव सन् १९४५ में हुआ था। उस समय देश के अन्दर हमारी कांग्रेस पार्टी ने चुनाव में हिस्सा नहीं लिया था, और न कोई दूसरी और पार्टी ने, जिसको आर्गेनाइज्ड पार्टी कहा जा सके, चुनाव में हिस्सा ले रही थी। लोग व्यक्तिगत रूप से चुनाव में खड़े हो गए और इस प्रकार के चुने हुए लोगों की जो दशा हुआ करती है उसी प्रकार से हमारे बोर्ड्स की भी दशा हुई। लोग सामूहिक नफे (लाभ) को छोड़ कर अपने व्यक्तिगत लाभ में फंस गये और जब कभी उनके चेयरमैन के खिलाफ कोई प्रस्ताव आया तो उसने इस बात का प्रयत्न किया कि वह दूसरे मेम्बरों को अपनी तरफ कर ले और इसका नतीजा यह हुआ कि कई मर्तबा प्रस्ताव चेयरमैन साहब के खिलाफ आये और कई मर्तबा उन्होंने मेम्बर साहबान को अपनी ओर किया। इसकी कैसी कैसी कीमतें जगह-जगह पर अलग-अलग म्यूनिसिपल बोर्ड्स के चेयरमैन को देनी पड़ीं, वह किसी से छिपी नहीं है। इसके बाद वहां की सड़कों की दशा को देखिए, वहां के फाइनेन्सेज की दशा को देखिए, लोकल एक्जामिनर आफ पब्लिक एकाउन्ट्स की रिपोर्ट से यह मालूम होता है कि हमारे म्यूनिसिपल बोर्ड्स की दशा क्या है इस प्रकार वहां के फन्ड्स को इधर उधर किया जा रहा है। किस प्रकार से वहां के बसने वालों को छोटी-मोटी पार्टीबन्दियों का शिकार म्यूनिसिपैलिटियां हो रही हैं यह दशा इस समय हमारे देश की किसी से छिपी नहीं है। इस देश में मैं तो यह समझता हूं कि यह बहुत ही आवश्यक था कि जल्दी से जल्दी इलेक्शन करा दिये जायं। मैं तो अपने मन्त्री महोदय का बहुत ही आभारी हूं कि उन्होंने यह आश्वासन हमारे प्रान्त के लोगों को दिया कि अब मार्च या अप्रैल तक यह इलेक्शन हो जायेंगे। मैं तो यह समझता हूं कि अगर प्रयत्न हो सकता हो तो इससे भी जल्दी इलेक्शन करा दिये जायं तो बहुत ही अच्छा होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मुझे जो हमारे संशोधक ऐक्ट की विशेषतायें हैं, उनकी तरफ भी सदन के माननीय सदस्यों की तवज्जह दिलानी है। इसमें सबसे पहिली अच्छाई यह समझता हूं कि इसमें फाइनेन्सेज की हिफाजत के लिये एक एकाउन्टेंस आफिसर को रखने का प्रयत्न किया गया है। अब जैसा मैंने बतलाया कि हमारे यहां म्यूनिसिपल बोर्ड्स में रुपये पैसे का बहुत कम ख्याल रखा जा रहा है और उसको बुरी तरह से खर्च किया जा रहा है। बहुत से बोर्ड्स ऐसे हैं कि अपनी आमदनी से ज्यादा उन्होंने खर्च किया और बहुत से बोर्ड्स ऐसे हैं कि उन्होंने अपने टैक्सेज वसूल नहीं किया और साथ ही अपने मिलने जुलने वालों के टैक्सेज माफ कर दिये। इस तरह से पब्लिक फाइनेन्सेज का भी दुरुपयोग हुआ और इससे म्यूनिसिपल बोर्ड्स

* २ दिसम्बर, १९५२ की कार्यवाही में छपा है।

की हालत इतनी खराब हो चली है कि इनमें सुधार की गुन्जाइश नहीं रही है, सिवाय इसके कि इलेक्शन कराये जायं और अच्छी तरह के आदमी लिये जायें।

दूसरी मुख्य बात यह है कि जो कूड़ा-करकट म्युनिसिपैलिटियों में होता है; बहुत से बोर्ड्स तो उसको कम्पोस्ट बनाकर इस्तेमाल कर लिया करते हैं, मगर चूंकि कानून के अन्दर कोई ऐसी बात नहीं थी जिससे इसको वैधानिक रूप दिया जा सकता हो। इस ऐक्ट के मुताबिक उसको वैधानिक करार दिया गया है और बोर्ड्स के जहां बहुत से काम हैं वहां उनमें से एक काम यह भी उनके सुपुर्द कर दिया गया है। यह भी इस ऐक्ट की एक विशेषता है। तीसरी विशेषता मैं जो समझता हूं वह इसके मास्टर प्लान का प्रबन्ध है। जो बड़े-बड़े शहर हैं मैं उनकी बात तो जानता नहीं मगर छोटी म्युनिसिपैलिटियों की बात जानता हूं। म्युनिसिपैलिटियां चाहे वह छोटी हों या बड़ी हैं वे सब उन्नति कर रही हैं और उनका विस्तार बढ़ रहा है। जब शहरों के अन्दर कोई प्लान बना हुआ नहीं होता, तो उसका नतीजा यह होता है कि कहीं पर जहां आगे चलकर सड़क बनना है वहां पर मकान बन गये और जहां पर आगे चल कर मकान बनने हैं वहां सड़क बन गयी। इस समय उन हमारी म्युनिसिपैलिटियों की ऐसी दशा है कि वह कोई काम नहीं कर सकतीं, क्योंकि कहीं न कहीं कोई मकान बना हुआ मिलता है और कहीं पर सड़क बनी हुई मिलती है और कहीं पर नाले हैं और कहीं और कुछ है इसके लिये यह बहुत आवश्यक था कि पहिले से हर शहर में मास्टर प्लान हर म्युनिसिपैलिटी के पास हो। जितना भी कोई शहर या कोई कस्बा डेवेलप करे उसका प्लान पहले से होना चाहिए। इसलिये मैं यह समझता हूं कि यह भी हमारे इस कानून की एक विशेषता है।

चौथी जो विशेषता जो मुझे दिखायी देती है हालांकि उसका हमारे विरोधी भाइयों ने विरोध किया है, म्युनिसिपैलिटी के पदाधिकारी या मेम्बर या उसके प्रधान बड़े-बड़े आफिसर के ऊपर कड़ा से कड़ा नियन्त्रण है। जो पहला ऐक्ट था उसके अन्दर यह गलती थी कि अगर कोई एक बार से अधिक गलती करता है तो उसके खिलाफ कोई ऐक्शन लिया जा सकता था। आप बतलाइये कि म्युनिसिपैलिटियों का एक पदाधिकारी एक दफा गलती करे, दूसरी दफा गलती करे और वह बार-बार गलती करता रहे तभी उसके विरुद्ध कुछ हो सकता है। एक दफा करने से उसका कुछ नहीं होगा, परसिस्टेन्ट होना चाहिए। इसका नतीजा यह हुआ कि वर्षों तक इस प्रकार से म्युनिसिपैलिटीज को और उनके कर्मचारियों की और चेयरमैन की बुराई और बदियान्ती बढ़ती चली जाती है। अब आप समझिए कि चेयरमैन वगैरह या म्युनिसिपैलिटी के पदाधिकारी इस प्रकार से कोई कार्यवाही करें जो गलत हो और गवर्नमेंट या पब्लिक उनके खिलाफ कोई काम न कर सके तो यह दशा कितनी दयनीय है और न उसका कोई इलाज कर सके। मेरे बहुत से भाइयों ने यह बतलाया कि गवर्नमेंट चुने हुए मेम्बरों या चेयरमैनों को निकालती है तो यह बड़े अफसोस की बात है। उन्होंने इंगलैण्ड की मिसाल दी है। मैं अपने उन भाइयों का ध्यान इंगलैण्ड के पब्लिक कैरेक्टर की तरफ दिलाना चाहता हूं। एक कैबिनेट के मेम्बर्स से कैबिनेट सिक्रेट डाईवल्ज हो जाता है तो उसने उसी वक्त इस्तीफा दे दिया।

मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि क्या हमारी पब्लिक कैरेक्टर या हमारे चेयरमैन, म्युनिसिपैलिटीज का कैरेक्टर इतना ऊंचा हो गया है कि हम इंगलैण्ड जैसे देश की मिसाल दें। यह ठीक है कि हमको बहुत ऊंचा कैरेक्टर पब्लिक का रखना चाहिए। मैं दूसरी जगह की मिसाल नहीं जानता हूं, लेकिन अपनी जगह की मिसाल आपके सामने पेश करता हूं। एक साहब म्युनिसिपैलिटी के मेम्बर बन गये। फिर बाद को चेयरमैन की पार्टी में आ गये। म्युनिसिपैलिटी की बहुत कीमती जमीन थोड़ी कीमत पर अपने नाम करवा ली। यह दशा कितनी दयनीय है। ऐसी दशा होने पर सरकार के पास कोई पावर होनी चाहिए, कोई साधन होना चाहिए, जिससे वह चेयरमैन या मेम्बर या किसी कर्मचारी को सस्पेण्ड कर सके। अगर ऐसा नहीं है तो फिर हमारा कानून इतना तंग है कि हमको सिविल कोर्ट या हाई कोर्ट के फैसले पर निर्भर रहना होगा, जिसको हम सब जानते हैं। क्या-क्या परिस्थितियां सामने आती हैं और उसमें कितना समय खत्म हो जाता है, मैं यह समझता हूं कि चाहे यह सख्त है, लेकिन

[श्री बलवन्त सिंह]

सही कदम है और यह एक ऐसा कदम है कि जिसको इस डेमोक्रेसी के जमाने में कुछ थोड़ा सा रिजेक्ट किया जायगा, लेकिन मौजूदा हालात में इस कदम को उठाने की जरूरत थी और बहुत ज्यादा जरूरत थी, इसलिये मैं माननीय मन्त्री जी को इस कदम के लिये खास तौर से बधाई देता हूं।

एक दूसरी विशेष बात जो मुझे इस कानून के बारे में बतलाना है, वह यह है कि जहां इसमें अच्छी बातें रखी गयी हैं वहीं इसमें दो-तीन बातें ऐसी हैं जो खास तौर से छोड़ दी गई हैं जो पहिले थीं। यह मैं मानता हूं कि मनुष्य का कोई कानून ऐसा नहीं है जिसको हम सर्वांगपूर्ण कह सकें। परन्तु इसमें कई जरूरी बातें छोड़ दी गयी हैं जो होना चाहिए थीं और जिनकी वजह से हमारे म्युनिसिपैलिटी एडमिनिस्ट्रेशन को नुकसान और धक्का पहुंचेगा। एजूकेशनल क्वालीफिकेशन जो चेयरमैन की पहिले रखी गयी थी वह अब नहीं रखी गयी है, जिसका होना जरूरी था। मेरे ख्याल से इस चीज के बहुत खराब नतीजे होंगे और ऐसे ऐसे लोग चेयरमैन बनने का प्रयत्न करेंगे और अफसर बन भी जावेंगे जिनकी शिक्षा बहुत कम होगी। एजूकेशनल क्वालिफिकेशन जो आप सरविसेज के लिये रखते हैं वह बहुत ही जरूरी है, उससे मनुष्य के दिमाग का विस्तार होता है और उसकी जानकारी बढ़ती है और समझने की शक्ति बढ़ जाती है। कुछ भाई कहा करते हैं कि एम० एल० ए० के लिये भी तो कोई क्वालिफिकेशन नहीं रखी है। इन दोनों में पहला अन्तर तो यह है कि एम० एल० ए० की कोई एक्जीक्यूटिव पावर्स नहीं है, वह तो सिर्फ सलाह, मशविरा देता है, लेकिन म्युनिसिपल बोर्ड्स के चेयरमैन या मेम्बर्स का काम एक एक्जीक्यूटिव नेचर का होता है जिसकी वजह से अच्छी क्वालिफिकेशन का आदमी होना बहुत जरूरी है। इसलिये चेयरमैन की एजूकेशनल क्वालिफिकेशन जो छोड़ दी गयी है इससे मैं समझता हूं कि म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन को लाभ न होगा, बल्कि उससे सर्वथा हमारी पब्लिक लाइफ का ह्रास ही होगा और हानि ही होने की संभावना है।

दूसरी बात जो खास तौर इसमें रखी गयी है वह यह है कि म्युनिसिपल बोर्ड्स की बाउण्डरी के दो मील के अन्दर जो देहात हैं, उनको भी म्युनिसिपल बोर्ड्स ने अपने हाथ में कर लिया है, जबकि उन देहात के लोगों को वहां के मेम्बर या चेयरमैन को चुनने का अधिकार नहीं है और आप उन लोगों को मकान, सड़क आदि बनने से रोकने या रेगूलेट करने का अधिकार लेते हैं, तो यह एक बहुत ही अनुचित बात है। इस कानून के अन्दर जो सेक्शन २१२-ए है, उसमें यह है कि म्युनिसिपैलिटी की बाउण्ड्री के २ मील के अन्दर के देहातों को बिल्डिंग, नाले, सड़क आदि को म्युनिसिपल बोर्ड रेगुलेट करेगा, यह कितनी अनुचित बात होगी। आप उनको कोई पैसा नहीं दे रहे हैं और न आप उनको किसी प्रकार मदद ही कर रहे हैं और आप उनकी इमारत, नाली आदि को रोकेंगे तो उनके जीवन में कितनी बड़ी दिक्कतें पैदा होंगी। शायद जिस समय यह सेक्शन बनाया गया है उस समय आपने यह नहीं देखा है कि बाज-बाज जगह दो-दो मील के अन्दर कितने बड़े गांव आ जाते हैं। बरौत के पास बावली गांव है जहां की आबादी क़रीब १२ हजार है, ऐसी जगह पर इमारत, नाले सड़क आदि को रोकना कितना अनुचित होगा और इसको ऐसे देहातों के लोग बहुत ज्यादा रिजेक्ट करेंगे और नतीजे इसके इतने खराब होंगे कि सम्हालना भी मुश्किल हो जायगा। इसलिए मैं प्रार्थना करूंगा कि इस दफ़ा को निकाल दिया जाय।

श्री नवल किशोर (जिला बरेली)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज संशोधन विधेयक, १९५२, जो माननीय स्वशासन मंत्री जी ने उपस्थित किया है, उसका जो उन्होंने मूल उद्देश्य बताया है वह यह है कि इससे हमारे प्रान्त में चुनाव शीघ्र हो सकेंगे। हमारे प्रदेश में आम मांग है कि चुनाव, जिनको हुये ८ साल हो गये हैं, शीघ्र करा दिये जावें। इस कारण इस बिल के लिये मैं उन्हें हृदय से बधाई देता हूं। इन चुनावों की मांग हर पार्टी और प्रान्त के हर कोने से रही है। इस संबंध में पिछले दिनों सरकार की ओर

से यह घोषणा भी हुई थी कि अब चुनाव होने वाले हैं। परन्तु परिस्थितियों के कारण शायद सरकार उस समय चुनाव नहीं करा सकी और उसका असर हमारी जनता पर अच्छा नहीं हुआ। सभी लोगों ने, और विशेष तौर से हमारे विरोधी दल ने, इस पर काफ़ी टीका-टिप्पणी की, यहां तक कि सरकार की नियत पर भी इस बात का शक किया कि वह चुनाव नहीं कराना चाहती।

इस बिल के बारे में कई तक़रीरें यहां हुई हैं और मैंने उन सबको सुना और ख़ास तौर से माननीय नारायणदत्त तिवारी जी के भाषण को सुना। उन्होंने बड़ी खूबी और सुन्दरता के साथ अपना केस रखा और उसके लिये मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूं। उससे भी ज्यादा शुक्रिया अदा करना चाहता हूं उस खेर कमेटी की रिपोर्ट का जिसने बना बनाया मामला तिवारी जी के हाथ में दिया और जिसके कारण तिवारी जी को इस बिल का विरोध करने में अधिक सुविधा हुई और परिश्रम नहीं करना पड़ा। मुझे कुछ यह महसूस हुआ कि तिवारी जी को पिछली रिपोर्टों में कुछ स्पेशल सेंक्टिटी नजर आती है। जितनी पुरानी रिपोर्ट हो उतनी अधिक सेंक्टिटी उसमें उनको दिखाई देती है। माननीय मन्त्री जी ने अपने भाषण में कहीं भी इस बात का दावा नहीं किया कि वह जो यह संशोधन विधेयक लाये हैं यह खेर कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर है। खेर-कमेटी १९३८ में बनाई गई थी जबकि कांग्रेस ने पहले पहल मंत्रि-मंडल बनाया था। उस समय जो परिस्थितियां थीं आज वे हमारे देश में या प्रदेश में नहीं हैं। यदि उसी कमेटी के सदस्यों से आज कहा जाय कि आज की परिस्थितियों में वे अपनी इस रिपोर्ट को दोहरावें तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि काफ़ी तब्दीली उसमें आ जावेगी। समाज और उसकी स्थिति स्थिर नहीं होती। काफ़ी परिवर्तन होते हैं और उनके अनुसार हमें तब्दीली करनी पड़ती है। सोसाइटी स्टेबिल नहीं है, अतः देश की परिस्थिति भी स्टेबिल नहीं होती।

इसके बाद माननीय तिवारी जी ने तमाम बिल को दो हिस्सों में डिवाइड किया है। उन्होंने इस बात को नहीं माना कि इस बिल का मुख्य उद्देश्य चुनाव में शीघ्रता लाने का है। वे कहते हैं कि गवर्नमेंट कुछ महत्वपूर्ण संशोधन भी इसके साथ लाना चाहती है। मैं भी अपनी दलीलों को इन्हीं दो हिस्सों में तक़सीम करना चाहता हूं। पहले मैं उन सेक्शन्स को लेना चाहता हूं, जिनका संबंध चुनाव से है।

चुनाव के संबंध में सबसे पहिली आपत्ति तिवारी जी को यह थी कि माननीय मंत्री ने यह दावा किया था कि वे चुनाव के लिये एक इंडिपेंडेंट मैशीनरी क्रियेट करना चाहते हैं, यह ग़लत है उसके लिये उन्होंने डाइरेक्टर आफ इलेक्शन्स को रखा है जो स्टेट गवर्नमेंट से ही मुक़र्रर होगा। जब ऐसा है तो वह एक इंडिपेंडेंट मशीनरी कैसे रह सकती है। खैर, इसका स्पष्टीकरण माननीय मंत्री जी स्वयं भी करेंगे, लेकिन मेरे ख्याल से इस इंडिपेंडेंट शब्द की मंशा यह थी कि इसके लिये इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट क्रियेट किया जायगा, लेकिन उससे यह मंशा कभी नहीं थी कि वह गवर्नमेंट से भी इंडिपेंडेंट होगा। इसके सिलसिले में तिवारी जी ने खेर-कमेटी रिपोर्ट का कोई हवाला नहीं दिया, क्योंकि उस रिपोर्ट में यह साफ लिखा हुआ है कि पहला चुनाव डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट करायेंगे और दूसरा चुनाव बोर्ड स्वयं करायगा। लेकिन उन्होंने इस चीज़ का कोई हवाला नहीं दिया। यह इस बिल की एक इंपोर्टेंट कैरेक्टरस्टिक है कि एक इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट क्रियेट किया जायगा और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट समय-समय पर उसकी मदद करेगा।

दूसरी चीज़ माननीय तिवारी जी ने यह कही कि यह जो तादाद १५ और ५० की है, वह मुनासिब नहीं है और इस सिलसिले में भी उन्होंने खेर-कमेटी रिपोट को ही आधार माना, जिसमें २० से १२५ की बात कही गयी है। इस सिलसिले में मैं केवल इतना ही कहूंगा कि और भी प्रान्तों में जो ऐक्ट हैं उनको मैंने इस बारे में देखा है; बंगाल के ऐक्ट, १९३२ के सेक्शन १५ में जहां म्युनिसिपैलिटीज के कम्पोजीशन का जिक्र किया गया है वहां लिखा हुआ है कि कम से कम ९ मेंबर होंगे और ज्यादा से ज्यादा ३० होंगे। सी० पी० और पंजाब में भी यद्यपि मैक्सीमम लिमिट नहीं रखी गयी है, लेकिन उन्होंने मिनिमम लिमिट ५ रखी है।

[श्री नवल किशोर]

मद्रास के अन्दर १६ मिनिमम और ३६ मैक्सीमम हैं। इसलिये हमारे यहां जो माननीय मंत्री जी ने १५ और ५० की तादाद रखी है वह मैं समझता हूं उचित ही है। २० और १२५ की तादाद बहुत ज्यादा हो जायगी। माननीय मंत्री जी ने यह भी बताया कि बड़े बड़े शहरों में कारपोरेशन्स बनाये जाएंगे, फिर यह तो नेचुरल ही है कि उसमें अधिक सदस्य होंगे।

तीसरी बात उन्होंने यह कही कि वार्ड्स का डिलिमिटेशन नहीं किया गया है। वार्डों के अन्दर कितने सदस्य रहेंगे, यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है। इस सिलसिले में उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं संशोधन विधेयक के खंड १ के अन्तर्गत सेक्शन ११-ए का क्लाज २ पढ़ना चाहता हूं, जो इस तरह है --

"The representation of each ward shall be on the basis of population of that ward as ascertained at the last census and shall as far as possible be in the same proportion as the total number of seats for the municipality and its population."

स्पष्ट है कि उस वार्ड के मेम्बरों का उस म्युनिसिपल बोर्ड में सदस्यों की संख्या से वही अनुपात होगा जो वार्ड की आबादी का उस म्युनिसिपल बोर्ड की आबादी से अनुपात होगा।

उसके बाद उनको यह भी आपत्ति थी कि यह दावा किया गया है कि नामजदगियां खत्म कर दी गयी हैं, लेकिन दरअसल नामजदगियां खत्म नहीं की गयी हैं। हां, कुछ हद तक ठीक है कि उसे स्ट्रीक्टली सिद्धान्त के रूप में देखा जाय तो जब तक कि सेक्शन १० में प्रोविजन है तब तक नामिनेशन का एक्जीस्टेंस रहता है, लेकिन नामिनेशन उन्हीं म्युनिसिपैलिटियों के अन्दर हो सकेगा जो कि नयी बनायी गयी हैं और जिनका कोई पिछला प्रेसिडेंट या कंडीशन नहीं है। उसके अन्दर यह चीज है कि यदि आवश्यकता पड़ी तो कुछ ऐसे आदमी भी उसके अन्दर जा सकते हैं, जिनको कुछ प्रैक्टिकल एक्सपीरिएंस लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का होगा। तो हो सकता है कि ऐसे आदमियों को नामजद कर दिया जाय। इसके साथ-साथ उन्होंने यह भी कहा कि सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट तो इस हद्द तक गयी है कि अगर कोई आदमी म्युनिसिपल लिमिट में न रहता हो लेकिन वह म्युनिसिपल टैक्स देता हो तो उसको भी वोटर लिस्ट के अन्दर शामिल हो जाना चाहिये। मैं इस रिकमेंडेशन की मेरिट में नहीं जाता। यह उस समय किया गया है जब कि एडल्ट फ्रैंचाइज नहीं था और आज जब कि एडल्ट फ्रैंचाइज है तो यह चीज बिलकुल बेमानी है। दूसरे जो हमारा दृष्टिकोण है वह यह है कि हमें चुनाव शीघ्र से शीघ्र कराना है। अगर हम फिर से वोटर लिस्ट तैयार कराते हैं तो इसमें एक-डेढ़ साल और लग जायगा, इस तरह से चुनाव एक डेढ़ साल और पीछे चला जायगा। चूंकि हम चुनाव जल्द से जल्द कराना चाहते हैं इसलिये इस तरह की दलीलें बेकार हैं।

सबसे बड़ी शिकायत उनको इस बात की थी कि चेयरमैन साहब को हटाने का या प्रेसिडेंट को हटाने का, और मेम्बरों के हटाने का अधिकार सरकार अपने हाथ में लेती है। जहां तक सरकार का सम्बन्ध है, आज भी ऐसा ऐक्ट मौजूद है। यहां का ही ऐक्ट नहीं, बल्कि और भी जितने प्रान्तों के ऐक्ट को देखने का मुझे इत्तफाक हुआ है उन सभी के यहां यह क्लाज किसी न किसी शक्ल में मौजूद है और गवर्नमेंट को यह अधिकार है कि वह मेम्बरों को और चेयरमैन को हटा सके।

सबसे अधिक शिकायत उनको सस्पेंशन पर हुई। उन्होंने कहा कि जब कि यह प्रजातंत्र का युग है और प्रजा के ही चुने हुए सदस्य हैं तो उनको सस्पेंड करने की बात मुनासिब नहीं है। तो सस्पेंशन का सवाल यह है कि अगर किसी चेयरमैन या मेम्बर साहब के खिलाफ यह शिकायत है कि उन्होंने वहां पैसे में गड़बड़ी की है या और भी ऐसे सीरियस एलिगेशंस उनके अगेन्स्ट हैं तो गवर्नमेंट का मंशा यह है कि इनक्वायरी के दौरान में अगर इनक्वायरी ठीक ढंग से न हो सकती हो, उनके वहां मौजूद रहने से तो सरकार को अधिकार होगा कि वह उनको

सस्पेंड भी कर सकती है। तो इस चीज को कहते हुए उनको यह भी समझना चाहिये कि अगर वे प्रजा के चुने हुए मेम्बर हैं तो यह सरकार भी जनता की ही चुनी हुई है। और चेयरमैन साहब को या मेम्बर साहब को सस्पेंड करने का अधिकार जनता द्वारा चुनी हुई सरकार को ही दिया गया है। तो फिर यह दलील कि वे जनता के चुने हुए होंगे, मेरी समझ में नहीं आयी। अगर वे जनता द्वारा चुने हुए होंगे तो यह सरकार भी जनता द्वारा ही चुनी हुई है जिसको कि हम यह अधिकार दे रहे हैं, किसी व्यक्ति विशेष को नहीं दे रहे हैं।

इसके बाद उन्होंने कुछ आपत्ति, जो कर्मचारी म्युनिसिपैलिटीज के होंगे उनको डिसमिस करने की बाबत और उनको अपील के अधिकार देने की बाबत की और उस सिलसिले में उन्होंने बम्बई की काले रिपोर्ट को कोट किया। उसका रिकमेंडेशन है कि पूरे बोर्ड को ही डिसमिसल की पावर होनी चाहिये। बम्बई के अन्दर आज भी चेयरमैन व कमेटियों को यह पावर है और दूसरे प्रान्तों के अन्दर भी डिसमिसल का पावर वर्ती कमेटियों या प्रेसीडेण्ट को है। सिर्फ तीन-चार ऐसे आफिसर्स हैं जैसे एग्जीक्यूटिव आफ़ीसर, इंजीनियर व सेक्रेटरी वगैरह हैं, जिनका डिसमिसल बगैर सरकारी स्वीकृति के नहीं हो सकता है, बाकी को कमेटीज कर सकती है। मैं तो यह अच्छा समझता हूं कि बोर्ड को ही डिसमिसल का अधिकार हो, लेकिन आज-कल म्युनिसिपैलिटीज में जो पालिटिक्स चल रही है वह इतनी गिरी है कि एक मास्टर के ट्रांसफर के लिये कहीं कहीं चेयरमैन तक को बदल दिया जाता है और अगर आज की म्युनिसिपल पालिटिक्स की इस मौजूदा स्थिति में हम यह तय करें कि बर्खास्तगी करने का पूरे बोर्ड को ही अधिकार होगा तो डिसमिस करना आसान नहीं होगा, बल्कि बहुत ज्यादा मुश्किल हो जायगा। इसके बाद तिवारी जी ने म्युनिसिपैलिटीज के फंक्शन्स के बारे में जिक्र किया है उस सिलसिले में उन्होंने कहा कि म्युनिसिपल बोर्ड की अपनी पुलिस होनी चाहिये और पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज आदि भी उसके अन्तर्गत होनी चाहिये और उसके लिये उन्होंने दो एक कोटेशंस भी इंगलैंड के दिये और उसके साथ ही यह भी कहा गया कि इंग्लैंड की नकल हर एक चीज में हमको नहीं करनी चाहिये। तो जहां तक इसका सिद्धान्त है वह मुनासिब है और हम सबको इससे इत्तिफाक है कि आज के युग में जब हम डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं तो यह मुनासिब ही होगा कि म्युनिसिपल पावर्स को बढ़ाया जाय, लेकिन माननीय मन्त्री जी ने स्वयं कहा था कि काम्प्रीहेन्सिव लेजिस्लेशन बहुत जल्दी इस भवन के सामने पेश किया जायगा, जो पहले कारपोरेशन बिल की शक्ल में होगा, जिसमें बुनियादी सिद्धान्तों को रखा जायगा और जब वह स्वीकार हो जायंगे तो म्युनिसिपल ऐक्ट के बनाने में ज्यादा कठिनाई नहीं होगी। इस बात को सभी मानते हैं कि १९१६ का जो ऐक्ट है वह आउट डेटेड है और आउटमोल्डेड है और उसको नये सिरे से बनाने की जरूरत है। इसलिये उनके जो सुझाव हैं, बोर्ड के बनने के बारे में और उसके अन्दर कर्मचारियों की नियुक्ति के बारे में और यह कि एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोर्ड तथा पब्लिक सर्विस कमीशन मुक़र्रर किया जाय यह सब डिटेल्स की चीजें हैं जो बाद में उस समय तय हो जायेंगी।

इसके बाद मुझे एक बात अपने दूसरे मित्र माननीय अवधेश प्रताप सिंह जी ने जो कठिनाइयां बताई हैं उनके बारे में कहना है। उन्होंने कहा कि असेम्बली रोल्स पर म्युनिसिपल फ्रेंचाइज को भी रखना ज्यादा अच्छा नहीं है और इसके लिये उन्होंने इंग्लैंड के कोटेशन्स दिये। वहां इंग्लैंड में भी जो काउंटी एलेक्शंस होते हैं उनके अन्दर भी एक डेट फिक्स होती है कि उस डेट तक जो एडल्ट्स उस लिस्ट में होते हैं वही वोटर होते हैं और अब जब असेम्बली का चुनाव ऐडल्ट फ्रेंचाइज पर किया गया तो चुनावों में आसानी तथा शीघ्रता लाने के लिये उसी लिस्ट को मान लिया गया है कि उन्हीं के आधार पर चुनाव करा दिया जाय, क्योंकि नई सूची बनाने में ज्यादा समय लगेगा और दूसरी बात जो उन्होंने कही थी वह यह थी कि एजूकेशन का एक प्रतिबन्ध होना चाहिये। जहां तक उद्देश्य की बात है ठीक है, क्योंकि जब ऐडमिनिस्ट्रेशन का मामला है तब पढ़े-लिखे सदस्य हों और पढ़े-लिखे चेयरमैन हों, तो ठीक है, लेकिन इस देश में जहां पढ़े-लिखे लोगों का अनुपात केवल १४ फ़ीसदी है और इन १४ फीसदी में वे लोग भी शामिल हैं जो केवल अपना नाम लिखना जानते हैं तो मैं नहीं समझता हूं कि इस प्रतिबन्ध का क्या प्रभाव

[श्री नन्द किशोर]

होगा। इसके माने यह होंगे कि ८६ फ़ीसदी जनता जो है, उसको उम्मीदवार बनने से रोक दें और यह प्रजातंत्र का बुनियादी उसूल है कि जो वोटर है उसको उम्मीदवार होने का भी अधिकार है। इसलिये यह उद्देश्य सुन्दर होते हुये भी मैं समझता हूं कि इस सूबे में जहां पढ़े-लिखे कम हैं ऐसा प्रतिबन्ध लगाना ज्यादा मुनासिब नहीं है। माननीय अवधेश प्रताप सिंह जी ने एक अजीब बात कही है। जिस वक्त वह सस्पेंशन की बात कह रहे थे कि यह अच्छा नहीं है कि आप प्रजा से चुने हुये सदस्यों या बोर्ड के चेयरमैन को सस्पेंड कर दें। क्योंकि आपको यह स्मरण रहना चाहिये कि यह सरकार भी कल को बदल सकती है। तो हो सकता है कि इसके जो कारनामे हों उनके ऊपर जो उत्तराधिकारी सरकार हो वह टिप्पणी करे या उन मंत्रियों को प्रासिक्यूट करे। मैं उनके संकेत को अगर ठीक-ठीक समझा तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां तक हमारा सम्बन्ध है यह इस तरह का संकेत करना कि यह सरकार बदली जा सकती है, यह मेरी समझ में कुछ ज्यादा आया नहीं। क्या आश्चर्य की बात है कि सरकार बदल जाय! क्या आश्चर्य की बात है कि अगर किसी मंत्री से गलतियां होती हैं तो उसके ऊपर कुछ कार्यवाही की जाय! तो उस चीज का भय दिखा कर यह कहना कि हम लोगों को सस्पेंड न करें, इससे हम पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। आखिर हम लोग कोई महलों के निवासी हैं नहीं। हम लोगों ने जो कुछ सीखा है राजनीति में, वह संघर्ष के दिनों में सीखा है। इसलिए हम लोगों को इस बात से डराना कि यह गवर्नमेंट बदल जायगी, कल आपके खिलाफ भी कार्यवाही करना पास हो सकता है, मैं समझता हूं कि यह उचित सी बात नहीं है। इसलिए मैंने इसका जिक्र किया है।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि बार बार विरोधी दल के भाषणों के दौरान में यह कहा जाता है कि यह उसकी क्रान्तिकारी सिफारिश है। अगर जो कुछ हम कहें वह प्रतिगामी हो जाय और बाकी जो हो वह प्रगतिशील हो और क्रान्तिकारी हो, तब तो दूसरी बात है। वरना क्रान्तिकारी के मानी हम भी जानते हैं। जहां तक क्रान्ति के सबक़ का ताल्लुक़ है हमने और उन्होंने साथ-साथ सीखा है। यह दूसरी बात है कि आज विरोध में आकर जब उनके दृष्टिकोण बदल जायं तो हमारे हिस्से में प्रतिगामिता ही प्रतिगामिता उनको दिखलायी पड़े।

इन शब्दों के साथ मैं पुनः माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं। इस आशा से कि जो हमारा उद्देश्य है कि शीघ्रातिशीघ्र चुनाव हो जायं वह उद्देश्य अवश्य पूरा होना चाहिए।

श्री सुरेश प्रकाश सिंह (ज़िला सीतापुर)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस संशोधन विधेयक पर माननीय तिवारी जी ने जो संशोधन रखा है कि इस विधयक को प्रवर समिति में भेजा जाय मैं उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। मैं इसके पहले और कुछ निवेदन करूं कि मैं इसके प्रवर समिति में जाने के लिए क्यों कह रहा हूं इतना पहले ही कह देना आवश्यक समझता हूं कि हमारे माननीय तिवारी जी ने जिस आशय से और जो उनका तात्पर्य है, जो उन्होंने बतलाया है कि प्रवर समिति में जाकर वहां क्या किया जाय मुझको इसमें बड़ी शंका है कि वहां कुछ हो सकता है। उन्होंने खेर कमेटी की रिपोर्ट का बड़ा भारी हवाला दिया। जैसा कि मैं अभी निवेदन कर चुका हूं मुझे शंका है कि प्रवर समिति में भी जाकर इस बिल में खेर कमेटी के वह सुझाव जिनको वह मानते हैं इसमें इनकारपोरेट हो सकेंगे या नहीं और जो यह सरकार यह कहे कि इसकी वजह से समय नष्ट होगा जो माननीय सदस्य चाहते हैं वह प्रवर समिति में भी जाकर इनकारपोरेट न हो सकेगा तो कुछ बहुत अनुचित न होगा। परन्तु मेरा निवेदन यह है कि अगर यह विधेयक प्रवर समिति में जायगा तो मेरा विश्वास है कि सरकार के दृष्टिकोण और विरोधी दल के दृष्टिकोण में जो फर्क रहता है वह आपस की जो प्रवर समिति में बातचीत होती है उसमें काफ़ी नजदीक आ जाने का मौक़ा रहता है। भवन में जो बहस होती है उससे हमेशा सरकार और विरोधी दल के दृष्टिकोणों

में फर्क ज्यादा ही होता चला जाता है। प्रवर समिति में बैठ कर आपस की बातचीत से जब फैसला करते हैं तो अपने को अधिक नजदीक पाते हैं।

यह संशोधक विधेयक महत्त्वपूर्ण है, इससे तो इन्कार किया नहीं जा सकता। बहुत सी विरोधी दल की ऐसी बातें हैं जो कि शायद मानने के क़ाबिल हों और वहां पर आपस की बातचीत में शायद माननीय मंत्री या सरकार का दृष्टिकोण हमारे दृष्टिकोण से ज्यादा नजदीक पाया जाय और शायद इसमें कुछ ज्यादा सुझाव आ सकें, जिससे कि यह बिल और सुधर जाय।

श्रीमन्, माननीय तिवारी जी ने खेर कमेटी के सिद्धान्तों को बतलाते हुए डिमोक्रेसी पर बहुत कुछ कहा। मुझे भय है कि इस रिएक्शनरी, क्रांतिकारी, प्रतिक्रियावादी ऐटमास्फेयर में शायद मैं जो कुछ कहूं उसमें कुछ गलतफहमी हो जाय। परन्तु इसका भय होते हुये भी श्रीमन्, मैं आज एक बात साफ कर देना चाहता हूं और वह यह है कि जैसा कि माननीय मित्र ने कहा कि जिस समय खेर कमेटी रिपोर्ट लिखी गयी थी उस समय इस देश का वातावरण और था। उस समय गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ देश डिमोक्रेसी डिमोक्रेसी चिल्ला रहा था। हम सब लोग डिमोक्रेसी की ओर नजर लगाये बैठे थे, इसलिये कि सदियों से इस देश में डिमोक्रेसी का नाम तक नहीं था और ऐसे वातावरण में किसी भी कमेटी की रिपोर्ट डिमोक्रेसी को चिल्लाये यह स्वाभाविक था। परन्तु हमें यह नहीं भूल जाना चाहिये कि यह खेर कमेटी सन् ३८ में बैठी थी और अब सन् ५० में यदि आप सुझाव देखेंगे उसके सदस्यों के तो उसमें दो माननीय सदस्य ऐसे थे जो कि हुकूमत की बागडोर भी सम्भाल चुके हैं और उसका अनुभव भी उन्हें कुछ हो चुका है। और भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो अगर हुकूमत की बागडोर उनके हाथ में नहीं है तो गवर्नमेंट की हुकूमत में मदद पहुंचाते हैं, ऐसी जगहों पर पहुंच चुके हैं। तो मेरा यह विश्वास है कि जैसा मेरे माननीय मित्र ने कहा कि यदि उन्हीं माननीय सदस्यों से यह कहा जाय कि आप इसको रिवाइज करें तो शायद इतना बड़ा उपकार डिमोक्रेसी का नहीं होगा। श्रीमन्, डिमोक्रेसी है क्या! डिमोक्रेसी उम्दा चीज है, अच्छी चीज है, लेकिन मैं क्षमा किया जाऊं अगर मैं कहूं कि हर जगह कम्पलीट डिमोक्रेसी का चिल्लाना हमारे लिए, हमारे देश के लिये वैसा ही है जैसे एक बाईसिकिल पर चलता हुआ आदमी मोटर साइकिल पर चलते हुए आदमी से कहे कि तुम कैसे उड़ोगे, हम भी उड़ना चाहते हैं। लेकिन हमारे पास तो साइकिल है। अलफ्रेड ने कहा था कि जो पिछड़े हुए राजनीतिक देश होते हैं उनमें डिमोक्रेसी के माने केवल एक होते हैं। वह कि किसी न किसी शक्ल में उस देश में फासिज्म अवश्य आयेगा।

मैं इस प्रश्न पर नहीं जाऊंगा कि अगर डिमोक्रेसी न हो तो क्या किया जाय। डिमोक्रेसी का रास्ता तो हमने पकड़ लिया, उस पर तो हमें चलना ही है, परन्तु हमें सोचना यह है कि हर समय हर चीज में, हर डिपार्टमेंट में हम डिमोक्रेसी चिल्लाकर, जबकि हमारा देश पोलिटिकली इतना बैकवर्ड है, अपने देश को कहां ले जायंगे! मैं तो यह कहूंगा कि अगर मुझे यह दृढ़ विश्वास हो जाय कि हमारा देश आजकल के वातावरण से निकल कर बढ़ सकेगा तो मैं यह कहूंगा कि फासिज्म भी अच्छी चीज है। डिमोक्रेसी कोई ऐसी चीज नहीं है जो हर जगह के लिये, हर नेशन के लिये, हर देश के लिये वैसी ही न हो जैसी ग्रेट-ब्रिटेन या अमेरिका या योरोपियन कंट्रीज में है। हमको भी डिमोक्रेसी में चलना है, परन्तु हमको यह देख कर कि किस तरह की डिमोक्रेसी कहां पर उचित है और कहां पर अनुचित, चलना चाहिये। जहां पर श्रीमन्, म्युनिसिपैलिटीज का प्रश्न है करीब सौ साल हो गये जब से कि यह एक्सपैरिमेंट हमारे देश में चला आ रहा है और श्रीमन्, मैं दुख से कहता हूं कि अंग्रेजों के जमाने से चलता आ रहा है। लोगों को सिखाया गया है, मैं जानता हूं कि काफी रोकथाम थी, परन्तु फिर भी अनुभव तो प्राप्त हुआ। प्रान्तीय लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में और अन्य लोकल बाडीज में जितना भ्रष्टाचार और जितनी अन-डेमाक्रेटिक बातें हो चुकीं शायद और किसी भी डिपार्टमेंट में नहीं होती होंगी।

कुछ सदस्यगण--क्वश्चन।

श्री सुरेश प्रकाश सिंह—क्वश्चन आप करें। इसके बाद मैं कुछ नहीं कहना चाहता था परन्तु इस क्वश्चन पर कहना चाहता हूं और वह यह कि यहां पर बड़ा हल्ला मचाया जा रहा था कि यह क्या! डिमोक्रेसी के जमाने में चेयरमैन की कोई एजूकेशनल क्वालिफिकेशन रखें। इसका जवाब मैं यह दूंगा कि एजूकेशनल क्वालिफिकेशन रखना इसलिये आवश्यक है कि डिमोक्रेसी के नाम पर ही डिमोक्रेसी का गला घोंटा जाता है और सरकार की पार्टी से मुझे मालूम हुआ है कि हमारी जगह और दूसरी जगह अभी एलेक्शंस चुनाव की तारीख नियत नहीं हुई, लेकिन कांग्रेस के कुछ भाई लोग बिना यह सोचे कि उस जगह के उपयुक्त हैं यह नहीं, उस जगह के लिये कोशिश करने लगे हैं। उनको कुछ भी नहीं आता, शायद दस्तखत करना भी नहीं। उनके लिये रिकमेंडेशन्स आये हैं कि उनके नाम रख दिये जायं और कांग्रेस के नाम पर नहीं, पंडित जवाहरलाल के नाम पर उनको वोट मिलेंगे और वह चेयरमैन हो जावेंगे। क्या क्वश्चंस करते हैं हमारे माननीय मित्र, मुझे बतायें कि जब कि उनके हाथ में इतनी एक्जीक्यूटिव पावर्स होंगी और जब डेमोक्रेसी के नाम पर और भी पावर्स उनके हाथ में होंगे तो क्या वह उचित है कि ऐसे आदमी को चेयरमैन बनाया जाय। लोग कहते हैं ८० फीसदी, ९० फीसदी डीफ्रेंचाइज हो जायेंगे। जिस देश में एजूकेशनल क्वालिफिकेशंस कुछ भी न हो वहां पर अगर हम ऐसे आदमी को चुनेंगे आपकी पार्टी के जरिये से ही मैं यह नहीं कहता कि कांग्रेस पार्टी में कोई पढ़ा लिखा नहीं चुना जा सकता जब कि किसी पार्टी से भी इंट्रीग की वजह से भी ठीक आदमी न चुना जा सके उस वक्त यह डर लगता है कि पार्टी की इन्ट्रीग की वजह से पार्टी का भी ठीक आदमी न चुना जा सके, उस वक्त यह डर लगता है कि पार्टी की इंट्रीग की वजह से हमारे ऊपर ऐसा आदमी लादा जाय जिसे हमारे देहात में करिया अक्षर भैंस बराबर कहते हैं। यानी दस्तखत भी न कर सकता हो।

श्रीमन्, हमारे इस संशोधन विधेयक को उपस्थित करते हुए माननीय मंत्री ने अपने इन कारणों और उद्देशों को दो भागों में बांटा है। एक तो यह है कि चुनाव जल्द करने हैं और भारत के संविधान को देखते हुए इस कानून में भी ऐसे संशोधन करने हैं जिससे कि हम उस बेसिस पर चुनाव कर सकें। दूसरा भाग है जहां कि उन्होंने बतलाया है कि कुछ और संशोधन म्युनिसिपैलिटीज के कार्य में रोजमर्रा के काम में किये जायं। श्रीमन्, जहां तक चुनाव का सवाल है, माननीय तिवारी जी ने एक बहुत बड़ा एतराज किया है सरकार के डाइरेक्टर आफ ऐलेक्शंस मुकर्रर करने में। उनका यह ख्याल है कि डाइरेक्टर आफ एलेक्शंस उतना ही इम्पार्शियल न हो सकेगा या उसकी कार्यवाही या काम उतना ही इम्पार्शियल न हो सकेगा जितना कि हमारे एलेक्शन कमिश्नर का है। मैं नहीं जानता कि उनकी आशंका कहां तक ठीक है, परन्तु इतना मैं अवश्य कहूंगा कि श्रीमन्, आपके द्वारा निवेदन करूंगा कि सरकार से यह प्रार्थना करूंगा कि जब डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी चिल्लाया जाता है तो यह अवश्य उनकी डयूटी है। श्रीमन्, उनका कर्त्तव्य है कि एलेक्शंस इस तरह से किये जायं या इन एलेक्शंस की मशीनरी ऐसी सेट अप की जाय कि किसी को यह शंका न रहे कि सरकार की वजह से या सरकार की मशीनरी की वजह से मैं हारा। वह यह मानने के लिये बाध्य हों कि मैं इसलिये हारा कि मुझे वोट नहीं मिले। श्रीमन्, अब मैं आपकी आज्ञा से कुछ संशोधनों की ओर सदन का ध्यान दिलाऊंगा। सबसे पहला एतराज जो मैं पाता हूं श्रीमन्, वह यह है कि यह संशोधन विधेयक लाते हुए माननीय मंत्री जी ने या सरकार ने इसका फायदा नहीं उठाया कि एक दकियानूसी चीज हमारे राज्य में जो नामिनेशंस की है वह बिल्कुल हटा दी जाय। मुझे डर लगता है खेर कमेटी का नाम बार-बार लेते हुए, क्योंकि कुछ माननीय मित्र उस नाम से चिढ़े हुए हैं, उसमें है—

"Nomination system has had a most demoralising influence. It corrupted the people as well as the Government."

श्रीमन्, सवाल यहां पर यह है करप्टेड दी पीपुल आफ १९३८ या गवर्नमेंट आफ १९३८। यह तो स्वाभाविक था और उचित मालूम होता है कि किसी भी पीपुल को और किसी भी गवर्नमेंट को, अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट को नामिनेशंस का सिस्टम करप्ट

कर सकता है तो वह करप्ट कर सकता है हमारी चुनी हुई सरकार को। यह कहना कि यह तो जनता की चुनी हुई सरकार है इसमें कोई अनुचित चीज रखने से करप्शन न आयेगा, श्रीमन् यह बात मेरी समझ में नहीं आई। यहां पर इस संशोधन विधेयक सरकार की ओर से यह संशोधन लाया गया है कि सदस्यों का नम्बर जो पहले था उससे घटाया जाय। इस पर इधर के हमारे कुछ माननीय मित्रों को बड़ी आपत्ति है और उन्होंने खेर कमेटी के सुझाव को भी सामने रखा जिसमें यह लिखा है कि सदस्यों का नम्बर बढ़ना चाहिये। यहां पर श्रीमान् मुझे फिर दोहराना पड़ेगा कि यदि हम डिमोक्रेसी के नाम पर अंधों की तरह चलते रहें तो और जो वातावरण है हमारे देश में, जो हमारे देश की परिस्थिति है, जो हमारे कैरेक्टर की हालत है, उस पर हम अगर कोई नजर न डालें तो सच है कि जितने ज्यादा सदस्य हो सकें किसी बोर्ड के उतना ही अच्छा है। परन्तु श्रीमन्, आजकल हम पाते क्या हैं सन् १९५० या ५१ में पांच या छै साल की आजादी के बाद मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारा मारल कैरेक्टर ऊंचा नहीं हुआ है, शायद कुछ गिरा ही हुआ है। ऐसी हालत में मैं सहमत हूं माननीय मंत्री जी से जब वह कहते हैं कि जितने कम मेम्बर होंगे उतना ही कार्य अच्छा होने की संभावना है।

जहां तक चेयरमैन के सस्पेंशन का प्रश्न है, इधर से बड़ी जोर से आवाज उठ ही गयी है कि यह बड़ा अनडिमाक्रेटिक है। सस्पेंशन अनडिमाक्रेटिक क्यों है, यह मेरी समझ में नहीं आया। रिमूवल अनडिमोक्रेटिक हो सकता है, कमेटी डिपार्टमेंट को उसके ऊपर बैठाई जाय, वह अनडिमोक्रेटिक हो सकती है, कोई दूसरी डिमोक्रेटिक मशीनरी खड़ी की जाय वह मानी जा सकती है, परन्तु जब रिमूवल का अधिकार अनडिमाक्रेटिक नहीं है तब सस्पेंशन का अधिकार अनडिमोक्रेटिक नहीं कहा जा सकता है। माननीय मंत्री ने बतलाया कि सस्पेंशन की आवश्यकता क्यों पड़ी। आप देखें श्रीमन् कि हर ऐसे डिपार्टमेंट में किसी के ऊपर इनक्वायरी होने से पहले सस्पेंशन होता है। यदि गवर्नमेंट यह समझती है कि इस शख्स का रिमूवल होना चाहिये या रिमूवल हो या न हो, इसके लिये कमेटी बठनी चाहिये उस पर तो कोई आपत्ति नहीं, परन्तु उसी इनक्वायरी के साथ या उसी इनक्वायरी के पहले अगर उस चेयरमैन का सस्पेंशन हो जाता है तो मैं नहीं देखता कि यहां पर कहां अनुचित बात है। जब तक कि सरकार के हाथ में रिमूवल का अधिकार है तब तक उसे इनक्वायरी के पहले या दौरान में ऐसा मालूम होता है कि वह ऐसी बातें करता है कि उनका इनक्वायरी पर इफेक्ट पड़ सकता है, तो मैं समझता हूं कि उसका सस्पेंशन होना उचित ही नहीं है, बल्कि आवश्यक है।

एक दूसरी बात वोट आफ नोकान्फिडेंस की है। यह मेरी समझ में नहीं आया कि जब चेयरमैन डाइरेक्ट वोट से चुना जायगा, उस समय बोर्ड के सदस्यों का उसके ऊपर वोट आफ नोकान्फिडेंस पास करना कहां तक उचित होगा, परन्तु इसके साथ ही साथ मैं इतना जरूर कहूंगा, मैं अभी यह नहीं समझ पाया हूं कि कौन सी दूसरी चीज रखी जाय। जब डाइरेक्ट वोट से इलेक्ट होकर के चेयरमैन आया है तो उसके ऊपर वोट आफ नोकान्फिडेंस न पास हो सके, यह मैं सरकार और उसके ड्राफ्टसमैनों पर छोड़ता हूं कि यह कैसे हो सकता है कि जब डाइरेक्ट वोट से चुनकर कोई चेयरमैन आये तो उस पर चुने हुए सदस्य वोट आफ नोकान्फिडेंस न पास करें। कहा जा सकता है कि आखिरकार सदस्य भी तो चुने हुए हैं, यह ठीक है, परन्तु श्रीमन, यह बात मुझे अनुचित सी लगती है कि जब पब्लिक ने किसी को भेजा हो तो उसके खिलाफ चुने हुए आठ या दस सदस्य वोट आफ नोकान्फिडेंस पास कर सकें। खेर कमेटी ने एक बहुत ही उत्तम सुझाव दिया था। इस समय मैं बार-बार खेर कमेटी का नाम ले रहा हूं, इसलिये इतना कह देना उचित समझता हूं कि खेर कमेटी को पढ़कर और इस संशोधन विधेयक को पढ़ कर यह तो जरूर मालूम होता है कि इस संशोधन विधेयक को बनाते समय खेर कमेटी बिलकुल इगनोर की गयी है, परन्तु यह हो सकता है कि सरकार की ओर से यह कहा जा सकता है और शायद यह ठीक निकले कि खेर कमेटी की रेकमेंडेशन्स या उसके सुझावों को इगनोर नहीं किया गया है, बल्कि इस

[श्री सुरेश प्रकाश सिंह]

समय बहुत जल्दी थी चुनाव की, इसलिये इतना बड़ा संशोधन विधेयक नहीं लाया जा सकता था। उसमें बहुत से काफी अच्छे सुझाव हैं जो कि मैं विश्वास करता हूं कि सरकार उनको पसन्द करती होगी। इसलिये शायद इसकी एपालोजी यह हो सकती है सरकार की ओर से कि इस समय इस संशोधन विधेयक को लाने का तात्पर्य केवल यह था कि जल्दी से जल्दी चुनाव किये जा सकें और मैं यह आशा करता हूं कि जब कि समय मिले और उचित समय पर जल्द से जल्द सरकार कोई एक ऐसा विधेयक लायेगी जो कि इतना कम्प्रिहेंसिव होगा कि सन् १९१६ का ऐक्ट जिस पर हम चल रहे हैं उसको बदल कर आधुनिक वातावरण को देखते हुए हम एक नया ऐक्ट बनायें।

श्रीमन्, मैं अधिक न कह कर टैक्सेज के ऊपर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं और वह यह है कि जिस समय यह संशोधन विधेयक लाया गया और इसका फायदा उठाया गया है कि कुछ इसमें ऐसे संशोधन किये जायं और टैक्सेज के लिये माननीय मंत्री ने कुछ बतलाया भी, उस समय मैं उनका ध्यान खेर कमेटी के उस सुझाव पर दिलाता हूं जिन्हें उसने किया है। वैसे तो कई टैक्सेज के बारे में उसने कहा है, लेकिन दो टैक्स आसानी से इसमें शामिल किये जा सकते हैं और यदि यह सेलेक्ट कमेटी में जाता है और यह संभव हो तो मैं आपके द्वारा प्रार्थना करूंगा कि उन पर विचार किया जाय सरकार की ओर से। एक तो है लग्जरी टैक्स, जिसकी ओर खेर कमेटी ने ध्यान दिलाया है। अगर हम एक मोटर खरीदते हैं, १५–२० हजार रुपये खर्च करते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है अगर १०० रुपये म्युनिसिपैलिटी के लिये भी हमें पड़ गये। मैं समझता हूं कि यह अनुचित न होगा। हां, दवाइयों पर न हो, जूतों पर न हो, कपड़े पर न हो। लेकिन ऐसी चीजें जैसे औरतों की लिपस्टिक, पाउडर, फाउन्टेनपेन वगैरह पर अगर टैक्स लगाया जाता है तो कोई अनुचित बात नहीं होगी।

दूसरा सुझाव जो कि खेर कमेटी का है वह यह है कि जो टैक्सेज सरकार के हैं उनमें से कुछ हिस्सा म्युनिसिपैलिटी को भी दिया जाय जैसे कि पेट्रोल वगैरह का है। श्रीमन्, मैं आशा करता हूं कि इस भवन के माननीय सदस्य किसी खास कारण को न देखते हुए, अगर मौका मिला तो इस बिल के दूसरे स्टेज में और कोई ऐसा संशोधन आया तो उस पर विचार करेंगे जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और मैं फिर उसको दोहराता हूं, वह है चेयरमैन की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और मुझे बहुत ताज्जुब हुआ जब मैंने यह देखा कि अपर हाउस जो कि बुजुर्गों का हाउस है वहां से इस चीज को निकाल दिया गया। हां, यहां हम लोग छोटे-छोटे, पढ़े और अपढ़, सब तरह के लोग बैठे हुए हैं तो कोई बहुत ऐसी बात नहीं है। लेकिन वह एल्डर्स का हाउस है, वहां से यह चीज निकाल कर फेंक दी जाय, यह देखकर मुझे बहुत ही दुख और ताज्जुब हुआ। मैं आशा करता हूं कि कभी-कभी अगर बुजुर्ग गलती करें तो छोटे भी सुधार सकते हैं। मैं फिर हाउस से और खासतौर से कांग्रेस बेंचेज से और माननीय मंत्री से आपके द्वारा प्रार्थना करूंगा कि वे एजुकेशन के मसले पर विचार करें। अगर कोई खास इंटरेस्ट सैक्रीफाइस हो रहा हो तो उस पर ध्यान न देकर वे इस पर विचार करें कि चेयरमैन के लिये मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना आवश्यक है।

श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर)—उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमन् उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज संशोधन विधेयक, १९५२ पर जब मैंने विचार किया तो मेरे सामने दो पहलू बहुत अहमियत के आये। एक तो सवाल यह है कि म्युनिसिपैलिटीज आटोनामस बाडीज हैं, इनमें हम कहां तक दखलन्दाजी करें और उनके आटोनामस स्टेट्स को कायम रखते हुए कहां तक न करें। प्रजातंत्रात्मक उसूलों को कायम रखते हुए मैं यह समझता हूं कि हम इनके ऐडमिनिस्ट्रेशन में जहां तक हम हस्तक्षेप करें वहीं मैं समझता हूं मुनासिब होगा। लेकिन जब हम उत्तर प्रदेश की चुंगियों की हालात को देखते हैं तो हमें एक हैरत हो जाती है। मैं समझता हूं कोई ताज्जुब की बात नहीं होगी अगर मैं आपके सामने यह पेश करूं कि यहां ऐसी ऐसी चुंगियां मौजूद हैं जिनके अन्दर मुख्तलिफ जगहों से आया हुआ रुपया चार दिन तक बराबर गबन हो जाता है और एडमिनिस्ट्रेशन को पांचवें दिन पता चलता है कि उनके यहां गबन

हुआ और आपके यहां ऐसी-ऐसी चुंगियां हैं जहां पर गवर्नमेंट लोंस तक का मिसयूज होता है। अभी हमारी गवर्नमेंट की तरफ से ३०,००० रुपया स्कूल्स की बिल्डिंग्स के लिये दिया गया तो वह रुपया बिला सरकार से पूछे हुए, बिना बोर्ड की इजाजत लिये हुए और बिना कलेक्टर या कमिश्नर को रिफर किये हुए सारे का सारा रुपया और दूसरी मदों में खर्च कर दिया गया। आजकल जो हालत इन बोर्ड्स की है वह नागुफ्ताबे है। लेकिन सवाल यह है कि हम क्या करें। हम उनकी इस खराब हालत को देख कर उनकी सारी ताकतें अपने हाथ में ले लें या कोई ऐसा कानून बनायें जिससे उनके आटोनोमस स्टेट्स को कायम भी रखें और उनका सुधार भी कर सकें। मैं समझता हूं कि प्रजातांत्रिक उसूलों को कायम रखते हुए हमारे लिये यह लाजिम है कि जो ताकतें हमने ली हैं उनको तो लें, लेकिन जहां सुपरसेशन का सवाल आता है और हम समझते हैं कि किसी बोर्ड में बईमानी हो रही है तो उसका सुपरसेशन तो जरूर करें, लेकिन उसके बाद जो आफिशियल एडमिनिस्ट्रेटर का बनाना प्रजातांत्रिक उसूलों के खिलाफ है। मैं समझता हूं कि प्रजातांत्रिक उसूलों के मातहत ऐसी नीति होनी चाहिये कि हम जल्दी से जल्दी सुपरसेशन के बाद इलेक्शन करा सकें और इस तरह से जम्हूरियती उसूलों को भी कायम रख सकें।

इसके अलावा जब मैं इसको और गौर से देखता हूं तो यह मालूम होता है कि इसके क्लाज में यह है कि सिविल कोर्टस के जूरिस्डिक्शन को हटाना चाहते हैं। उससे लोगों के दिलों में आशंका हो सकती है कि आखिर क्या वजह है और कोर्ट का जूरिस्डिक्शन क्यों हटाया जा रहा है। जो रिमेडी दी है वह यह है कि जो बे उनवानियां होती हैं उनको हम रफा कर सकते हैं इलेक्शन पेटीशन के द्वारा। तो यह एक बहुत लम्बी चीज हो गयी। इसके अन्दर जो गलती रिटर्निंग आफिसर के सामने हो जायगी तो वह बहुत दिनों में हल होगी अगर हम इलेक्शन पेटीशन की बात रखते हैं तो जैसा कि मूल ऐक्ट में है कि यह पावर्स कमिश्नरों को दी हैं कि वह उनको सुनें और उनका फैसला करें। तो श्रीमन् यह जरूरी होगा कि यह कमिश्नर्स और कलेक्टर्स से पावर्स लेकर सिविल कोर्ट्स को दी जानी चाहिये और वही इसको सुनने का मुस्तहक हो न कि कलेक्टर्स और कमिश्नर्स। इसके अलावा अगर ऐडमिनिस्ट्रेटर अप्वाइंट करने की जरूरत हो और गवर्नमेंट इसको माने कि हकतलफी होती है और ऐसा देखने में आया है कि रेंट कंट्रोल ऐंड एविक्शन ऐक्ट के मातहत ऐसे बहुत से मकान और दूकानें हैं जिनको खाली कराने के लिये कलेक्टर से परमिशन लेनी पड़ती है। लेकिन अगर कलक्टर ऐडमिनिस्ट्रेटर अप्वाइंट हो गये तो वही परमिशन देने वाले होंगे और वही दरख्वास्त देने वाले होंगे। इसलिये मैं समझता हूं कि कलेक्टर को ऐडमिनिस्ट्रेटर नहीं मुकर्रर करना चाहिये।

फिर सवाल यह आता है कि यदि हम किसी बोर्ड को सुपरसीड करते हैं तो इस बात को मान लेते हैं और इस बात का कतई शक नहीं रहता है कि वह बोर्ड उस म्युनिसिपैलिटी की हालत सुधारने के योग्य नहीं है यानी यह बात तय हो जाती है कि वह अयोग्य है कि वह उसकी हालत सुधार सके। तब दूसरा सवाल यह होता है जैसा कि इस विधेयक में दिया हुआ है कि:

"Without prejudice to their eligibility for re-election or renomination;"

उनके द्वारा हाउस सुधर नहीं सकती है। हम समझते हैं कि यह चीज लाजमी हो जाती है, जरूरी हो जाती है कि उनको कम से कम एक टर्म के लिये डिबार कर दें। दूसरा अगर गबन होता है जिसको कि खास तौर से मैंने अभी रिफर किया था और उत्तर प्रदेश की चुंगियों में हुआ है। वह बहुत ही अयोग्यता और गैरजिम्मेदारी की बिना पर हुए हैं और उस रुपये को बोर्ड और चेयरमैन से वसूल किया जाय। इस विधेयक के अन्दर ऐसी मद होनी चाहिये कि किसी चेयरमैन या बोर्ड को यह हक न हो कि वह पब्लिक के फंड्स से खेल कर सके या गलत तरीके से इस्तेमाल कर सके। हमारे सामने इस सदन में आ चुका है कि सिकन्दराराउ के म्युनिसिपल बोर्ड के चेयरमैन ने अलीगढ़ की नुमाइश में दरवाजा बनाने के लिये

[श्री भगवान सहाय]

६ हजार रुपया खर्च कर डाला और एस० डी० ओ० की बिदाई के लिये दो-तीन सौ रुपया खर्च कर डाले। ये काम किसी हालत में पब्लिक की बेहतरी के काम नहीं हैं। इस रकम को बोर्ड या चेयरमैन से वसूल करना चाहिये। ऐसी मद विधेयक में नहीं दिखलाई गई है, उसको भी अवश्य लाना चाहिये।

एक बहुत बड़ी बेईमानी इस तरह से भी होती है कि जिसकी बहुत शिकायतें आम तौर पर आ चुकी हैं कि जब बोर्ड बैठता है तो शुरू में हाजिरी के दस्तखत हो जाते हैं लेकिन कार्यवाही क्या होती है उसके दस्तखत नहीं होते। नतीजा यह होता है कि बहुत से बोर्ड्स में घरों पर बैठ कर कार्यवाही लिख दी जाती है, पास कुछ होता है और लिखा कुछ जाता है, तरह-तरह के झगड़े होते हैं। इस तरफ भी सरकार ध्यान दे और कुछ ऐसी मद इसमें रक्खे जिससे इस तरह की बेईमानी न हो सके।

अभी सीतापुर के माननीय सदस्य ने यह कहा कि चेयरमैन के लिये कुछ एजूकेशनल क्वालिफिकेशंस होना चाहिये। मैं समझता हूं कि जिस तरह से चीजें बरती जा रही हैं उससे हमें कड़वा तजुर्बा हो रहा है कि चेयरमैनों ने अपने काम का अन्जाम ठीक तरह से नहीं किया। लेकिन इसमें पढ़े-लिखे का सवाल नहीं है। सबसे बड़ा सवाल जिसकी बिना पर मैं इसकी मुखालिफत करता हूं वह यह है कि जम्हूरियत के उसूल पर मैं समझता हूं कि अगर किसी आदमी को हक है एक ऐसे आदमी के चुनने का, तो उस आदमी को यह भी हक होना चाहिये कि वह बड़ी से बड़ी जगह पर खड़ा हो कर कामयाबी के साथ काम कर सके। जब हमारे संविधान के अन्दर प्रेसीडेंट, पार्लियामेंट के मेम्बरों, कौंसिल आफ स्टेट के मेम्बरों के लिये कोई क्वालिफिकेशन नहीं रक्खी गयी तो मैं समझता हूं कि कोई वजह नहीं है कि चेयरमैन के लिये कोई क्वालिफिकेशन रक्खी जाय और सब से बड़ी बात यह है कि यह जम्हूरियत के उसूलों के खिलाफ है, और इससे प्रजातंत्रात्मक उसूलों का गला घोंटा जाता है। मिसाल के तौर पर मैं यह कहूंगा कि अगर हम इतिहास को पढ़ें तो हम पाते हैं कि अकबर, शिवाजी और रणजीत सिंह ये सब बहुत ही कुशल एडमिनिस्ट्रेटर साबित हुए हैं और जब ये बेपढ़े लोग इस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन चला सकते थे तो कोई वजह नहीं है कि आज हम इसे मान लें कि अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर वही हो सकता है जो पढ़ा-लिखा हो। मैं इसका बहुत सख्त शब्दों में विरोध करता हूं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)---उपाध्यक्ष महोदय, इस अमेंडिंग बिल पर दो दिन से बहस हो रही है। मंत्री महोदय का यह कहना है कि यह संशोधक विधेयक विशेष रूप से चुनाव से संबंध रखता है और उसी के साथ साथ इस संशोधक विधेयक से लाभ उठा कर और भी संशोधन कर दिये गये हैं। आमतौर पर बहुत से सदस्यों ने कहा कि चेयरमैन को रिमूव करने का या मुअत्तल करने का अधिकार होना चाहिये या न होना चाहिये, इस बात पर ज्यादा बहस हुई। मैं पहले इस संशोधन विधेयक को चुनाव को जल्दी कराने की मंशा से ही समझ कर ही इस पर बोलना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में भी और साथ ही साथ यह बतलाया कि हम चुनाव को जल्दी कराना चाहते हैं, और बहुत ही जोश-खरोश के साथ यह कहा कि कोई तरीका नहीं रह जाता जिससे म्युनिसिपल बोर्ड के चेयरमैन या मेम्बरान जो कि तमाम बेईमानियां करते हैं उनको रोकने का या रिमूव करने का। एक तरफ तो चुनाव जल्दी करने की बड़ी उतावली है और कहा जाता है कि दस दिन के लिये अगर विधेयक प्रवर समिति में भेजा जाता है तो देर हो जायगी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये से माननीय मंत्री जी से और इस सरकार से पूछना चाहता हूं कि १९४८ से लेकर ५२ तक चुनाव को रोकने और उसके फलस्वरूप जनता के धन के साथ जो बेईमानी हुई है और लोगों ने लूट-खसोट की उसकी जिम्मेदारी किस पर है। आज इन चार वर्षों में हमारी सरकार ने क्या किया। सरकार ने सन् ४८ में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का चुनाव कराया था। तब लोग यह समझते थे इसके तुरन्त बाद म्युनिसिपैलिटीज का चुनाव होगा। लेकिन सरकार को उसका

चुनाव करने की हिम्मत नहीं पड़ी। इसकी वजह यही थी कि जनता कांग्रेस सरकार से असंतुष्ट थी और उस समय सरकार भयभीत थी वह जानती थी कि शहरों की पढ़ी-लिखी जनता उसका साथ नहीं देगी उसने टाउन एरियाज के एलेक्शन के नतीजे को भी देखा था वह चुनाव एडल्ट फ्रेंचाइज के तरीके पर कराया था। बालिग मताधिकार के आधार पर वह चुनाव होने पर कांग्रेस पार्टी के चेयरमैनों की संख्या ३१ फीसदी से ज्यादा सफल नहीं हुए थे। बाकी सीटें गैर कांग्रेसी दलों के हाथ में गयीं। इस तरह से हमारी कांग्रेस सरकार घबरा गई थी। आज यह दलील दी जाती है वोटरों की लिस्ट नहीं छपी थी और पेपर तैयार नहीं थे इस वजह से असेम्बली की लिस्ट चुनाव के लिये मान लें। इसमें हमारा विरोध नहीं है, लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि यह लिस्ट कितनी बार छापी गयी है। यह लिस्ट हर साल तैयार की गयी और फिर रद्द कर दी गयी। यह चार साल से किया जा रहा है। अगर सरकार से कहा जाता है कि चार साल की देरी के बावजूद भी यदि उपस्थित विधेयक में कुछ उचित संशोधन कर दिये जायं तो सरकार समयाभाव का बहाना बनाकर उचित से उचित संशोधन मानने को तैयार नहीं है। परन्तु वास्तविकता यह है कि सरकार ने डर की वजह से ही म्युनिसिपल एलेक्शन नहीं किये क्योंकि उसके बाद असेम्बली के चुनाव होने थे तो उसके ऊपर भी उसका असर पड़ता। इसलिये यह दलील सरकार की सराहनीय मालूम होती है कि अब यह समयाभाव की वजह से जल्दी करना चाहती हैं।

दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि म्युनिसिपल बोर्ड, असेम्बली और पार्लियामेंट के चुनाव में फर्क है। हमारी पार्टी की तरफ से यह मांग की गयी कि असेम्बली और पार्लियामेंट के चुनाव में भी प्लूरल मेम्बर कांस्टीटुएंसीज बनाई जायं क्योंकि हम चाहते थे कि इस तरीके से पोलिटिकल माइनारिटीज का अधिक से अधिक रिप्रेजेन्टेशन मिल सके। माइनारिटी से मेरा मतलब किसी कम्युनल माइनारिटी से नहीं है, बल्कि पोलिटिकल पार्टी से मतलब है। हमारी मांग है कि प्लूरल कांस्टीट्युएंसीज में क्यूमुलेटिव सिस्टम आफ वोटिंग होना चाहिये। म्युनिसिपल बोर्ड या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चुनाव के सिलसिले में हर सदस्य को यह अख्तियार होना चाहिये कि वह अपने वोट को अगर वहां से पांच आदमी खड़े हुए हैं तो सब को दे या चाहे वह एक ही उम्मीदवार को वोट दे इसका अख्तियार उसको मिलना चाहिये। अगर ऐसा किया जाय तो इससे पोलिटिकल माइनारिटीज का सहयोग म्युनिसिपल बोर्ड को मिल सकता है। इस संशोधन विधेयक में इस बात की उपेक्षा की गयी है। हमारे माननीय मंत्री समाजवादी होने का दावा करते हैं परन्तु उनका ध्यान इस तरफ नहीं गया अब मैं आशा करता हूं कि वह मेरी इस बात पर विचार करेंगे कि जहां पर प्लूरल कांस्टीट्युएंसी है वहां पर एकुम्युलेटिव सिस्टम आफ वोटिंग हो। मुझे ताज्जुब हुआ कि पिछली मर्तबा टाउन एरिया और म्युनिसिपल बोर्ड और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का चुनाव मार्किंग सिस्टम वोटिंग से कराये गये जो प्रजातंत्र प्रणाली के लिये घातक हैं। अभी हमारे माननीय मित्र श्री नवल किशोर जी ने कहा था कि म्युनिसिपैलिटियों में केवल १४ प्रतिशत लोग ही पढ़े हैं और ८६ फीसदी लोग बिना पढ़े लिखे हैं। एक तरफ पोलिंग आफिसर होंगे उनके अगल बगल पोलिटिकल पार्टीज के एजेन्ट होंगे और उन सब के सामने वोटरों को बतलाना होगा कि किसको वोट देना चाहते हैं। फैजाबाद में कैनटूनमेंट बोर्ड है वहां ३ साल से चुनाव नहीं हुआ क्योंकि वहां के लोग जानते हैं कि मार्किंग सिस्टम में नुमाइंदे का नाम रहेगा और उसमें नाम बताना होगा और इसी वजह से डर के कारण कोई नामजदगी ही नहीं कराता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर यह संशोधक विधेयक केवल चुनाव के लिये ही आता है तो मार्किंग सिस्टम हटा देना चाहिये। जब हम रिप्रेजेंटेशन आफ पीपुल ऐक्ट के अनुसार अपना कानून बना रहे हैं तो उसमें भी सिम्बल सिस्टम होना चाहिये और हर एक का सिम्बल होने से सीक्रेसी आफ बैलेट गारेन्टेड रहेगी पुराना दकियानूसी सिस्टम अब हरगिज नहीं रहना चाहिये। अगर सरकार की ऐसा करने की कोई ऐसी खास मंशा नहीं है तो इस सिस्टम को ठीक करना चाहिए ताकि पढ़ा और बेपढ़ा हर एक वोटर आसानी से बगैर किसी डर के वोट दे सके। इससे कोई भी प्रभावशाली शक्ति किसी तरह का असर वोटर पर नहीं डाल सकती। इसको ठीक करके आपको यह साबित कर देना चाहिये कि आपके इरादे साफ हैं। मालूम होता है कि किसी

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

तरह की असावधानी से यह चीज रह गयी है इसलिये मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि माननीय मंत्री जी इसको मान लें और ठीक कर दें।

मुझे ऐसी आशा थी कि चेयरमैन जो पब्लिक से एलेक्टेड आदमी है उसके रिमूवल वाला क्लाज दूर कर दिया जायगा। इससे जनता पर कुठाराघात होता है। यह दलील कि ससपेंशन का अधिकार होना चाहिये जबकि रिमूवल का अधिकार ज्यों का त्यों है। ठीक हो सकती है परन्तु हमें तो आशा थी कि माननीय मंत्री जी मूल विधेयक की धाराये ४० व ४१ ही समाप्त करा देंगे, ताकि चेयरमैन के रिमूवल का प्रश्न ही नहीं रह जावे। हमारे और सरकार के मत में कुछ भेद है। हम महात्मा गांधी के ४ पिलर आफ स्टेट के सिद्धांत को मानते ह। आज यह दलील भी दी जा सकती है कि अंग्रेजी जमाने में म्युनिसिपल बोर्ड और टाउन एरियाज इसलिये जरूरी थे क्योंकि सरकार विदेशी थी और अब उनकी जरूरत ही नहीं है क्योंकि अब तो अपनी ही सरकार ह जो जनता द्वारा चुनी हुई है। सरकार भी आज विकेंद्रीयकरण के सिद्धांत को मानती है और इसी उसूल पर आज स्वतंत्रता के बाद भी म्युनिसिपल बोर्ड और टाउन एरियाज बने हुए हैं। इसलिये आज भी जरूरी है कि ४ पिलर आफ स्टेट बनाई जायं और उसी उसूल से विकेन्द्रीयकरण किया जाय। एक गांव पंचायत की शकल में, दूसरे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और म्युनिसिपल बोर्ड की शक्ल में, तीसरे प्रान्त के अन्दर और चौथे दिल्ली में हुकूमत है। चारों अलग अलग होने चाहिये और कोई किसी दूसरी को सुपरसीड न कर सके। लेकिन मौजूदा सरकार के जितने भी कानून आये हैं इनमें यदि प्रेसीडेंट चाहे तो पंचायत से लेकर लोक सभा तक तमाम सत्ता अपने हाथ में ले सकता है। इसी प्रकार से धीरे धीरे हमारी सरकार का यह रवैया हो रहा है।

माननीय सुरेशप्रकाश सिंह जी ने कहा कि वह डैमोक्रेसी के बजाय डिक्टेटरशिप को ज्यादा पसंद करते हैं तो हमें शक होता है कि कहीं हमारी मौजूदा सरकार भी उसी उसूल पर नहीं चल रही है। जब हमारी सरकार ने पंचायत ऐक्ट बनाया तो खूब खुशियां मनाई गई थीं और सभी पार्टियों ने इसका समर्थन किया था। लेकिन आज वहां भी हमारी सरकार को यह सूझा कि गांव के पंच पढ़े लिखे कम होते हैं तो उनके ऊपर एक सेना ५०० इंस्पेक्टरों की और ८ या ९ हजार सेक्रेटरियों की लाद दी गयी है। गांव के पंच की गांव में वही हैसियत है जो दिल्ली में या देश में भी पंडित जवाहरलाल की है लेकिन हालत तो यह हो रही है कि पंच इंस्पेक्टरों और सेक्रेटरियों को सलामी ही दागने में रह जाते हैं। यह एक मूलभूत सिद्धांत है जिस पर हम विरोध कर रहे हैं। क्यों नहीं इस विधेयक के अन्दर इस तरह का संशोधन लाया गया कि अगर किसी मेम्बर या प्रेसीडेंट के खिलाफ बहुत सी जनता है तो फिर से चुनाव कराया जायगा ताकि जनता को अपने सही प्रतिनिधि चुनने का अवसर मिले। रूस में यह प्रणाली है कि यदि एक ही कैंडिडेट है तो भी चुनाव होता है, इसका मंशा यही है कि जनता को अवसर दिया जाता है कि यह मालूम हो जाय कि वह उम्मीदवार कितना पाप्युलर है। कितना अच्छा होता यदि इस ऐक्ट में यह होता कि यदि जनता को कोई शिकायत है तो रिमूवल और ससपेंशन दोनों निकाले जाते हैं और दोबारा चुनाव होगा। इसमें कहा गया है कि सरकार २ साल के लिये इलेक्शन को टाल सकती है। अमरीका के कांस्टीट्यूशन में एक दिन भी चुनाव नहीं टल सकता। पिछली लड़ाई के दौरान में भी सीनेट वगैरह का इलेक्शन हुआ था। मेरी राय में चुनावों में कोई भी एक्सटेंशन नहीं देना चाहिये।

श्री तिवारी जी ने खेर कमेटी का हवाला दिया और हमें दुख होता है जब सरकारी बेंचों के लोग ही उसका विरोध करते हैं। हमको तो कहा जाता है कि हम पुराने जमाने की बातें लाते हैं और प्रगतिशील नहीं हैं। मौजूदा बिल में कहा गया है कि कम से कम और अधिक से अधिक संख्या १५ और ५० होंगी लेकिन खेर कमेटी ने कहा था कि १२५ होने चाहिये। उन्होंने कहा कि म्युनिसिपल बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और टाउन एरियाज में हमेशा ग्रूप होते हैं। जब तक कि प्रेसीडेंट का डाइरेक्ट इलेक्शन नहीं होता

था तो हजारों और लाखों रुपये खर्च होते थे। लेकिन मैं यह पूछना चाहता हूं कि आपके द्वारा सरकार से कि जब इस विधान सभा में ४,३०० रुपया खर्च होता है तो यहां पर ४३१ मेम्बर हैं और पार्लियामेंट में ५०० मेंबर हैं जहां कि डेली एलाउन्स ३५ रुपया प्रतिदिन दिया जाता है। लेकिन म्युनिसिपल बोर्डों में जहां कि एलाउन्स और डेली एलाउन्स का कोई सवाल ही नहीं है, जहां एक दिन का भी यात्राभत्ता नहीं देना पड़ता, वहां मेम्बरों की तादाद बढ़ाने से सरकार क्यों घबराती है। इसीलिये खेर कमेटी ने कहा था कि ज्यादा मेम्बर होने चाहिये। क्योंकि अगर ज्यादा आदमी होंगे तो रुपये के बल पर तोड़े नहीं जा सकेंगे, किसी भी चेयरमैन के लिये यह संभव नहीं हो सकेगा। दूसरा कारण खेर कमेटी ने इसका यह बताया था कि अलग-अलग कामों के लिये उसमें से सब-कमेटीज बनाई जा सकेंगी।

मैं माननीय स्वशासन मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार आप ४ सालों से इलेक्शन टालते आये हैं, और फिर उसके विरुद्ध आवाज उठाने वाले तो हम ही हैं, मैं सरकार को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगर वह १०-१५ दिन के लिये और चुनाव टाल देगी तो हम कोई आवाज नहीं उठायेंगे। इसके अलावा एक बात जो माननीय मंत्री जी को जरूर मान लेनी चाहिये वह यह है कि चुनाव का तरीका प्लूरल मेम्बर कांस्टीटुएंसी तथा क्यूमुलेटिव और लिस्ट सिस्टम से होना चाहिये। प्रान्तीय सरकार ने और दिल्ली की सरकार ने असेम्बली और पार्लियामेंट के लिये इस सिस्टम को माना है। इसलिये उसको यह सिस्टम इस जगह भी मानना चाहिये। इसके अलावा यहां पर शासन या पुलिस का इंतजाम तो है नहीं यहां तो सब बात ज्यादा से ज्यादा सर्वसम्मति से होनी चाहिये इसलिये यदि क्यूमुलेटिव और लिस्ट सिस्टम से चुनाव होगा तो माइन रिटीज को भी लोकल बोर्ड्स में रिप्रेजेंटेशन मिल जायगा। इन शब्दों के साथ मैं माननीय तिवारी जी ने जो प्रवर समिति में भेजे जाने का प्रस्ताव किया है उसका समर्थन करता हूं।

श्री वीरेन्द्रपति यादव (जिला मैनपुरी)—अध्यक्ष महोदय, कल माननीय मंत्री जी के यह कहने के बाद कि यह विधेयक मुख्यतः म्युनिसिपैलिटियों के चुनाव शीघ्र कराने के लिये लाया जा रहा है मुझे कुछ ज्यादा कहने का अवसर नहीं रह जाता, और न यह आवश्यक है कि हम इसकी अधिक टीका-टिप्पणी करें। लेकिन फिर भी हमारे माननीय मंत्री जी की ओर से बहुत सी ऐसी बातें कही गयीं जिनको जानकर वास्तव में हमें दुःख होता है कि नगरपालिकाओं की हालत बड़ी खराब हो रही है, हमें उसको समाप्त करना है। मंत्री महोदय ने कहा कि चेयरमैनगण उचित तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, कहीं कहीं ऐसा भी पाया गया कि चेयरमैनों ने रिश्वतें लीं लेकिन गवर्नमेंट को कोई मुअत्तिल करने का अधिकार न होने के कारण उन्हें मुअत्तिल नहीं किया जा सका और चेयरमैन के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी। मेरे मत में जो रिमूवल कर सकता है वह मोअत्तिल भी कर सकता है फिर भी इस विवाद को खत्म करने के लिये यह स्पष्ट कर दिया गया है कि इस विधेयक में सरकार को मुअत्तिल करने का भी अधिकार होगा। इसके बाद आजकल हमारी नगरपालिकाओं की क्या व्यवस्था है, वे किस दिशा में जा रही हैं? आज जब मैं समाचार-पत्र को पढ़ रहा था तो मालूम हुआ कि नगरपालिकाओं में कैसा ढीला ढाला शासन चल रहा है। वहां पर नियमों की कोई पाबन्दी नहीं होती, सैकड़ों रुपया गबन हो रहा है, नियंत्रण ठीक नहीं है, पक्षपात हो रहा है, किसी म्युनिसिपैलिटी का बजट अगर एक लाख का है तो वह खर्च डेढ़ लाख का कर रही है। यह रिपोर्ट इक्जामिनर इकनामी लोकल फंड एकाउन्ट की है। इस रिपोर्ट के पढ़ने के बाद और माननीय मंत्री जी के कल के भाषण सुनने के बाद हम यह कहते हैं कि यदि हमारी सरकार को सस्पेंड करने का पूरा अधिकार हो तो यह कोई खराब बात नहीं है। मैं तो इससे एक कदम और आगे जाने को तैयार हूं। सस्पेंशन तो एक हलकी चीज है। एक अधिकारी को जबकि आप एक जिम्मेदारी सौंपते हैं तो उससे आशा की जाती है कि जब तक वह उस पद पर रहे, वह ईमानदारी से और निष्पक्षता से काम करे लेकिन जब वह उसके विपरीत जाता है तो उसको सस्पेंड कर देना चाहिये। तो सस्पेंड करना एक पदाधिकारी के लिये कोई दंड नहीं होता है। अगर वह अपने नियमों

[श्री वीरेन्द्रपति यादव]

का उल्लंघन करता है, और अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करता है तो उसके लिये कोई दंड होना चाहिये। इस विधेयक में अगर आप इस क्लाज के साथ यह भी रख देंगे कि अगर जांच के बाद यह पाया जावेगा कि उस अधिकारी ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया या उससे अनुचित लाभ उठाया तो उसको भविष्य के निर्वाचन के लिये डिबार कर दिया जायगा और यह चीज उसके लिये कोई अनुचित नहीं होगी। जैसा कि हमारे एक मित्र ने कल कहा था कि सस्पेंशन इंगलैन्ड, स्पेन वगैरह में भी नहीं होता है। मैं उनसे कहता हूं कि आप दूर देशों की बातें तो जाने दीजिए, अपने घर ही में बम्बई म्युनिसिपल कारपोरेशन के अन्दर यह शर्त है कि अगर किसी कौंसिलर या मेयर के खिलाफ जांच का नतीजा जाता है तो उसको बाद में ५ साल के लिये डिबार कर दिया जाता है और वह निर्वाचन नहीं लड़ सकता है। तो यह सस्पेंशन करना मैं समझता हूं कि बहुत जरूरी चीज है। मैं तो मंत्री महोदय से आशा करूंगा कि निकट भविष्य में जब वे दूसरा विधेयक संशोधन के लिये लावें तो उसमें यह क्लाज जरूर रखना चाहिये। यह बात भी कही गयी कि सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा होने जा रहा है तो अविश्वास के प्रस्ताव के लिये कोई स्थान नहीं रहता। अगर अविश्वास के प्रस्ताव का क्लाज आप निकाल देते हैं तो मैं समझता हूं कि अभी तक जो डर चेयरमैन को रहता है, वह भी चला जायगा और वह मनमानी करने लगेगा। तो जहां तक सस्पेंशन और अविश्वास संबंधी क्लाजेज हैं वे बहुत ही आवश्यकीय हैं।

इस विधेयक पर बहस करते वक्त हमारे मित्र तिवारी जी का आधार खेर कमेटी की रिपोर्ट था। उनकी बहस के बाद यह मालूम पड़ा कि खेर कमेटी की रिपोर्ट में जो सिफारिशें हैं उनको बिल्कुल इगनोर कर दिया गया है। लेकिन मैं यह कहने को तैयार नहीं हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा ऐसे सज्जनों से पूछना चाहूंगा कि क्या खेर कमेटी की रिपोर्ट में यह सिफारिश नहीं की गयी थी कि वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव हो? क्या खेर कमेटी ने यह सिफारिश नहीं की थी कि चेयरमैन का चुनाव सीधे हो? क्या खेर कमेटी ने यह सिफारिश नहीं की थी कि कम्युनल रिप्रेजेंटेशन साम्प्रदायिक निर्वाचन दूर किये जावें? तो बहुत सी बातें जो खेर कमेटी की सिफारिशों में से हैं वे इस विधेयक में ले ली गयी हैं। सरकार के सामने जब किसी रिपोर्ट की सिफारिशें आती हैं तो सरकार को सोचना पड़ता है कि कौन सी सिफारिशें इसको मंजूर करनी चाहिये और कौन सी सिफारिशें बाद के लिये रखनी चाहिये।

इसके बाद हमारे माननीय मित्र ने यह भी कहा था कि खेर कमेटी ने सिफारिश की थी कि २० से १२५ तक नगरपालिका के सदस्य हों। जैसा कि हमारे एक मित्र श्री नवल किशोर जी ने बतलाया कि हमारे दूसरे प्रदेशों में भी ऐसे उदाहरण हैं जहां नगरपालिकाओं के सदस्यों की संख्या उस सीमा तक नहीं है जिस सीमा तक कि खेर कमेटी ने सिफारिश की थी। हमें पता है कि दूसरे देशों में भी, मसलन इंगलैन्ड को ही ले लीजिए। वहां पर कौंसिलर्स का आधार वही है जिसका खेर कमेटी की रिपोर्ट में वर्णन है।

नगरपालिकाओं में अधिक से अधिक संख्या होनी चाहिए मसलन् लन्डन की काउन्टी काउन्सिल में १२० संख्या होती है लेकिन इसके विपरीत यूनाइटेड स्टेट्स आफ अमेरिका में जो अधिक डेमोक्रेटिक कहा जाता है इंगलैन्ड की अपेक्षा वहां औसतन कौंसिल ७ की है। अतिरिक्त केवल बड़ी चुंगियों में जैसे कि शिकागो, न्यूयार्क और सेन्फ्रांसिस्को, वहां कुछ अधिक होती है। तो जैसी परिस्थिति होती है उसके अनुसार गवर्नमेंट काम किया करती है। उसके बाद हमारे मित्र ने यह भी टीका-टिप्पणी की कि बम्बई के काले कमेटी ने तो यह सिफारिश की थी कि उस सूबे के लिये मतदान अनिवार्य कर दिया जाय। हमें तो देखना यह चाहिए कि हमारे प्रदेश की स्थिति क्या है। अगर यहां पर मतदान अनिवार्य कर दिया जाता है उसका क्या नतीजा होगा। छोटे-छोटे देश जेकोस्लोवाकिया, हंगरी, बलगारिया आदि हैं जहां मतदान अनिवार्य हो गया है और एक पेनल सेक्शन भी बन गया है जिसके अनुसार दन्ड दिया जाता है लेकिन हमारे देश या प्रदेश में यह परिस्थिति नहीं है और जब तक हमारे

देश में या प्रदेश में अंधकार है और जनता अधिकारों को नहीं समझती, डेमोक्रेटिक मशीनरी को नहीं समझती तब तक हमारे देश या प्रदेश में मतदान को अनिवार्य करने का प्रश्न ही नहीं उठता और अगर यदि हम अनिवार्य कर दें तो उसका परिणाम यह होगा कि कम से कम ७० फी सदी आबादी मुकदमों की शिकार हो जायगी और जो अदालतें आज मुकदमा किया करती हैं उन्हें निर्वाचन सम्बन्धी मुकदमों को ही फैसल करने से फुरसत नहीं मिलेगी और अन्य प्रकार के मुकदमों के लिये उनको फुरसत मिलने का प्रश्न ही नहीं उठेगा।

इसके अलावा हमारे मित्र जी ने यह भी कहा था कि हमारे जो देहात हैं उनके अगर कोई सज्जन नगरपालिका के टैक्स देते हैं तो उन्हें मतदान का अवसर मिलना चाहिए। यह बात तो ठीक मालूम पड़ती है, लेकिन जब हमारी सरकार ने ऐडल्ट फ्रेंचाइज को वोटिंग का आधार मान लिया है और असेम्बली के चुनाव की जो सूची है वही नगरपालिका के चुनाव की सूची होगी तो ऐसी स्थिति में यह संभव नहीं है कि उनको अधिकार दिये जायं कि वे नगरपालिका में वोट दे सकें। आजकल, जो कानून या विधान चल रहा है, उसके अनुसार आप कितनी ही जगह रहते हों, लेकिन देश भर में आपका नाम एक ही जगह पर दर्ज होगा। इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा था कि डायरेक्टर आफ एलेक्शन्स जो होंगे वह स्वतन्त्रतापूर्वक काम नहीं कर सकेगा। उन्होंने यह विचार रखा कि अच्छा होता कि अगर डायरेक्टर की नियुक्ति एलेक्शन कमीशन से होती। मैं यह कह देना चाहता हूं कि हमारी चुंगी का जो निर्वाचन है उसका उत्तरदायित्व हमारी प्रदेशीय सरकार के ऊपर है और न केन्द्रीय सरकार के ऊपर। एलेक्शन कमीशन की नियुक्ति सेन्ट्रल गवर्नमेंट से हुई। उसके लिये पीपुल्स रिप्रेजेन्टेशन ऐक्ट बना हुआ है और उसके आधार पर लोक धारा सभाओं के चुनाव होते हैं। यह किसी तरह संभव नहीं हो सकता था कि डायरेक्टर की नियुक्ति का अधिकार प्रदेशीय सरकार सेन्ट्रल गवर्नमेंट को दे दे। तो वास्तव में खेर कमेटी की सिफारिशें बहुत हैं और कुछ हद तक वे कार्यरूप में परिणत होने जा रही हैं, लेकिन कुछ सिफारिशें ऐसी भी हैं जो इस समय कार्यरूप में परिणत नहीं की जा सकतीं। उदाहरण के रूप में खेर कमेटी ने यह भी सिफारिश की थी कि नगरपालिकाओं और जिला बोर्डों को चाहिये कि पुलिस पृथक रखें और उसने यह भी सिफारिश की कि नगरपालिकायें अपनी अदालतें क्रिमिनल और सिविल कोर्ट्स, अलहदा रखें लेकिन परिस्थिति और विधान सम्बन्धी अड़चनों को देखते हुए यह सम्भव नहीं मालूम पड़ा कि इन सिफारिशों को हाल फिलहाल कार्यरूप में परिणत किया जा सके। हो सकता है कि वह कार्य रूप में परिणत हों, लेकिन बहुत सी वैधानिक आपत्तियां आयेंगी जिनके ऊपर विचार करना पड़ेगा।

तो यह जो विधेयक हमारे सामने लाया गया है उसका मैं समर्थन करता हूं और जो हमारे मित्र तिवारी जी ने प्रस्ताव रखा है, संशोधन के रूप में कि इसको प्रवर समिति के सामने भेजा जाय, मैं उसका विरोध करता हूं।

श्री ऐजाज रसूल (जिला हरदोई)—जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मैं, जो बिल पेश हुआ है, उसकी ताईद करने के लिये खड़ा हुआ हूं। हुजूरवाला, मैं यह कहना चाहता हूं कि एलेक्शन्स को हुए काफी अरसा हुआ अब एलेक्शन होने चाहिए। उसके लिये गवर्नमेंट, जो बिल लायी है, उसको जल्द से जल्द पास कर देना चाहिए और सेलेक्ट कमेटी में जाने में वक्त लगेगा।

एलेक्शंस के अलावा इसमें दूसरे मसले भी आये हैं। मसलन् चेयरमैन का सस्पेन्शन। मैं यह समझता था कि अब डेमोक्रेसी का जमाना है जबकि रिस्ट्रेक्टिव फ्रेंचाइज था उस वक्त सस्पेन्शन आफ चेयरमैन नहीं था। अब जब कि जनरल एलेक्टोरेट चुनेगी तो उसको सस्पेन्ड करने का प्राविजन रखा जा रहा है। इस पर मिनिस्टिर साहब गौर करें। क्योंकि मैं यह समझता हूं कि वह चेयरमैन की इज्जत के खिलाफ है। एक तरफ तो पब्लिक और जनता उसकी इतनी इज्जत करती है और दूसरी तरफ आप उसको सस्पेन्ड करते हैं। मैं यह समझ सकता था कि इम्पीचमेंट आफ दि प्रेसीडेन्ट आफ रिपब्लिक भी है तो चेयरमैन के लिये कोई ऐसी चीज क्यों न रखी जाय। लेकिन इसके रिमूवल आफ चेयरमैन का प्राविजन

[श्री एजाज रसूल]

है। अगर चेयरमैन कोई गलती करता है तो आप उसको निकाल सकते हैं। लेकिन यह कहना कि चेयरमैन जो कि जनता से चुना जाय उसको आप चन्द लोगों की शिकायतों पर सस्पेन्ड कर देंगे। मेरे ख्याल में इस पर मिनिस्टर साहब गौर फरमायेंगे। दूसरी बात मैं तवज्जह दिलाना चाहता हूं कि हाल में हमारे मिनिस्टर साहब ने एक जी० ओ० निकाला है एजूकेशन के ऊपर जिसमें यह कहा गया कि म्युनिसिपल बोर्ड्स सेकेन्डरी एजूकेशन के ऊपर रुपया न खर्च करें। मैं यह तवज्जह दिलाना चाहता हूं कि यह बोर्ड्स का डिस्क्रिशनरी फंक्शन है। सेक्शन (३) डी) है। उस सेक्शन के मातहत खर्च करते हैं। तो जी० ओ० एक ऐक्ट के मुकाबिले में लागू नहीं हो सकता और मैं समझता हूं गवर्नमेंट उसकी तरफ खास तौर से तवज्जह करेगी और यह भी मैं कहना चाहता हूं कि एकदम से तमाम स्कूलों को यह हुक्म दे देना कि अब तुम्हें मदद नहीं मिलेगी। इससे बहुत से स्कूल खत्म हो जायेंगे। यह कहा जा सकता है कि बोर्ड का प्राइमरी एजूकेशन की जिम्मेदारी है, लेकिन जहां छोटे छोटे कस्बों में बोर्ड सेकेन्डरी स्कूलों को कुछ मदद देती है और अगर उनको मदद बन्द कर दी जाय तो वे खत्म हो जायेंगे।

स्वशासन मन्त्री (श्री मोहन लाल गौतम)--यह किस क्लाज से ताल्लुक रखता है ?

श्री एजाज रसूल--मैंने जनरल कह दिया। ज्यादातर कहा जाता है कि बोर्ड्स की माली हालत खराब है। वह तो पे-कमेटी की रिपोर्ट की वजह से हो गयी। गवर्नमेंट ने जब पे-कमेटी की रिपोर्ट इन्फोर्स की थी तो उसको देखना चाहिए था कि बोर्ड की माली हालत भी अच्छी रहे और कोई न कोई सूरत उस वक्त गवर्नमेंट को लानी चाहिए थी। अब वही खेर कमेटी का जिक्र आता है। इत्तिफाक से मैं भी उसका मेम्बर था और हम लोगों ने भी उस पर गौर किया। उसमें बहुत से एवेन्यूज आफ टैक्सेशन म्युनिसिपल बोर्ड के रखे गये। थे अगर आनरेबिल मिनिस्टर साहब उस पर तवज्जह करें और जो आइन्दा अमेन्डिंग बिल लायें तो इस पर गौर करें। फर्ज कीजिए कि मैं यह कहता हूं कि अस्यूजमेंट टैक्स है, इन्टरटेनमेंट टैक्स है, शहर के बाशिन्दे उससे फायदा उठाते हैं, म्युनिसिपल बोर्ड को उसका हिस्सा मिलना चाहिए। लेकिन सूबे की गवर्नमेंट तमाम पैसा ले लेती है। म्युनिसिपैलिटीज को एक पैसा भी उसका नहीं देती है। तो जितने एवेन्यूज आफ टैक्सेशन्स हैं तकरीबन या तो सेन्ट्रल गवर्नमेंट के हैं या प्राविंशियल गवर्नमेंट के हैं। नतीजा यह कि लोकल बाडीज के फाइनेन्सेज लिमिटेड हो गये हैं और उनके ऊपर फंक्शन इतने ज्यादा हो गये हैं कि गोकि शहर की पब्लिक अमेनिटीज चाहती है, लेकिन वह कुछ करने से कासिर है। मेरे ख्याल में एक कमेटी गवर्नमेंट ने बनाई थी। वह यह थी कि ग्रान्ट्स इन एड कमेटी और उसके सदर श्री हरगोविंद सिंह थे जो उस वक्त पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी थे और अब हमारे एजूकेशन मिनिस्टर हैं। उस पर गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई, मालूम नहीं उसका क्या नतीजा हुआ। उसकी रिपोर्ट नहीं आई।

श्री मोहनलाल गौतम--डेढ़ महीने के करीब हुआ कि आ गयी।

श्री एजाज रसूल--खैर, अच्छा है कि आ गयी। मुझे उम्मीद है कि गवर्नमेंट उस पर तवज्जह करेगी और जल्द करेगी।

अब यह कहा कि हमारे बाज दोस्तों ने यह कहा कि साहब यह सेलेक्ट कमेटी में चला जाय, तो यह तो महज एलेक्शंस के लिये बिल जा रहा है और वहां पर जाने से देरी होगी। हमारे मिनिस्टर साहब ने ऐवान में यह वादा किया और कहा कि वह कारपोरेशन बिल ला रहे हैं और उसी की लाइन में म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट तरमीम करेंगे। लिहाजा अब इसके ऊपर ज्यादा जोर देना मुनासिब नहीं। जिस किस्म का बिल है उसको पास कर देना चाहिए। जितनी चीजें मैंने अर्ज की हैं मुझे उम्मीद है कि आनरेबिल मिनिस्टर साहब उस पर गौर करेंगे और तवज्जह करेंगे। सब से बड़ी जरूरत तो लोकल सैल्फ गवर्नमेंट की है। जब तक वह नहीं बनता है तब तक म्यूनिसिपल ऐक्ट बिलकुल बेकार है, लोकल बाडीज बिलकुल बेकार हो जाती है। जिस बिल का वह वादा कर चुके हैं जिस वक्त

वह बने तो जो वहां की सर्विसेज हैं जैसे एक्जिक्यूटिव आफिसर्स की या सेक्रेटरीज की, या दूसरे लोगों की उनको प्राविंशियलाइज किया जाय, क्योंकि वहां म्युनिसिपैलिटीज और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स में पार्टी पालिटिक्स रहती है और एक्जिक्यूटिव आफिसर्स को मुख्तलिफ मेम्बर्स को खुश करना पड़ता है और खुश रखने की वजह से उसको हर वक्त अपनी पार्टी बनानी पड़ती है और बहुत कुछ करना पड़ता है। तो नतीजा यह कि अगर उनकी सर्विसेज हैं अगर आप उनको प्राविंशियलाइज नहीं करते हैं तो जो गड़बड़ी म्युनिसिपैलिटियों में हैं वह कायम रहेगी। चाहे जितनी तकलीफ आप करें, लेकिन यह सब चीजें चेंज नहीं हो सकती हैं।

अब इसके अलावा तिवारी जी ने यह कहा कि एलेक्शन की बाबत कि बोर्ड्स जो हैं वहां जाहिल लोग ऐसे हैं कि वोट जबानी होता है, बैलेट से होना चाहिए। लेकिन मैं तो कहता हूं कि वहां तो एजेन्ट्स मौजूद रहते हैं और एजेन्ट्स होने की वजह से जिसका नाम वोटर पुकारेगा उसका नाम वह लिख देगा वह तो और आसान हो जाता है क्योंकि यदि आप देखिए तो एलेक्शन में बहुत से वोट्स जैसे पड़ने चाहिए थे वैसे नहीं पड़े। गलत बाक्सेज में पड़े। लोगों को मालूम नहीं था, एक्सपीरियन्स नहीं था। यह जो वोट पड़ेंगे सब जनता के सामने पड़ेंगे और यह पोलिंग आफिसर जो होगा उसके सामने पड़ेंगे। इसलिये इसमें कोई तब्दीली की मेरे ख्याल में कोई खास जरूरत नहीं है। मैं इन शब्दों के साथ इस बिल को सपोर्ट करता हूं और मुझे उम्मीद है कि भवन यह बिल जल्द से जल्द पास करेगा।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके पहले कि मैं कुछ इसके समर्थन में कहूं कि जो माननीय नारायण दत्त तिवारी ने संशोधन रखा है कि यह बिल सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाय। मैं इस सदन के माननीय सदस्यों को यह बता देना आवश्यक समझता हूं कि मैं ऐसी जगह से आया हूं जहां पर कोई म्युनिसिपैलिटी नहीं है। जहां तक म्युनिसिपैलिटी का सम्बन्ध है कैसे किस तरह म्युनिसिपैलिटीज चल रही है मैंने एक आब्जर्वर के रूप में उसे देखा है और देख रहा हूं। जहां तक इस म्युनिसिपैलिटीज अमेंडमेंट ऐक्ट का ताल्लुक है। मैं यह समझता था कि वह सिर्फ चुनाव के सिलसिले के लिये ही इस सदन के सामने लाया जा रहा है। लेकिन चुनाव के अलावा भी बहुत सी चीजों का फायदा उठाया गया और यह कहा गया कि इस मौके से फायदा उठाकर हमने कुछ नयी चीजें इसमें रख दी हैं। मैं सबसे पहिले चुनाव की ही बात उठाऊंगा क्योंकि हम सब लोगों को चुनाव का बहुत बड़ा तजुर्बा है। हम लोग जो हाल ही में चुनकर के इस सदन में आये हैं चुनाव में क्या क्या परेशानियां हुईं उसका पूरा पूरा फायदा इस नये चुनाव के लिये हम उठा सकते हैं। सबसे जरूरी चीज, जिसका हम फायदा उठा सकते थे, वह थी यह कि जो बैलेट बाक्सेज, जिसमें वोट पड़ते हैं, वे बजाय चार पांच रोज के लिये कहीं ट्रेजरी या कहीं प्रोजाइडिंग आफिसर्स के घर में रहे, अगर वोट्स जिस वक्त पड़ते हैं उसके बाद ही, जबकि पोलिंग खत्म होती है, वहीं पर गिन लिये जायं तो जो गड़बड़ी होने का अन्देशा है वह न होगी, लेकिन उसकी कोई, कोशिश नहीं की गयी।

जहां तक वोटिंग का सवाल है जैसा कि माननीय नारायण दत्त तिवारी जी ने कहा कि सिम्बल के जरिये होनी चाहिए, उसकी भी कोई चर्चा नहीं है और एक डायरेक्टर आफ एलेक्शंस की बात भी इसमें कही गई है। मुझे तो शक है इस बात का जैसा कि माननीय स्वशासन मन्त्री जी ने कहा कि वह इंडिपेंडेंट अथारिटी होगी, डायरेक्टर आफ एलेक्शंस के नाम से उसे पुकारा जायगा। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि जिस तरह से जो हमारी एक्जिक्यूटिव हमारी हुकुमत इस तरह से एलेक्शंस आफिसर्स के ऊपर दबाव देती है और दिया जब हमारे इस विधान सभा का चुनाव हो रहा था, हिन्दोस्तान की पार्लियामेंट के लिये मेम्बर्स छांटे जा रहे थे हमारे इस प्रान्त से भी एक चीफ एलेक्टोरल आफिसर रखे गये थे जो कि हमारे इस प्रान्त के बड़े भारी जुडिशियल आफिसर्स हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे इस सदन के सभी सदस्यों को मालूम होगा कि मेरे चुनाव में ही हिन्दुस्तान के चुनाव में शायद हो या न हो जिस तरह का नतीजा मेरा हुआ और जिस तरह से चुनाव में मेरे साथ बर्ताव हुआ वह शायद कहीं न हुआ होगा। वह यह था कि मेरा एलेक्शन डिक्लेयर हो गया।

[श्री मदन मोहन उपाध्याय]

में छांट दिया गया, लेकिन उसके बाद गजट हो गया, रेडियो से ब्राडकास्ट हो गया, सब चीज हो गयी, लेकिन फिर लखनऊ से, यहां से एक हिदायत भेजी जाती है कि फिर से इनके बाक्सेज खोलकर इनकी गिनती हो ।

श्री उपाध्यक्ष--माननीय सदस्य म्युनिसिपैलिटीज से सम्बन्धित विषय पर ही सीमित रहें ।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस मामले में ....

श्री ऐजाज रसूल--आपके खिलाफ एलेक्शन पेटीशन भी है ।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--इसीलिये मैं उस बात को नहीं ला रहा हूं । मैं यह कह रहा हूं कि किस तरह से हमारे इतने बड़े आफिसर्स को इंफ्लूएन्स किया जा सकता है ।

श्री उपाध्यक्ष--मैं माननीय सदस्य से फिर कहूंगा कि माननीय सदस्य इस विषय पर न कहें क्योंकि वह एलेक्शन ट्रिब्यूनल के सामने गया हुआ है ।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो आपने कहा शिरोधार्य है । मैं यह कह रहा था कि किस तरह से दखल दिया जाता है और इसलिये हमें अन्देशा है कि जब म्युनिसिपैलिटी का चुनाव होगा उस वक्त जो हमारे डायरेक्टर आफ एलेक्शन बनाये जायेंगे उनके ऊपर किसी किस्म का दबाव पार्टी इन पावर का न होगा । यह नामुमकिन सी बात है । हम चाहते यह थे कि चुनाव के लिये गवर्नमेंट एक पैनेल बना ले, आफिसर्स की एक लिस्ट बना ले जिस तरह से आज हमारे प्रान्त के एलेक्शन ट्रिब्यूनल बने हैं उनमें जो एक आध मेम्बर रखे जाते हैं उनकी लिस्ट हाई कोर्ट से मांगी जाती है । हाई कोर्ट के जो पुराने एडवोकेट्स हैं उनकी लिस्ट है और वह लिस्ट एलेक्शन कमीशन के पास है और उस लिस्ट से एलेक्शन ट्रिब्यूनल के मेम्बरों को नियुक्त किया जाता है । इसी तरह से हम आशा करते हैं कि म्युनिसिपैलिटी चुनाव के सम्बन्ध में जिन आफिसर्स को रखा जायगा उनके ऊपर प्रान्तीय सरकार का कोई अंकुश नहीं रहेगा । भले काम के लिये अंकुश हो तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन इस सिलसिले में जो मैं आज कह रहा हूं थोड़े दिनों में जब चुनाव होगा म्युनिसिपैलिटीज का तब सब मालूम होगा कि मैं क्या कह रहा था । माननीय मन्त्री जी तो शायद चुनाव के दिनों में सभी म्युनिसिपैलिटियों का दौरा भी करें और वहां अगर खुल्लम खुल्ला तौर पर वे अगर नहीं कह सकेंगे तो उनके साथी लोग यह अवश्य कहेंगे कि देखो यह हमने कानूनी अधिकार ले रखा है कि हम म्युनिसिपैलिटियों को सुपरसीड करवा देंगे अगर हमारा आदमी चेयरमैन नहीं छांटा गया । और अगर हमारा आदमी मेंबर नहीं छांटा गया तो हम मेम्बरों को निकलवा देंगे, बोर्ड्स को सुपरसीड करवा देंगे । इस तरह की बातें चुनाव में अवश्य आयेंगी । मैं इसीलिये इन बातों को कह दे रहा हूं कि कहीं म्युनिसिपैलिटीज के चुनाव में पार्टी इन पावर अपने अधिकार का नाजायज इस्तेमाल न करे । लेकिन फिर भी हम यह चाहते थे कि जो लोग भी एलेक्शन पिटीशन करें उन्हें इस बात का अधिकार रहे कि उनके फैसले निष्पक्षरूप से होंगे । यह भी प्रश्न है कि एलेक्शन पेटीशन कौन सुनेगा ।

अगर आज हमारे प्रान्त में जुडीशियरी न हो तो मैं समझता हूं कि कोई भी काम इस हुकूमत का ठीक तरह से न चले । आज जुडीशियरी इम्पार्शल होने की वजह से हम कभी कभी आशा कर लेते हैं कि कुछ इन्साफ इस प्रान्त के अन्दर होगा, लेकिन आज हम इस अमेंडिंग बिल को ला करके यह अधिकार लिया जा रहा है कि सरकार बोर्ड को सुपरसीड कर सकती है । यह भी कहा गया है कि प्रान्त के अन्दर बहुत सी म्युनिसिपैलिटियां गड़बड़ कर रही हैं, चेयरमैन रुपया खा जाते हैं, लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहूंगा माननीय मन्त्री महोदय जी से कि कितनी ऐसी म्युनिसिपैलिटियां हैं जिनको उन्होंने सुपरसीड किया है । बहुत थोड़ी सी ऐसी म्युनिसिपैलिटियां हैं जिनको सुपरसीड किया गया है क्योंकि सारा म्युनिसिपैलिटीज के अन्दर कांग्रेस का बहुमत था, उन्हीं के लोग कहीं प्रेसीडेन्ट थे, कहीं कुछ थे, इसलिये उनका निकालना एक बड़ी दिक्कत की बात थी । उनके निकालने से पार्टी बिगड़ जाती ।

जहां पार्टीबाजियां हुआ करती हैं वहां इन चीजों की तरफ लोग निष्पक्ष हो करके विचार नहीं कर सकते हैं। मैं अवश्य चाहता हूं कि जहां कहीं गड़बड़ हो वहां सुपरसीड किया जाय, बोर्ड की प्रेसीडेन्ट को हटाया जाय और इस सम्बन्ध में मैं सरकार का साथ देने के लिये तैयार हूं। लखनऊ की म्युनिसिपैलिटी को आप लीजिए। लखनऊ की म्युनिसिपैलिटी पहिले यहां के मेम्बरान के हाथ में थी। उसकी हालत क्या थी, बहुत से मेम्बरान ने देखा होगा आज म्युनिसिपैलिटी की हालत क्या है, इसे भी वे जानते हैं। हम तो म्युनिसिपैलिटी को जांचते हैं उसके कामों से, उसकी सड़कों की हालत से, उसके अस्पतालों से, उसके बच्चों के स्कूलों से। आज लखनऊ की म्युनिसिपलिटी ने ऐडमिनिस्ट्रेटर के अन्डर में जो भी काम किया है बहुत अच्छा काम किया है। जहां हम इधर यह देखते हैं वहां जब मैं मन्सूरी जाता हूं तो वहां की क्या हालत हम देखते हैं। मन्सूरी में भी म्युनिसिपैलिटी सुपरसीडेड है। वहां की हालत खराब है वहां के लोग चिल्लाते हैं, इलेक्शन के लिये, लेकिन एलेक्शन नहीं होते हैं। बहुत दिन हो गया।

मन्सूरी ही एक ऐसी म्युनिसिपैलिटी है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि आज आप अगर वहां यूरिनल जाना चाहें तो एक आना पहले पड़ जायगा। दरवाजा नहीं खुलेगा जब तक कि इकन्नी नहीं डालिये। कभी हमारे मन्त्री जी ने इसकी तरफ ध्यान दिया ? वहां ऐड-मिनिस्ट्रेटर का रिजीम चल रहा है। वहां स्ट्राइक्स हो रहे हैं, वहां के तमाम एम्प्लाइज ने स्ट्राइक का नोटिस दिया है, वहां पर बिजली के काम करने वालों ने स्ट्राइक का नोटिस दिया है, क्योंकि वहां बिजली का इन्तजाम भी वहां की म्युनिसिपैलिटी करती है। लेकिन वहां पर माननीय मन्त्री जी ने चुनाव करने की नहीं सोची। तो जहां पर हम यह अधिकार चाहते हैं, मैं तो कहता हूं कि यू० पी० की सारी म्युनिसिपैलिटीज को सुपरसीड कर दीजिए, अगर म्यु-निसिपैलिटीज की हालत को ठीक करना है और सारी म्युनिसिपैलिटीज में ऐसे आफिसर्स रखे जायं जैसे लखनऊ में रखे गये हैं जिन्होंने लखनऊ के ढांचे को बदल दिया है। अगर आप ऐसा करें तो मैं समझता हूं कि कोई पार्टी ऐसी नहीं होगी जो कि गवर्नमेंट का इसमें साथ न दे। लेकिन म्युनिसिपैलिटीज के चुनाव को हम लोग पार्टी पालिटिक्स में डालें, मैं समझता हूं यह उचित न होगा। म्युनिसिपैलिटी में तो ऐसे लोगों को जाना चाहिए जो जनता की सेवा कर सकें चाहें वे किसी भी पार्टी के क्यों न हों। अफसोस इस बात का है कि इस बिल में जब मैंने पढ़ा तो सबसे पहिले डिस्क्वालिफिकेशन किसकी होगी, उसमें कहा गया है कि एक वकील डिस्क्वालिफाई होगा। सबसे पहिली मुसीबत वकील पर पड़ी।

श्री ऐजाज रसूल--गवर्नमेंट प्लीडर कहा गया है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--नहीं, गवर्नमेंट प्लीडर नहीं है। मैं पढ़कर सुनाता हूं--

"A person, not withstanding that he is otherwise qualified, shall be disqualified for being chosen as, and for being, a member of a Board if he is debarred from practising as a legal practitioner by order or any competent authority."

बाद में प्रोवाइजो भी लगा हुआ है--

"Provided that in case of (a) and (b) the disqualification may be removed by an order of the State Government in this behalf."

ऐसा भी उसमें बाद को है। वैसे मुझे विश्वास है कि जितने वकील लोग इससे डिबार होंगे वे गवर्नमेंट की इजाजत से सब छूट जायेंगे, लेकिन पहिले तो ऐसा है। उसके बाद इसमें एक प्राविजन और लिखा है कि जो लोग पढ़े-लिखे नहीं हैं वे भी मेम्बर नहीं हो सकते। अगर म्युनिसिपैलिटीज के अन्दर ऐसा कानून बना दिया होता कि वहां पर प्राइमरी एजूकेशन अनिवार्य हो तो यह कहना ठीक होता कि जो कोई मेम्बरी के लिये वहां खड़ा हो वह अगर पढ़ा-लिखा नहीं है तो वह मेम्बर नहीं बन सकता है। जहां पर यह प्रारम्भिक शिक्षा अनिवार्य नहीं की जाती है वहां के पढ़े-लिखे लोगों को मेम्बर बनने से वंचित रखना कहां तक न्यायसंगत होगा।

[श्री मदन मोहन उपाध्याय]

मेरी समझ में नहीं आया। हमने देखा कि हमारे अछूत भाइयों के लिये तो रिप्रेजेंटेशन है, पर हमारी बहिनों के लिये और हमारी माताओं के लिये म्युनिसिपैलिटीज में कहीं पर कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। वह कहेंगे कि .....

श्री मोहनलाल गौतम--क्या आपका यह सजेशन है कि यह डिसक्वालिफिकेशन नहीं रहनी चाहिये?

श्री मदनमोहन उपाध्याय--जी हां, नहीं रहनी चाहिये। जहां तक हमारी माताओं और बहिनों का सवाल है हमारी म्युनिसिपैलिटीज के अंदर डिप्रेस्ड क्लास के लोगों के लिये सीट्स रिजर्व कीं लेकिन औरतों के लिये कुछ नहीं किया है। आज यह हवा है कि औरतें संगठित हों, स्त्रियां उठें और जहां बहुत से लोग इस काम में जुटे हुए हैं वहां हमारी म्युनिसिपैलिटीज इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। लोग कहेंगे और हमारे मंत्री जी भी कहेंगे कि डिप्रेस्ड क्लास के लिये कांस्टीट्यूशन में भी लिखा है कि उनको स्पेशल रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिये। इसलिये हमने उनको रिप्रेजेंटेशन दिया है, लेकिन हमारी औरतों को क्या जरूरत है। संविधान के आर्टिकिल १५ में लिखा हुआ है कि--

"The State shall not discriminate against any citizen on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them."

[राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान अथवा इनमें से किसी आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा।]

वह इसको कोट करेंगे। इसके पहिले मैं इसको कोट कर देता हूं और इसी के सब सेक्शन ३ की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करूंगा।

"Nothing in this article prevent the State from making any special provision for women and children."

[इस अनुच्छेद की किसी बात से राज्य को स्त्रियों और बालकों के लिये कोई विशेष उपबन्ध बनाने में बाध्य न होंगी।]

आपके कांस्टीट्यूशन में भी यह प्रावीजन है कि जहां पर उनको प्रापर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है जैसे कि धारा सभा में हम लोग ४३१ मेम्बर्स और हमारी मातायें और बहिनें मुश्किल से ८-१० हैं। इस तरह से अगर आप चाहते हैं कि हमारी माताओं और बहिनों को रिप्रेजेंटेशन म्युनिसिपैलिटीज में मिले तो कोई भी कानूनी अड़चन हमारे सामने नहीं है। इसके अनुसार आप उनको स्पेशल रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा तो पक्का विश्वास है कि हमारी जो प्राइमरी एजूकेशन है इसको अगर हमारी बहिनों को सौंप दिया जाय तो मैं समझता हूं कि बहुत अच्छा हो सकता है। मेरा सौभाग्य हुआ जब कि मैं अपनी कांस्टीटुएंसी में गया तो मुझे ऐसे छोटे छोटे स्कूल देखने को मिले कि जहां जहां लड़कियों के स्कूल मिले और जहां जहां लड़कियां अध्यापिका थीं तो वहां की लड़कियां हो सकती हैं कि इसलिये एक एम० एल० ए० आ रहा है, साफ कपड़े पहने हुए थीं और उनके बहुत से स्कूल सुन्दर और साफ थे। लेकिन जितने लड़कों के स्कूलों में मैं गया तो वहां के लड़कों का कहना ही क्या जब कि वहां के टीचर्स ही बहुत गंदे थे तो लड़के कैसे साफ हो सकते थे। उनको यानी टीचर्स को ३-४ महीने से तनख्वाह नहीं मिली थी। उनका कहना यह था कि हमें तनख्वाह तक नहीं मिली है हम साबुन कहां से लायें। जहां तक हमारी प्राइमरी एजूकेशन का सवाल है, अस्पतलों का सवाल है, हमें इधर ध्यान देना चाहिये। कल मैंने एक लेख पढ़ा था कि वहां पर बच्चे ही रेलगाड़ी का इंतजाम करते हैं। वही गार्ड होते हैं और वही टिकट काटते हैं तो इनकी तरह से अगर हमारी बहिनों को सिखाया जाय तो .....

श्री मोहनलाल गौतम--सिर्फ किताबों में।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--हां, हो सकता है, क्योंकि मैं तो कभी यूरोप गया नहीं। माननीय मंत्री जी ज्यादा जान सकते हैं। लेकिन हम समझ सकते हैं कि अगर इस तरह से कार्य औरतों को सौंपा जाय तो मैं समझ सकता हूं कि हमारी म्युनिसिपैलिटीज का काम बहुत अच्छा हो सकता है। अगर हमारी मातायें और बहिनें ज्यादा तादाद में खड़ी हो जायं और लोग यह समझें और ख्याल करें कि म्युनिसिपैलिटीज का छोटा सा मामला है। आज ऐडमिनिस्ट्रेशन में आप देखें कि जहां जहां हमारी बहिनें और मातायें हैं वहां का ऐडमिनिस्ट्रेशन काफी अच्छा है। मर्द तो सब जगह चले जाते हैं। यह हो सकता है कि लोग उनके पास शिकायतें कम ले जाते हों लेकिन फिर भी यह तजुंबा हमारे ऐडमिनिस्ट्रेशन का होगा कि जहां जहां हमारी बहिनें एम० एल० एज० हैं वहां वह जाकर ऐडमिनिस्ट्रेशन में दखल देती हैं। इसलिये म्युनिसिपैलिटीज को अगर हम सचमुच इंप्रूव करना चाहते हैं, यह नहीं कि सारी बहिनें ही इलेक्ट की जायं, बहुत सी जनरल सीट्स से खड़ी होंगी लेकिन जिस तरह से डिप्रेस्ड क्लास को स्पेशल रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। मैं समझता हूं कि अगर म्युनिसिपैलिटियां तरक्की करना चाहती हैं तो हमारी बहिनों को उसमें स्पेशल रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिये तब वह उठ सकेंगी। केवल अखबारों में छपा देने से, या लेक्चर देने से हमारा स्त्री समाज नहीं उठ सकता। अगर आप हिन्दुस्तान के नक्शे को बदलना चाहते हैं तो आपको उनसे सहायता लेनी पड़ेगी। मैंने देखा कि जहां स्त्रियां चली जाती हैं वहां काम खूब होता है। मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा और कांस्टीट्यूशन की बात इसीलिये मैंने उसके सामने रख दी और मैं समझता हूं कि हमारी बहिनों को भी इसमें रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं आवट्राय की बात लेता हूं। मैं समझता हूं कि बहुत से माननीय सदस्यों को मौका हुआ होगा म्युनिसिपैलिटीज से गुजरते वक्त दिल्ली से जब आप देहरादून रवाना हों और मोटर से अगर तीन घंटे का रास्ता हो तो काफी वक्त आवट्राय पर लग जाता है। १५ मिनट इस तरफ और १५ मिनट उस तरफ। सबसे पहले सहादरे पर दरवाजा बन्द हो जाता है, वहां दरवाजा खुलता है और फिर आगे आप बढ़ते हैं तो गाजियाबाद में दरवाजा बन्द हो जाता है। १५ मिनट इधर और १५ मिनट उधर लगते हैं। उसके बाद मेरठ आया। वहां भी इसी तरह से इधर-उधर १५ मिनट लगे। मेरठ के आगे मुजफ्फरनगर पहुंचे और फिर रुड़की तो दोनों तरफ १५, १५ मिनट वहां भी लगते हैं। देहरादून पहुंचे तो वहां भी यही हाल। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया है लेकिन आज तक कुछ नहीं किया गया और इस अमेंडिंग बिल के जरिये से कोई सुधार नहीं किया गया। कितनी लोगों को परेशानी है अगर माननीय मंत्री जी उस इलाके के लोगों से जाकर पूछें तो उनको मालूम होगा कि आवट्राय से लोगों को कितनी परेशानी होती है। मैं समझता हूं कि इसके मुताल्लिक कोई चीज आनी चाहिये थी जिससे दिक्कत हट जाती लेकिन माननीय मंत्री जी ने इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। मुझे उम्मीद है कि आगे इस प्रश्न पर भी जरूर वह ध्यान देंगे।

अब रहा हमारे बोर्ड्स के सुपरसीड का सवाल। मैं पहले ही कह चुका हूं और मैं इसमें हुकूमत के साथ हूं और मैं यह चाहता हूं कि बोर्ड का काम इन इलेक्टेड बाडीज के जरिये न हो सके तो उनको सुपरसीड किया जाय और वहां के अधिकार को अपने हाथ में लिया जाय उस इलाके की भलाई के लिहाज से, लेकिन अगर यह समझा जाय कि कहीं पर जैसा भगवान सहाय जी ने सिकन्दराराउ की बात कही, उस नियत से सुपरसीड न किया जाय। अगर इस नीयत से म्युनिसिपैलिटीज को सुपरसीड किया जाय तो यह बात गलत है। इसमें तो पार्टी पालिटिक्स नहीं होनी चाहिये। अगर सड़क अच्छी होंगी तो वह सब के काम में आयेंगी। अगर अस्पतालों की दशा अच्छी होगी तो सबको उससे फायदा होगा। अगर स्कूलों की हालत अच्छी होगी तो सब के बच्चे उसमें पढ़ेंगे। इसलिये मैं समझता हूं कि जहां तक बोर्ड का सुपरसीड करने का सवाल है इसमें किसी पार्टी का सवाल नहीं होना चाहिये। अगर कहीं पर सारे कांग्रेसी मेम्बर ही आ जायं तो वहां पर सुपरसीड करने का सवाल पैदा नहीं होता है। हमारे मंत्री महोदय वहां के बारे में तो सोच ही नहीं सकते हैं।

[श्री मदनमोहन उपाध्याय]

लकिन अगर बदकिस्मती से सोशलिस्ट या और किसी पार्टी के लोग आ गये तो वहां पर जल्दी ही सुपरसीड का सवाल पैदा होता है। इसलिये जब यह नीयत हो जाती है तो उसमें पार्टी पालिटिक्स का सवाल आ जाता है तब यह अच्छा नहीं मालूम होता है।

इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि आप न्याय से काम लें। एक मिसाल मैं आपके सामने कोटद्वारा की रखना चाहता हूं। वहां पर नोटीफाइड एरिया का इलेक्शन हुआ। उसमें कांग्रेस के लोग सब हार गये। वह यहां पर भागे आये कि साहब गजब हो गया और सब लोग वहां हार गये और गड़बड़ हो गयी। हमारे मंत्री महोदय ने सब ठीक कर दिया और उसको सुपरसीड कर लिया। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या कोटद्वारा के नोटिफाइड एरिया को इसलिये नहीं सुपरसीड किया गया कि वहां पर कांग्रेस वाला कोई भी नहीं आया था। अगर इस डिस्क्रीशन को इस्तेमाल किया जाय तो वह शहर के लिये ही किया जाय तो बहुत अच्छा होगा। अंग्रेजी हुकूमत के जमाने में अच्छी लोकल बाडीज का शासन चलता था। लखनऊ का भी पहले अच्छा इंतजाम था इधर बीच में कुछ खराब हो गया था लेकिन जैसा ध्यान उन्होंने लखनऊ की तरफ किया है उस तरह से दूसरी जगह भी ध्यान किया जाय। मंसूरी की हालत खराब है वहां सुपरसीड करने से कोई फायदा नहीं हुआ है। हम चाहते हैं कि वहां पर जल्द से जल्द एलेक्शन किया जाय। कोई वजह नहीं मालूम होती है कि चार साल से वहां पर जो एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त है उसको और ज्यादा दिन तक रखा जाय। वहां पर आज तक कोई उन्नति नहीं हुई है। इस वजह से मैं इन शब्दों के साथ माननीय नारायणदत्त जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं कि इसको सेलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाय। सेलेक्ट कमेटी में हम कुछ कह सकते हैं और जो कमी इसमें दिखाई देती है वह वहां जाकर ठीक हो जायगी। अगर आप किसी म्युनिसिपल बोर्ड को गलत तरीके से सुपरसीड कर लेते हैं तो फिर उसका क्या इलाज होना चाहिये। किसी बोर्ड ने गलती की उसको तो आपने सुपरसीड कर लिया लेकिन आप अगर गलती करते हैं तो आपको कौन सुपरसीड करे। इसका भी तो कुछ इलाज होना चाहिये। आपको कोई सुपरसीड करने वाला नहीं है। ऐसा प्राविजन भी तो होना चाहिये कि अगर हम गलती करें तो हमको कौन सुपरसीड करेगा। इसलिये यह सारी बातें सेलेक्ट कमेटी में जाकर ठीक हो जायगी। वहां पर उस चीज को डिस्कस कर सकते हैं। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्रीमती सज्जन देवी महनोत (जिला गोंडा)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी, मुझे इस बिल में यह देखकर बहुत दुख हुआ कि महिलाओं के लिये इसमें कोई विशेष स्थान नहीं रखा गया है। यह बड़ा ताज्जुब की बात है कि हरिजनों के लिये तो १० साल के लिये रिजर्वेशन रखा गया और वह इसलिये रखा गया है कि वह पिछड़ी हुई जाति के हैं, अशिक्षित जाति हैं, लेकिन महिलाओं के लिये जो समस्या हमारे सामने है उसकी ओर भी आपको ध्यान रखना होगा। स्त्री जाति भी पिछड़ी हुई अशिक्षित जाति है। राजनीति का उनको जरा भी ज्ञान नहीं है। यहां तक कि हिन्दू कोड बिल का विरोध भी इन्हीं भोली भाली स्त्रियों के द्वारा कराया गया और इस काम में उनको कामयाबी भी हासिल हुई। यह हमारी महिलाओं की दशा है कि उनको जरा भी दुनिया का ज्ञान नहीं है। इसलिये मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहती हूं और प्रार्थना करती हूं कि इस विधेयक में रिजर्वेशन स्त्रियों के लिये अवश्य रखा जाय। खाली विधान बना देने से काम नहीं चलता है। किताबें लिख देने से काम नहीं चलता है। महिलाओं के लिये उन्नति का मार्ग ढूंढना होगा और उसको कार्यान्वित करना होगा, क्योंकि आप देखते हैं कि पिछले चुनाव में हमने देखा कि महिलाओं की क्या दुर्दशा हुई। आज इस हाउस के अन्दर ४३१ सदस्य बैठे हुए हैं। उनमें से केवल ११ महिलायें लाई गई हैं। कांग्रेस का अभी चुनाव हुआ उसमें भी स्त्रियों को कोई विशेष अनुपात से नहीं लाया गया है। मेरी आप से यही प्रार्थना है कि उनको आप को-आपशन और रिजर्वेशन के अधिकार दीजिए वर्ना म्युनिसिपल बोर्ड के एलेक्शन में एक भी महिला नहीं आ सकेंगी।

महिलाओं की जितनी संस्थायें चलती हैं, जितने उद्योग सेंटर चलते हैं छोटी, छोटी बालिकाओं के स्कूल चलते हैं, वह सब तो महिलायें चलाती हैं और अगर वह न हों तो आपके बहुत से आवश्यक काम चलना कठिन हो जाय। इसलिये मेरा निवेदन है कि आप महिलाओं के लिये विशेष ध्यान दीजिए अगर महिलाओं को ऊपर उठाना है, ऊपर लाना है तो आपको विधान में परिवर्तन करना होगा और विधान से ही काम नहीं चलता बल्कि आपको उनको उचित अधिकार भी देने होंगे। महिलाओं के लिये हर जगह यह कह दिया जाता है कि आप तो कोई जगह जीत न सकेंगी आपको कहां कहां ले जाते फिरेंगे, आपको काफी अधिकार दे दिये गये हैं और संविधान में भी आपको अधिकार दिये गये हैं और इसलिये रिजर्वेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। इतना कह कर मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि महिलाओं के लिये सुरक्षित स्थान दिये जायं और विशेष सुविधायें उनको दी जायं।

श्रीमती चन्द्रवती (जिला बिजनौर)--श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारे सदन में नगरपालिका विधेयक पर बहस चल रही है और उस पर करीब करीब सभी पार्टियों के सदस्यों ने काफी कहा है। अभी अभी हमारे एक सोशलिस्ट भाई ने महिलाओं के लिये बड़ी उदारता दिखाई, वह मेरी ओर से बधाई के पात्र हैं, किन्तु मुझे उनकी इस उदारता में कुछ सत्य और तथ्य नहीं मिला। सत्य तो इसलिये नहीं कि परिषद् में हमारी बहिनों द्वारा इसी विधेयक पर और इसी प्रश्न पर बहस की गयी थी और इन्हीं अधिकारों पर बोला गया था तो वहां पर इन्हीं भाइयों के द्वारा उसका विरोध किया गया था। तथ्य इसलिये नहीं क्योंकि वह कुछ कर नहीं सकते हैं। इसलिये दोनों ही बातें मेरी सत्य हैं, किन्तु कुछ भी हो वह हमारी तरफ से बधाई के पात्र अवश्य हैं। इस समय मैं आपके सामने, श्रीमन् आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से दो तीन प्रश्नों पर ही कुछ कहना चाहती हूं पहला प्रश्न तो यह उठता है जो कि हमारी बहिन सज्जन देवी ने को-आपशन, नामिनेशन, रिजरवेशन के बारे में कहा। यदि आज हम इसको अधिकारों की मांग का युग कहें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति न होगी। सभी ओर से अधिकारों की मांग की जाती है तो फिर इस जाति पर ही क्यों इतनी उदारता है कि जो अधिकार उसे मिले हुए हैं उनको भी काटकर मिटाया जा रहा है। कितना अच्छा होता यदि जो अधिकार हमारे पिछले संविधान में थे उन्हीं को वैसे का वैसा ही सुरक्षित रखा जाता। हमारे लिये और भी उदारता का प्रदर्शन होता तो हमें और प्रोत्साहन मिलता जिससे हम लोगों के अन्दर देश के लिये और अधिक काम करने का जोश बढ़ता। मैंने पहले भी बहुत जोर से कहा है कि कोई भी इस बात से इंकार नहीं कर सकता कि स्त्री जाति अपना एक अलग महत्व रखती है। आप कहीं भी देख लीजिए कि उसके बगैर कहीं भी किसी का कल्याण नहीं हो सकता। मेरी बहिन ने जो चुनावों में स्त्रियों के प्रति अवहेलना का जिक्र किया उसमें मैं और भी कह सकती हूं, मगर मैं अधिक समय लेना उपयुक्त नहीं समझती। कहां का यह अन्याय है कि किसी को प्रोत्साहन न देकर उसके आत्मसम्मान में ठेस लगाई जाय? क्यों इस तरह से अखबारों द्वारा स्त्री जाति के लिये प्रोत्साहन दिया गया था कि हर जिले से एक स्त्री जरूर भेजनी चाहिये। फिर क्यों उनके आने पर इस तरह किया गया इस इलेक्शन में? प्रदर्शन में कुछ और और कार्य में कुछ और यह बात मेरी समझ में नहीं आती। खैर, ये बातें पुरानी हो चुकी हैं लेकिन जिस दिल में कांटा फंस कर रह जाता है वह कहीं न कहीं फूट निकलता है। इस विधेयक में हमारे ऊपर आघात किया गया है। हमारा जो नामिनेशन था वह हटा दिया गया है। यह ठीक हो सकता है। इससे हमको अपने अधिकार के लिये लड़ना सिखला दिया है तो जब हम मैदान की लड़ाई में आ जावेंगी तो क्या उन्हें भय नहीं लगेगा! जब हम घर में बैठती हैं तो उन्हें इतना भय है कि जो चीज हमारे लिये सुरक्षित है उसे काट दिया गया है। तो उन्हें आगे के लिये भी सोचना चाहिये। इसके ऊपर अच्छी तरह से उदारता का प्रदर्शन होता तो अच्छा होता। हमारे लिये नामीनेशन और कोआपशन होना चाहिये। जहां हरिजनों के लिये रिजर्वेशन है वहां हमारे लिये भी हो तो अच्छा है। उसे देने के लिये बड़ा दिल नहीं है। दूसरा प्रश्न यह है कि जब म्युनिसिपैलिटीज में हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा तो जितनी भी स्त्रियों की प्राबलम्स हैं वे कैसे

[श्रीमती चन्द्रवती]

साल्व होंगी? शिक्षा की ओर दूसरी बहुत सी समस्यायें हैं जिन पर हमारा रिप्रेजेंटेशन होना ज़रूरी है। सबसे पहले प्राइमरी एजूकेशन का सवाल आता है। उसके लिये यहां कोई जिक्र नहीं किया गया है। हायर सेकेंडरी एजूकेशन को भी बढ़ावा होना चाहिये। तीसरी बात यह है कि हमारी स्वीप्रेस कर्मचारियों को मैटरनिटी लीव वेतन में कटौती काट कर दी जाती है। यह एक बहुत बड़ा अन्याय है। उनको वेतन सहित मैटरनिटी लीव मिलनी चाहिये।

मैं और अधिक कुछ न कह कर केवल इतना ही अपने माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि मेरे सुझावों पर विचार करें और उन्हें कार्यरूप में लावें।

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सोच रहा हूं कि श्री सुरेश प्रकाश सिंह जी ने जो आरंभ में बातें कहीं उनका मैं समर्थन कर सकता और उसी से मिलती-जुलती बातें माननीय उपाध्याय जी ने कहीं। उन्होंने कहा कि अगर शहरों की तरक्की के लिये यह जरूरी समझा जाय तो लखनऊ की भांति उनको एडमिनिस्ट्रेटरों के हवाले कर दिया जाय। उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न तो ऐसा है जो आज कटु सत्य है। सत्य है आज यह कहना मैं अपना कर्त्तव्य समझता हूं। प्रजातंत्र किसी देश और किसी जाति के लिये आवश्यक है और हमारे देश में उपाध्यक्ष महोदय उसको कुछ अंशों में अपनाया है। लेकिन प्रजातंत्र के द्वारा यदि किसी समाज में कमजोरी पैदा हो तो वहां पर उसे रोकने की भी जरूरत है, ऐसा विद्वानों ने कहा है। ठीक उसी प्रकार से उपाध्यक्ष महोदय, जैसे कि अन्न एक अच्छी चीज हो सकती है यदि वह स्वस्थ शरीर को खिलाया जाय लेकिन अगर निर्बल और रोगी शरीर को इतना अन्न दे दिया जाता है कि उसे अपच हो जाय तो वह चीज भी उस शरीर को नष्ट कर देती है। आपकी आज्ञा से मैं क्षमा मांगते हुए यह कहने जा रहा हूं कि हमारा समाज आज निर्बल है रोग से ग्रस्त है तो आज ऐसे समाज में इतने बड़े पैमाने पर प्रजातंत्रवाद का प्रयोग होना चाहिये जो उसके लिये लाभकारी सिद्ध हो सके और इसलिये यदि मेरी व्यक्तिगत राय ली जाय तो मैं तो यह समझता हूं कि म्युनिसिपल बोर्डों और डिस्ट्रिक्ट बोर्डों को अभी ऐसी अवश्यकता नहीं है। कुछ दिनों काम करने के बाद, समाज की स्थिति को कुछ दिनों तक ठीक करने के बाद भी अगर आवश्यकता समझी जाय तो विकेंद्रीयकरण की तरफ चलने के बारे में विचार किया जाय। लेकिन इस बात से मुझे थोड़ी सी प्रसन्नता होती है कि इसका थोड़ा सा प्रयोग हो रहा है।

विरोधी दल की ओर से शायद माननीय तिवारी जी ने यह कहा कि सस्पेंशन और सुपरसेशन की बात प्रजातंत्र के विरुद्ध है। मुझे याद पड़ता है उपाध्यक्ष महोदय कि उनकी पार्टी के वयोवृद्ध अनुभवी नेता ठाकुर मलखान सिंह ने एक बार कहा था। गवर्नमेंट की सब से बड़ी कमी यही है कि वह सख्ती से काम नहीं लेती। अगर माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी याददाश्त में सही हूं तो मैं उनसे सहमत हूं। लेकिन जब एक सख्त कदम उठाया गया तो मेरी समझ में नहीं आता कि इसका विरोध किस प्रकार किया जा रहा है। इसके अलावा माननीय मंत्री जी ने कहा कि यह बिल तो केवल चुनाव के बारे में लाया गया है, सुधारों के बारे में दूसरा बिल लाया जायगा, जिसमें इसी प्रकार की या और भी अधिक प्रजातांत्रिक बातें होंगी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात इस दनस को याद दिलाना चाहता हूं। देश का बटवारा होने के जहां बहुत से कारण हैं वहां सेपरेट एलेक्टोरल के साथ मुस्लिम लीग की जड़ें कायम हुई थीं, इसी लोकल बोर्ड्स के अन्दर। यह मानव स्वभाव है, यह मानव कमजोरी है कि वह चुनाव के द्वारा स्थानों पर जाना चाहता है और इन्हीं लोकल बाडीज में मुस्लिम लीग की जड़ मजबूत हुई और देश का बटवारा हुआ। तो उपाध्यक्ष महोदय, मुझे डर लगता है और मैं अपना कर्त्तव्य समझता हूं कि इस सदन में यह कहूं कि कहीं ज्वायंट एलेक्टोरेट के द्वारा इस देश के अन्दर उन साम्प्रदायिक ताकतों को जो आज अपने सर

को उभाड़ना चाहती हैं, बल तो नहीं पहुंचा रहे हैं। पिछली गलती से देश का बटवारा हुआ और कहीं आज की गलती से देश के वे सारे सिद्धांत जिसके लिये हम और शायद विरोधी दल दोनों खड़े हुए हैं, ये हमेशा के लिये कहीं मिट न जायं?

इसके साथ ही साथ जहां और बातों का संबंध है मुझको तो केवल दो एक बातें कहनी हैं और वह यह है कि अगर इस उसूल को मानने के बाद हमको चलना है, विकेन्द्रीयकरण की बात हमारे माननीय मित्र श्री राम नारायण त्रिपाठी ने बड़े जोरों से कही और उन्होंने गांधी जी का भी नाम लिया। मुझे याद नहीं पड़ता कि उन्होंने स्टेट के विदर अवे की बात कही। वह भी अपनी जगह पर ठीक है। लेकिन मुझे याद पड़ता है कि एक जमाना था जबकि उनके साथी कम्युनिस्ट थे लेकिन वे उनसे जुदा हुए, कुछ दिन हुए आगे चले तब फिर सेंट्रलाइजेशन और नेशनलाइजेशन की बात चली। जो कि स्वाभाविक है कि तब हमसे जुदा हुए और फिर उनसे मिले और जब उनसे मिले तो विकेन्द्रीयकरण की बात करना यह भी बहुत स्वाभाविक है। इसलिये इस सैद्धांतिक झगड़े में मैं न जाकर उपाध्यक्ष महोदय, केवल इसको यहीं छोड़ते हुए आगे जाने के लिये एक बात कहनी है। माननीय नारायण दत्त जी को बड़ी शिकायत थी कि साहब, वार्ड तो आपने बना दिये, लेकिन वार्ड में यह नहीं किया गया है कि कितनी जनसंख्या पर वार्ड होंगे और साथ ही साथ यह भी कहा कि . . . . . .

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—मैंने यह नहीं कहा है। मैंने यह कहा कि वार्ड में ज्यादा से ज्यादा कितने मेम्बर होंगे और कम से कम कितने मेम्बर होंगे।

श्री रामनरेश शुक्ल—ठीक है, मुझे याद पड़ता है कि आपने कहा कि वार्ड में कम से कम कितने मेम्बर होंगे। तो यह मेम्बरों की संख्या और जनसंख्या दोनों जब तक साथ नहीं चलती हैं तो वह निश्चित नहीं किया जा सकता है। एक बात और है कि यहां पर वोटर की बात बहुत चलायी गयी है और मेरे किसी मित्र ने यह भी कहा है कि देहाती क्षेत्रों में दो मील तक के अन्दर इस अमेंडमेंट के द्वारा, सड़कें, रास्ते और नालियों के प्रबन्ध करने की बात होगी, म्युनिसिपैलिटियों द्वारा। तो उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इन शिकायतों की बात समझ में नहीं आयी। जहां इस अमेंडमेंट में सीधा सीधा सलाह देने की बात है। अगर म्युनिसिपैलिटीज एरिया के दो मील बाहर तक के गांव भी ठीक हो जाते हैं, स्वच्छ हो जाते हैं, ठीक रास्ते पर चलते हैं तो इसमें कौन से उनके अधिकारों का हनन होता है। यह तो उस प्रकार की सेवा है जिस प्रकार से एक अच्छे म्युनिसिपल बोर्ड को करना चाहिये और मेरा ख्याल यह है कि यह किसी म्युनिसिपैलिटी के लिये शोभनीय नहीं है कि जहां तक कि उसके शहरों का संबंध है वह तो सुन्दर रहें लेकिन जैसे जैसे म्युनिसिपैलिटी से बाहर निकलते जाते हैं वैसे वैसे आपको गन्दगी और खराबियां नजर आने लगती हैं। जैसे कि रात के समय अगर आप किसी गांव के नजदीक जायं और बदबू आना शुरू हो जाय तो समझ लीजिए कि गांव आ रहा है। उसी तरह से और म्युनिसिपैलिटियों की भी बात हो गयी कि अगर आप किसी शहर के नजदीक पहुंचे और आपको कुछ बुराई वगैरह दिखाई पड़े तो पता लग जायगा कि म्युनिसिपैलिटी नजदीक आ रही है। तो यह बात समझ में नहीं आई कि इसमें क्यों एतराज किया गया। जहां तक संख्या की बात है यह कहा गया कि खेर कमेटी में संख्या काफी थी और आज घटा दी गई है। अब म्युनिसिपैलिटी के अन्दर ५० और ८० और छोटी-मोटी म्युनिसिपैटियों में इसमें भी कम होती है। जितने मेम्बर्स रखे जा रहे हैं इतने ही को ढूंढ़ना मुश्किल हो जाता है और अगर इनको बढ़ा दिया जाय तब क्या परिणाम होगा। यह दूसरी बात है कि तादाद ज्यादा बढ़ा दीजिए तो संघर्ष ज्यादा हो जाता है। इसमें आसानी हो सकती है कि अगर कुछ परसेंट वहां कंटेस्ट करना चाहते हैं कि छोटी छोटी जगहें हो जायं और ज्यादा लोग लड़ना सोचें तो दस दस पांच पांच वोट सभी ले आयेंगे और फिर आसानी से यह कह दिया जायगा कि इतना परसेंट वोट हमको मिले और इतना परसेंट इनको मिले। अगर यह मंशा हो तब तो बात और

[श्री रामनरेश शुक्ल]

है। लेकिन इस सलाह में भी न हमको वह चीज नहीं दिखाई देती कि जिससे म्युनिसिपैलिटी का हित हो। जितने कम लोग रहेंगे उतना ही म्युनिसिपैलिटी का हित होगा और उतना ही अच्छा कार्य हो सकेगा और अगर जितनी तादाद होनी चाहिये उससे ज्यादा हो गया तो वहां पर हुल्लड़ रहेगी और इसके अलावा एक बात और मनोवैज्ञानिक है कि बहुत ज्यादा लोग होंगे तो लोगों की दिलचस्पी म्युनिसिपल बोर्ड स से हट जायगी और जब दिलचस्पी नहीं होगी तो कार्य ठीक नहीं होगा। इसलिये जितने कम मेम्बर्स होंगे उतना ही अच्छा है और भी बहुत सी छोटी-मोटी बातें कही गयी हैं जिनके विषय में हमारे और मित्रों ने उत्तर दे दिया है। यहां पर सदन में इंगलैन्ड और अमेरिका और मालूम नहीं किन किन देशों की बातें कही गयी हैं। हमारी तरफ से भी किसी सदस्य ने कहा था कि हमारे देश में अभी वह नैतिकता नहीं है जो इंगलैन्ड में है और अन्य देशों के अन्दर है, इसलिये हमें उनके स्थान तक जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं उनसे इस हद तक सहमत नहीं हूं कि इंगलैन्ड और अमेरिका में नैतिकता हमसे इतनी ज्यादा हो गयी है कि हम कोई चीज नहीं कर सकते लेकिन इस बात से यह बात जरूर निकलती है कि हमें पाश्चात्य लोगों की एकदम नकल नहीं करनी है, लेकिन अपने यहां वह कार्य करना है जिससे हमारे यहां की म्युनिसिपैलिटियां हमारे प्रदेश के लोगों की वास्तविक सेवा कर सकें।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

कैलास चन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ,
८ दिसम्बर, १९५२।

पी० एस० यू० पी०--६६ एल० ए०--१९५२--८३०